46

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2023-24)

छियालीसवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/फाल्गुन, 1944(शक)

छियालीसवाँ प्रतिवेदन

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

<u>संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना</u>

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. सुश्री सुनीता दुग्गल
6. श्री जयदेव गल्ला
7. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
8. डॉ. सुकान्त मजूमदार
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर
13. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
14. श्री संजय सेठ
15. श्री गणेश सिंह
16. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
17. श्री शत्रुघ्न सिन्हा
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
20. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
21. श्री एस. जगतरक्षकन

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
24. डॉ. जॉन ब्रिटास
25. श्री सैयद नासिर हुसैन
26. श्री इलयराजा
27. श्री जग्गेश

28. श्री प्रफुल्ल पटेल
29. श्री कार्तिकेय शर्मा
30. श्री जवाहर सरकार
31. श्री लहर सिंह सिरोया

सचिवालय

1. श्री सतपाल गुलाटी	-	संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ए. ज्योतिर्मयी	-	निदेशक
3. श्रीमती रिंकी सिंह	-	कार्यकारी अधिकारी

समिति का समाचार भाग - दो, दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 के पैरा संख्या 5288 के तहत 13 सितंबर, 2022 को गठन।

प्राक्कथन

मैं, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी यह **छियालीसवाँ** प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का गठन 13 सितंबर, 2022 को हुआ। लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ङ में यथा निर्धारित समिति का एक कार्य संबंधित मंत्रालय/विभाग के अनुदानों की मांगों पर विचार करना और इस पर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

3. समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार किया जिन्हें 07 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखा गया। समिति ने 14.02.2023 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. 17 मार्च, 2023 को हुई समिति की बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

5. समिति सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच करने के संबंध में समिति द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए, समिति उनका धन्यवाद देती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
17 *मार्च*, 2023
26 *फाल्गुन*, 1944 (*शक*)

प्रतापराव जाधव,
सभापति,
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति।

प्रतिवेदन

भाग - एक

एक. प्रस्तावना

1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निजी प्रसारण क्षेत्र, लोक प्रसारण सेवा (प्रसार भारती), मल्टी-मीडिया प्रचार और भारत सरकार के कार्यक्रमों की नीतियों, फिल्म प्रसार एवं प्रमाणन तथा प्रिंट और डिजिटल मीडिया के विनियमन से जुड़े जुड़े नीतिगत मामलों का केंद्र भी है। विभिन्न मीडिया रीतियों के माध्यम से सरकारी नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में प्रचार संबंधी सूचना का कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपा गया है। रेडियो, टेलीविजन,फिल्म, प्रेस और प्रिंट प्रकाशन, डिजिटल और सोशल मीडिया, पोस्टर, विज्ञापन और नृत्य, नाटक, लोकगीत पपेट शो जैसे परंपरागत संचार माध्यम - वये सभी मंत्रालय और उनके मीडिया यूनिटों द्वारा प्रसार और सूचना का निर्बाध प्रवाह में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है।

2. क्रियात्मक रूप से मंत्रालय तीन वर्गों यथा सूचना प्रसारण और फिल्म में विभक्त है। प्रत्येक सेक्टर की भूमिका और जिम्मेदारी निम्नवत है:

सूचना सेक्टर	प्रसारण सेक्टर	फिल्म सेक्टर
सूचना सेक्टर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों तथा गतिविधियों का प्रसार और जागरूकता, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सरकारी विज्ञापनों की दर तय करने के लिए नीति निर्देशों के निर्धारण और प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867. प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।	प्रसारण सेक्टर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के माध्यमसे सरकारी योजनाओं का दूरस्थ स्थानों में प्रसार के लिए मंत्रालय को सहायता देता है। यह सेक्टर प्रसार भारती)भारतीय प्रसारण निगम (अधिनियम, 1990 के प्रशासन द्वारा इन जन प्रसारकों की निगरानी करता है। यह केबल टेलीविजन नेटवर्क)विनियमन (अधिनियम, 1995 और समय-समय पर जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से निजी उपग्रह चैनलों की सामग्री और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को भी विनियमित करता है।	फिल्म सेक्टर वृत्तचित्रों के निर्माण तथा वितरण, फिल्मों के संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव के आयोजन और अच्छी फिल्म को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यह चलचित्र अधिनियम, 1952 का प्रशासन करता है जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन की निगरानी करता है, विकास तथा संवर्धन गतिविधियों सहित फिल्म उद्योग से संबंधित मुद्दों पर कार्य करता है।

	यह डीटीएच /एचआईटीए ऑपरेटरों को संबंधित कार्यों के लिए लाइसेंस देता है। निजी एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन के माध्यम से निजी एफएम रेडिया नेटवर्क का विनियम करता है।	

3. केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार फिल्म प्रभाग, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेख, फिल्म उत्सव निदेशालय और बाल फिल्म सोसाइटी को 1.1 .2023 से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के साथ विलय कर दिया गया है। इसलिए, वर्तमान में मंत्रालय के अधीन 7 मीडिया यूनिट/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, 5 स्वायत्त निकाय है जिसमें 3 प्रशिक्षण संस्थान और 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। उनका विवरण निम्न है :

मीडिया यूनिट/:संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय	स्वायत्त संगठन	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
1. पत्र सूचना कार्यालय)पीआईबी(2. केन्द्रीय संचार ब्यूरो	1. भारतीय प्रेस परिषद)पीसीआई(	1ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड)बेसिल(

)सीबीसी ∗(3. भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक)आरएनआई(4 प्रकाशन प्रभाग निदेशालय)डीपीडी(5. न्यू मीडिया विंग)एनएमडब्ल्यू (6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर)ईएमएमसी(7. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड)सीबीएफसी(	2. प्रसार भारती)ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) 3. भारतीय जन संचार संस्थान)आईआईएमसी(4 .भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई(5 .सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता)एसआरएफटीआई(	2 .राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम)एनएफडीसी(

4. मंत्रालय के व्यय को निम्न तीन वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है -

a.	केन्द्र का स्थापना व्यय (इसमें मुख्य सचिवालय और मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय शामिल है
b.	केन्द्रीय सेक्टर योजना, और
c.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) और स्वायत्त निकाय (मंत्रालय के पांच स्वायत्त निकायों यथा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता (एसआरएफटीआई, भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी), भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई), प्रसार भारती (पीबी) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (संशोधित अनुमान 2022-23 से नई

	प्रविष्टि) - एक केन्द्रीय पीएसयू) के लिए अनुदानों की मांगें सहित अन्य केन्द्रीय व्यय * नोट:- बाल फिल्म सोसाइटी, भारत (सीएफएसआई) - केन्द्र सरकार के 01.01.2023 के निर्णय के अनुसार अब इस संगठन को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय कर दिया गया है।

5. मंत्रालय के तीनों विंगों/सेक्टरों के अंतर्गत उपरोक्त वर्गों का अवलोकन निम्नवत है -

	फिल्म क्षेत्र	सूचना क्षेत्र	प्रसारण क्षेत्र (प्रसार भारती के अलावा)	प्रसारण क्षेत्र (प्रसार भारती)
केंद्र का स्थापना व्यय	i. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी); ii. फिल्म प्रभाग (एफडी); iii. राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई); iv. फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ); v. एसोसिएशन ऑफ मूविंग इमेजेज	इस क्षेत्र के तहत प्रावधान मंत्रालय के मुख्य सचिवालय और मंत्रालय के सूचना विंग की मीडिया इकाइयों के स्थापना व्यय को कवर करता है, जैसे: सचिवालय व्यय; न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू);	इस क्षेत्र के तहत प्रावधान स्थापना व्यय को कवर करता है: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएनएमसी); निजी एफएम रेडियो स्टेशन;	

	(एएमआईए) को वार्षिक का भुगतान; और vi. अंतर्राष्ट्रीय पुरालेख संगठनों की के लिए योगदान।	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी); लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी); भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (आरएनआई); प्रकाशन विभाग (डीपीडी) - वित्तीय वर्ष 2022-23 से रोजगार समाचार के लिए प्रावधान भी शामिल है; संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) में योगदान।	और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) को वार्षिक सदस्यता सदस्यता का भुगतान।	
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं	फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी) नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन (एनएफएचएम) स्कीम और चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीम्स (सीएसएसएस) को	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत प्रावधान 'विकास संचार और सूचना प्रसार' योजना को कवर करते हैं।	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत प्रावधान 'भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को समर्थन'	इस क्षेत्र के तहत प्रावधान केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) पर

	भी क्रमशः वित्त वर्ष 2020-21 और 2022-23 से डीसीडीएफसी स्कीम में मिला दिया गया है।		योजना को कवर करते हैं।	व्यय को कवर करते हैं।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों सहित अन्य केंद्रीय व्यय	इन प्रावधानों में शामिल फिल्म विंग के तहत स्वायत्त निकायों के अन्य केंद्रीय व्यय निम्नानुसार हैं: बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई); भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे; और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता।	इस क्षेत्र के तहत प्रावधान मंत्रालय के सूचना विंग के स्वायत्त निकायों के अन्य केंद्रीय व्यय को कवर करता है, अर्थात। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी); और भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)		प्रसार भारती का वेतन और वेतन संबंधी व्यय

6. वर्ष 2020-21 के दौरान ऑनलाइन/डिजिटल मीडिया से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक नया वर्टिकल जोड़ा गया। भारत सरकार ने 9.11.2020 को

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन किया है जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय को उन मामलों पर निम्नवत अधिदेश दिया गया है-

डिजिटल/ऑनलाइल मीडिया

क) "ऑनलाइन कंटेंट प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए फिल्म और श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम"

ख) "ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर समाचार और समसामयिक मामले"

7. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (यहां 'सूचना प्रद्यौगिकी नियम, 2021' कहा जाएगा) अधिसूचित किया था। 'सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021' डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के कंटेंट और ऑनलाइल क्यूरेटेड (ऑवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों) के प्रकाशकों से संबंधित है जिसका प्रशासन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

दो. अनुदानों की मांगों (2022-23) पर समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

8. सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे (2022-23) पर समिति का 34वां प्रतिवेदन 21 मार्च, 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया/राज्यसभा के पटल पर रखा गया था। 34वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन 9 फरवरी, 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 19 सिफारिशों में से सरकार द्वारा 15 सिफारिशें स्वीकार की गई। समिति ने 1सिफारिश को दुहराया है और तीन सिफारिशों के उत्तर अंतिम प्रकृति के हैं। 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अंतिम की गई कार्रवाई विवरण 8 मई, 2023 को देय होगी।

तीन. बजट अवलोकन और अनुदानों की मांगें (2023-24)

9. मांग संख्या 61 में प्रसार भारती सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उनके संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त/अनुदानग्राही निकायों के व्यय शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों यथा 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22,*और* 2022-23 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट अनुमान और संशोधित अनुमान बजटीय आवंटन और वास्तविक व्यय (यहां बीई, आरई और एई के रूप में उल्लेख किया गया है) तथा बीई चरण में वर्ष के लिए 2023-24 *किया गया आवंटन निम्नवत है*

(*करोड़ रुपये में*)				
वर्ष	बीअ	आरई	एई	आरई के संदर्भ में %
2018-19	4088.98	4088.98	4003.28	97.90
2019-20	4375.21	4064.76	4032.36	99.20

2020-21	4375.21	3650.25	3380.44	92.61
2021-22	4071.23	3764.69	3728.99	99.05
2022-23	3980.77	4182.00	3403.54*	81.39*
2023-24	4692.00	--	--	--
(*) - 31.01.2023 तक वास्तविक व्यय)				

10. वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय ने 5199.51 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया था और 4692.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मंत्रालय के तीन वर्गों के अंतर्गत 2023-24 के लिए प्रस्तावित और आवंटित राशि का विवरण निम्नवत है -

(करोड़ रु. में)		
श्रेणियाँ	2023-24 के लिए प्रस्तावित राशि	बजट प्राक्कलन चरण में 2023-24 के लिए आबंटित राशि
केंद्र का स्थापना व्यय	572.65	535.50
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं	1519.05	1105.00
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों सहित	3107.83	3051.50

अन्य केंद्रीय व्यय		
कुल	5199.51 करोड़	4692.00 करोड़

11. वर्ष 2023-24 के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त तीन वर्गों के तहत बजटीय आवंटन और वास्तवित व्यय (बीई, आरई और एई) तथा 2023-24 के लिए बीई आवंटन का व्यौरा निम्नवत है -

वर्ष	(रू .करोड़ में)															
	केंद्र के स्थापना व्यय				केंद्रीय सेक्टर स्कीम				अन्य केंद्रीय व्यय				योग			
	बीई	आरई	आरई	आरई के संदर्भ %	बीई	आरई	एई	आरई के संदर्भ %	बीई	आरई	एई	आरई के संदर्भ %	बीई	आरई	एई	आरई के संदर्भ %
2018-19	454.90	478.29	455.00	95.13	735.05	712.66	656.78	92.16	2899.03	2898.03	2891.50	99.77	4088.98	4088.98	4003.28	97.90
2019-20	495.45	460.64	449.73	97.63	900.00	625.39	607.43	97.13	2979.76	2978.73	2975.20	99.88	4375.21	4064.76	4032.36	99.20
2020-21	554.80	441.82	431.99	97.77	740.00	346.73	333.34	96.14	3080.41	2861.70	2615.11	91.38	4375.21	3650.25	3380.44	92.61
2021-22	563.77	530.47	499.88	94.23	632.05	450.00	452.66	100.59	2875.41	2784.22	2776.45	99.72	4071.23	3764.69	3728.99	99.05
2022-23	**582.87**	**584.84**	**453.09***	**77.47***	**630.00**	**639.00**	**356.83***	**55.84***	**2767.90**	**2958.16**	**2593.62***	**87.68***	**3980.77**	**4182.00**	**3403.54***	**81.39***
2023-24	**535.50**	--	--	--	**1105.00**	--	--	--	**3051.50**	--	--	--	**4692.00**	--	--	--
(*) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यय 31.01.2023 तक है																

12. वर्ष 2022-23 के दौरान 'केंद्र के स्थापना व्यय' के लिए बीई और आरई आवंटन क्रमश: 582.87 करोड़ रुपये और. 584.84 करोड़ रुपये था जबकि वास्तविक व्यक्ति (31.01.2023 तक) 453.09 करोड़ रुपए था जो संशोधित अनुमान आवंटन का 77.47% है। 'केंद्रीय सेक्टर योजनाओं' के लिए वर्ष 2022*23 के लिए बीई और आरई आवंटन क्रमश: . 630.00 करोडद्य और 639.00 करोड़ रुपए था, वास्तविक व्यक्ति (31.01.2023 तक) संशोधित अनुमान आवंटन का 77.47% है। इस प्रकार मंत्रालय को उपरोक्त श्रेणी के लिए क्रमश 572.65 करोड़ रुपए और. 1519.05 करोड़ रुपए राशि का प्रस्ताव करने का कारण बताने के लिए कहा गया इस पर मंत्रालय ने निम्नवत जवाब दिया :

"मंत्रालय ने स्थापना व्यय के लिए बजट प्राक्कलन 2022-23 के दौरान 582.87 करोड़ रुपये की तुलना में 2023-24 के दौरान 572.63 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। अनुमान में कमी केंद्र का स्थापना व्यय के तहत एनएफडीसी में तीन फिल्म मीडिया यूनिटों के विलय के बाद संसाधनों के युक्तिकरण के कारण है। हालांकि, बजट प्राक्कलन 2023-24 पेश करते समय डीए और वार्षिक वेतन वृद्धि सहित वेतन के मद में होने वाली संभावित वृद्धि को भी ध्यान में रखा गया था। अनुमान में गैर-वेतन घटक पर संभावित बढ़ा हुआ व्यय भी शामिल है। जहां तक चालू वित्त वर्ष में व्यय का संबंध है, मंत्रालय द्वारा 584.84 करोड़ रुपये के इसके सं. प्रा. 2022-23 आवंटन का पूरी तरह से उपयोग किए जाने की संभावना है, क्योंकि 22.02.2023 तक व्यय 466.96 करोड़ रु. है जो कि बजट प्राक्कलन 2022-23 का 80.11% है।

मंत्रालय ने केंद्रीय सेक्टर योजनाओं के तहत 2022-23 के दौरान 1519.05 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जो पंचवर्षीय योजना 2021-267 के लिए योजनाओं हेतु प्राप्त अनुमोदन के तर्ज पर डीसीआईडी योजना, डीसीडीएफसीयोजना और बीआईएनडी योजना के तहत बढ़े हुए खर्च के लिए व्यवस्था करनी थी। चालू वित्तीय वर्ष में व्यय के संबंध में मंत्रालय संशोधित अनुमान 2022-23 के 639.00 करोड़ रुपए का उपयोग कर पाएगी।''

13. 2022-23 के दौरान कम उपयोग के कारणों के बारे में मंत्रालय ने निम्नवत जवाब दिया:

"मंत्रालय ने 31.01.2023 तक अपने आवंटित सं.प्रा. 2022-23 का 81.39% उपयोग कर लिया है। उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक निधियों का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा"।

14. 2023-24 (बीई चरण में) के दौरान प्रस्तावित राशि प्राप्त नहीं करने को ध्यान में रखते हुए तैयारी के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"मंत्रालय ने बजट प्राक्कलन 2023-24 के लिए 5199.51 करोड़ रु. का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्तावित राशि की तुलना में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ब.प्रा. 2023-24 में 4692.00 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। व्यय के आधार पर, पूरक अनुदानों या संशोधित प्राकल्लन के स्तर पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने का विकल्प है। इसलिए, यदि कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो मंत्रालय पूरक अनुदान के स्तर पर या संशोधित प्राक्कलन 2023-24 चरण पर निधियों के लिए अनुरोध कर सकता है"।

15. वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित निधियों के पूर्ण उपयोग के बारे में समिति को आश्वासन देते हुए सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत कहा -

"सर, चूंकि आजका विषय बजट का है, इसलिए बजट के बारे में जैसा प्रस्तुतिकरण किया गया, उसमें आपने देखा होगा कि पिछले 4 वर्षों में यदि हम देखें तो जो हमारा बजट एस्टिमेट था, उसके रिवाइज एस्टिमेट में 300 से 400 करोड़ रुपये की कटौती हुई और उसे कम किया गया, क्योंकि जो अपेक्षाथी उस तरह से खर्च नहीं हो पाया था। वर्ष 2022-23 में आप देखेंगे कि हमारा जो बजट एस्टिमेट है, उसमें रिवाइज एस्टिमेट में बढ़ाकर हमें 200 करोड़ रुपये दिए गए, क्योंकि हमारा खर्चा अच्छा चल रहा है और वित्त विभाग को पूरी अपेक्षा है कि हम इस वर्ष अपना खर्चा पूरा करेंगे। अभी फरवरी का महीना है, तो हमारा खर्चा पूरा होगा"।

16. 2022-23 के दौरान निधियों के कम उपयोग के कारण योजनाओं के प्रभावित होने के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत बताया -

''2022-23 के दौरान निधियों के कम उपयोग के कारण सामुदायिक रेडियो स्टेशन ओर प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) योजनाएं प्रभावित हुई है।''

17. 2019-20 से 2022-23 के दौरान अधिकतम और न्यूनतम प्रगति करने वाले योजनाओं का विवरण निम्नवत है -

वर्ष	न्यूनतम प्रगति वाले योजनाएं	न्यूनतम प्रगति वाले योजनाओं का	अधिकतम प्रगति वाले योजनाएं	अधिकतम प्रगति वाले योजनाओं का

		उपयोग **% (**आरई के संदर्भ में)		उपयोग **% (**आरई के संदर्भ में)
2019-20	फिल्म कंटेंट का विकास संचार और प्रसार	88.08%	आईआईएमएी का अंतर्राष्ट्रीयमानों के अनुरूप उन्नयन	100%
2020-21	फिल्म कंटेंट का विकास संचार और प्रसार चैम्पियन सेवा सेक्टर योजना	80.99% 0%	प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (प्रसार भारती)	101.47%
2021-22	भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता	76.80%	डीसीआईडी	112.35%
2022-23	प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (प्रसार भारती)	37.23% (by 30.01.2023)	फिल्म कंटेंट का विकास संचार और प्रसार	75.87% (30.01.2023 तक)

18. वर्ष 2023-24 के दौरान बजटीय आवंटन के प्रभावी उपयोग के लिए परिकल्पित उपायों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत जवाब दिया -

"वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही आवंटित राशि का सदुपयोग करने के सभी प्रयास किये जायेंगे। निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है और समय-समय पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

बजट की सही आवश्यकता पर पहुंचने के लिए बजट व्यय का पूर्वानुमान सावधानीपूर्वक किया जाता है। बजट का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किए गए व्यय के लिए जीएफआर प्रावधानों का पालन किया जाता है। एनएफडीसी के साथ 4 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय से डीसीडीएफसी योजना के तहत की जाने वाली गतिविधियों में तालमेल होगा, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बजटीय आवंटन का प्रभावी उपयोग होगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय समय-समय पर प्रसार भारती के खर्च की समीक्षा करता रहा है और प्रसार भारती को सलाह दी गई है कि वह भौतिक और वित्तीय प्रगति के दृष्टिकोण से कम से कम मासिक आधार पर शुरू की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से

परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करे और उसकी निगरानी करे। . इसके अलावा, प्रसार भारती को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एक मासिक और वार्षिक व्यय योजना प्रस्तुत करने की भी सलाह दी गई है। व्यय की प्रगति पर भी वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर पैनी नजर रखी जा रही है।

प्रसार भारती ने योजना के लिए निधि जारी करने के लिए ई-ऑफिस, ईमेल, सीएएस (सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर) और टीएसए जैसे कार्यालय के कामकाज में डिजिटल तकनीकों को अपनाया है। इनसे व्यवस्था तेज, कुशल और पारदर्शी हो गई है।

प्रसार भारती द्वारा एक व्यापक सामग्री खरीद नीति को मंजूरी दी गई है जो विभिन्न खरीद मॉडल के तहत सामग्री की खरीद के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।

इसके अलावा, प्रसार भारती बोर्ड (पीबीबी) द्वारा सामग्री खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए कई नई नीतियों को मंजूरी दी गई है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- डीएपी (प्रत्यक्ष समनुदेशन प्रक्रिया) के तहत कार्यक्रम शुरू करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है।
- लाइसेंस प्राप्त रेडी-मेड ऑडियो-विजुअल सामग्री के अधिग्रहण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है
- प्रसार भारती मंचों के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क पर फीचर फिल्मों की खरीद के लिए नीति - 2021"

19. केन्द्रीय बजट 2023-24 में नए योजनाओं/कार्यक्रमों के संदर्भ में घोषणाओं का ब्यौरा पूछे जाने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए केन्द्रीय बजट 2023-24 में कोई घोषणा नहीं की गई है।"

20. वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय के प्रत्येक तीनों सेक्टरों के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नवत हैं -

सूचना क्षेत्र:	पीआईबी डीसीआईडी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2023-24 के दौरान 01 राष्ट्रीय संपादक सम्मेलन, 04 क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन, 80 वार्तालाप, 05 प्रेस यात्राएं, माननीय प्रधानमंत्री के भाषणों का अनुवाद और क्षेत्रीय भाषाओं में संदेश एवं प्रेस विज्ञप्तियां

	)लगभग 110000 दस्तावेज (आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इनके अलावा, वर्ष के दौरान विशेष आयोजनों के लिए प्रचार आईएफएफआई और पीबीडीएस भी किए जाएंगे। सीबीसी विभिन्न मीडिया माध्यमों, जैसे समाचार पत्रों, निजी एफएम रेडियो स्टेशनों, निजी सी एंड एस टीवी चैनलों, प्रदर्शनियों, इंटरनेट वेबसाइट के माध्यम से आम जनता को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों आदि के बारे में जागरूक करेगा।
प्रसारण क्षेत्र:	**आकाशवाणी:** बीआईएनडी योजना 2021-26 के तहत प्रमुख क्षेत्रों में वामपंथ उग्रवाद, सीमा और खुले क्षेत्र में नए एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना, नए स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक को बदलना और स्थापित करना, एंटीना फीड को बदलना, डीजी/एसी संयंत्रों का बदलना, स्टेशनों को आधुनिकीकरण और नया रूप देना शामिल हैं। **दूरदर्शन:** बीआईएनडी योजना 2021-26 के तहत प्रमुख क्षेत्रों में डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म का विस्तार, डीटीएच डिजास्टर रिकवरी सेंटर, एचडी के लिए कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं का स्वचालन और आधुनिकीकरण, एचडी के लिए सैटेलाइट ट्रांसमिशन सुविधाओं का स्वचालन और आधुनिकीकरण, समाचार निर्माण उपकरण का विस्तार, लाइव कवरेज के लिए तकनीकी सुविधाओं का एचडी में उन्नयन, कंटेंट इनोवेशन के लिए टेक्नोलॉजी और डीडी फ्री डिश के लिए आधार बढ़ाने के लिए डीटीएच रिसीव सेट प्राप्ति स्कीम, आंतरिक और बाहरी उत्पादकों से गुणवत्ता सामग्री का अधिग्रहण/उत्पादन हैं। इसके लिए **व्यापक सामग्री खरीद नीति अधिसूचित की गई है।** **सामुदायिक रेडियो स्टेशन:** सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्षेत्र के संबंध में महत्वपूर्ण क्षेत्र सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए विशेष रूप से सामुदायिक रेडियो डार्क क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रदान करना है। इन क्षेत्रों में पात्र संगठनों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि जनहित में अधिक

	से अधिक स्टेशनों की स्थापना की जा सके। 2023-24 में कुल 6 जागरूकता कार्यशालाओं और 4 क्षेत्रीय सम्मेलनों की योजना बनाई गई है।
<u>फिल्म क्षेत्र:</u>	i. बदले हुए समय के अनुरूप, प्रदर्शन के लिए फिल्मों की मंजूरी की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने और फिल्म पायरेसी के खतरे को रोकने के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में संशोधन। ii. सिनेमैटोग्राफ)प्रमाणन (नियम, 1983 में और संशोधन फिल्म प्रमाणन को आसान बनाने और प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। iii. 54 वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20-28 नवंबर, 2023 को पंजिम, गोवा में किया जाएगा। iv. 69 वें और 70 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का नई दिल्ली में आयोजन। v. चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के तहत भारत को दुनिया भर के फिल्म और टेलीविजन निर्माताओं के लिए पसंदीदा शूटिंग गंतव्य बनाना। vi. 1245 फीचर फिल्मों और 1368 लघु फिल्मों का डिजिटलीकरण। vii.300 फीचर फिल्मों और 330 लघु फिल्मों की 2के/4के पिक्चर और साउंड रिस्टोरेशन। viii. एनएफएआई, पुणे में वैश्विक मानकों के अनुरूप भंडारण सुविधाओं का निर्माण। ix. अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों जैसे कान, बर्लिन, टोरंटो और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडिया पैवेलियन की भागीदारी और स्थापना। x. मुंबई में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स)एनसीओई-एवीजीसी (के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। xi. विभिन्न देशों और अन्य पहचाने गए देशों के साथ ऑडियो विजुअल सह-निर्माण समझौते में तेजी लाना जो प्रक्रियाधीन हैं। xii.मीडिया और मनोरंजन)एम एंड ई (क्षेत्र के एवीजीसी खंड को बढ़ावा देने के लिए एवीजीसी मिशन की शुरुआत

चार. केन्द्रीय सेक्टर योजनाएं (सीएसएस)

21. संसाधनों के प्रभावी और बेहतर उपयोग के लिए 2019-20 मई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्लान योजनाओं का व्यापक युक्तिकरण और पुनर्संरचना किया जिसे 2020-21 में क्रियान्वित किया गया। मीडिया यूनिटों में छोटे उद्देश्यों और कार्यकलापों के साथ छोटे योजनाओं और कार्यक्रमों को अंब्रेला योजनाओं के तहत एक साथ विलय किया गया है। विभिन्न क्रियाकलापों को और मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं को अम्ब्रेला योजना के साथ जोड़ा गया है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2020-21 से युक्तिकरण के बाद 14 योजनाएं और 13 योजनाएं कम होकर 5 योजनाएं यथा विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी), फिल्म कंटेंट विकास और प्रसार (डीसीडीएफसी), चैंपियन सेवा सेक्टर योजना (प्रसार भारती) और सपोर्टिंग सामुदायिक रेडिया हो गई हैं।

22. चूंकि श्रव्य-दृश्य के लिए चैम्पियन सेवा सेक्टर योजना (सीएसएसएस) मंत्रालयके फिल्म कंटेंट का विकास संचार और प्रसार (डीसीडभ्एफसी) योजना के साथ निकटता से संबंधित हैं, इसलिए सीएसएसएस को वित्तीय वर्ष 2022-23 से डीसीडीएफसी के साथ विलय कर दिया गया है। सीएसएसएस का डीसीडीएफसी के साथ विलय के बाद अब मंत्रालय के पास चार (4) केन्द्रीय सेक्टर की योजनाएं हैं जिनके निम्न उद्देश्य हैं -

क्र. सं.	केन्द्रीय सेक्टर योजनाएं	उद्देश्य
i)	**विकास संचार और सूचना प्रसार)डीसीआईडी)**	यह योजना विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए प्रचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्षित है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है जो लक्षित लाभार्थी को सरकार की विकासात्मक योजनाओं का लाभ

	<u>प्रसारण सेक्टर</u>	उठाने में पर्यावरण सक्षम बनाएगा और यह विकास और शासन की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, एक स्वस्थ और स्वच्छ के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ और हरित विकास के लिए और बेहतर सार्वजनिक अनुपालन के लिए है।
ii)	**फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार)डीसीडीएफसी)** (फिल्म सेक्टर)	नई फिल्मों के वृत्तचित्रों का निर्माण, फिल्म अभिलेखागार के संग्रहण और बनाए रखने और एंटी-पायरेसी पहल को अपनाने के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को बड़े और बहुमुखी दर्शक समूह के सामने प्रदर्शित करने के लिए भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी और संगठन में विभिन्न मीडिया इकाइयों की गतिविधियों को समन्वित करना है। यह क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों सहित भारतीय सिनेमा की सभी शैलियों के निर्माण, वितरण और विपणन की सुविधा प्रदान करना चाहती है। यह उन संस्थानों को बढ़ावा देने और बनाने के लिए भी काम करती है जो भारत की फिल्मी विरासत के संरक्षण और इसे बनाए रखने दिशा में एक भूमिका निभाते हैं और फिल्मी सामग्री के गैरकानूनी उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाते हैं।
iii)	**प्रसारण अवंसरचना और नेटवर्क विकास)बीआईएनडी(** **(प्रसारण सेक्टर)**	प्रसारण अवंसरचना और नेटवर्क विकास योजना में प्रसार भारती द्वारा राष्ट्रीय टेलीविजन-आधारित प्रसारक दूरदर्शन और रेडियो-आधारित प्रसारक आकाशवाणी को कवर करने के लिए की गई पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस योजना का उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी रेडियो दोनों की भौतिक अवसंरचना में सुधार करना है ताकि नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल किया जा सके और साथ ही साथ उनकी पेशकशों के लिए सार्वभौमिक और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। योजना का उद्देश्य नेटवर्क का विस्तार करना और योजना में निर्धारित कार्यों)इंटरवेशन (की सूची के माध्यम से दोनों माध्यमों पर कार्यक्रमों और प्रसारण

		की गुणवत्ता का उन्नयन करना है।
iv)	**भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन**	इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों के मानक को उन्नत करने और भारत के आंतरिक क्षेत्रों में पहुंच और दृश्यता बढ़ाने के लिए संसाधनों, क्षमता और प्रौद्योगिकी के साथ नए और मौजूदा सीआरएस को मजबूत करना है। यह दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में सीआरएस के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा जिससे सामाजिक एकजुटता के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में सीआरएस का उपयोग कर समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में सहायता मिलेगी। इसलिए इस योजना का उद्देश्य संसाधनों, क्षमता और प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान कर नए और मौजूदा सीआरएस को मजबूत करना है जिससे कार्य कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की प्रभावशीलता में वृद्धि हो।

23. जब मंत्रालय से पूछा गया कि क्या 2020-21 में योजनाओं के युक्तिकरण से निधियों का बेहतर उपयोग हुआ है, तो उन्होंने निम्नवत बताया:-

"वित्त मंत्रालय द्वारा 30.09.2019 को परिचालित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के आधार पर युक्तिकरण किया गया है। इसका उद्देश्य इष्टतम आउटपुट और परिणामों के लिए संसाधनों के कम फैलाव से बचने के लिए खंडित योजनाओं को समेकित करना था। इसके अलावा, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति वाली योजनाओं को स्थापना व्यय और अन्य केंद्रीय व्यय श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है। संसाधनों का समेकन उपयोग में लचीलापन प्रदान कर रहा है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली निधियों का बेहतर उपयोग हो रहा है। निधियों की पार्किंग से बचने के लिए, मंत्रालय भारत सरकार की नकद प्रबंधन प्रणाली के तहत मासिक व्यय योजना (एमईपी)/त्रैमासिक व्यय योजना (क्यूईपी) के आधार पर सीमित शीर्षवार मासिक अनुदान जारी कर रहा है। मंत्रालय द्वारा अनुदान जारी करने के समय मीडिया इकाइयों/योजना प्रशासकों द्वारा अनुमानित पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि के साथ निधियों की मांग पर भी विचार किया जाता है। इससे मंत्रालय को योजना के भीतर योजनाओं और व्यय के घटक के बीच अधिकतम लचीलेपन के साथ धन का पुनर्विनियोजन करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, आवंटित भौतिक लक्ष्यों के अनुसार मीडिया इकाइयों द्वारा निष्पादन-परिणाम बजटिंग

पर एक रिपोर्ट भी मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है। इससे मंत्रालय को सहमत उद्देश्यों के उपयोग और उपलब्धि को अधिकतम करने के लिए धन का पुनर्विनियोजन करने में मदद मिलती है।"

24. वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत समग्र बजटीय आवंटन और उपयोग (बीई, आरई और एई) और वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान निम्नानुसार हैं:-

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं				**(रुपये करोड़ में)**
वर्ष	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय**	**सं.अ. के संदर्भ में प्रतिशत**
2019-20	900.00	625.39	607.43	97.13
2020-21	740.00	346.73	333.34	96.14
2021-22	632.05	450.00	452.66	100.59
2022-23	630.00	639.00	356.83*	55.84
2023-24	1105.00	-	-	-
(*) वास्तविक व्यय 31.01.2023 तक।				

25. पिछले चार वर्षों के लिए प्रत्येक केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत बजटीय आबंटन और उपयोग का ब्यौरा निम्नवत है:-

					(रुपये करोड़ में)
सूचना क्षेत्र					
1. **विकास संचार और सूचना प्रसार)डीसीआईडी**)					
वर्ष	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वा.व्यय**	**ब.अ. के संदर्भ में प्रतिशत**	**सं.अ. के संदर्भ में प्रतिशत**
2019-20	200.00	187.63	184.20	92.10	98.17
2020-21	220.00	103.40	100.39	45.63	97.09
2021-22	188.00	188.00	211.21	112.34	112.34
2022-23	184.00	194.00	141.98*	77.16	**73.19**
2023-24	200.00				
(**) डीसीआईडी योजना के तहत अंतिम अनुदान में आवंटन 214.35 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया था।					
फिल्म क्षेत्र					
2. फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार)डीसीडीएफसी)					
वर्ष	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वा.व्यय**	**ब.अ. के संदर्भ में प्रतिशत**	**सं.अ. के संदर्भ में प्रतिशत**

2019-20	53.87	63.39	56.46	104.80	85.07
2020-21	115.50	63.51	54.52	47.20	85.84
2021-22**	122.62	84.50	77.85	63.49	92.13
2022-23	127.16	127.00	96.36*	75.78	**75.87**
2023-24	300.00				
प्रसारण क्षेत्र					
3. प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास)प्रसार भारती(					
वर्ष	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वा.व्यय**	**ब.अ. के संदर्भ में प्रतिशत**	**सं.अ. के संदर्भ में प्रतिशत**
2019-20	473.00	235.40	235.40	49.77	100.00
2020-21	370.00	173.90	176.46	47.69	101.47
2021-22#	316.00	175.00	161.68	51.16	92.39
2022-23	315.00	315.00	117.29*	37.23	**37.23**
2023-24	600.00				
(#) इस योजना के तहत आवंटन अंतिम अनुदान 2020-21 में बढ़ाकर 182.03 करोड़ रु. कर दिया गया।					
4. भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन					
वर्ष	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वा.व्यय**	**ब.अ. के संदर्भ में प्रतिशत**	**सं.अ. के संदर्भ में प्रतिशत**
2019-20	3.80	3.80	3.29	86.58	86.58
2020-21	4.50	2.12	1.97	43.78	92.92
2021-22	3.84	2.50	1.92	50.00	76.80
2022-23	3.84	3.00	1.20*	31.25	**40.00**
2023-24	5.00				
(*) वास्तविक व्यय 31.01.2023 तक।					

26. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 के लिए बढ़े हुए आवंटन के बारे में व्याख्या करते हुए साक्ष्य के दौरान, सचिव ने निम्नवत बताया:-

> "आप देखें तो इस वर्ष जो हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, उसमें इस वर्ष 2022-23 का जो हमारा बजट एस्टिमेट था, वह 630 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर रिवाइज एस्टिमेट 639 करोड़ रुपये किया गया। बजट एस्टिमेट 2023-24 में जैसा कि मैंने बताया था, बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 75 परसेंट की वृद्धि करके इसे 1105 करोड़ रुपये किया गया है। अगले वर्ष में हमसे यह अपेक्षा है कि हम अधिक से अधिक केंद्रीय योजनाओं पर व्यय करेंगे। इसमें सबसे अधिक वृद्धि 'डीसीडीएफसी स्कीम' में है, जो फिल्मों के ऊपर है। इसमें 127 करोड़ से 300 करोड़ और बाइंड स्कीम में 315 करोड़ से 600 करोड़ किया गया है।"

27. वर्ष 2022-23 के दौरान, सभी चार 'केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं' [डीसीआईडी, डीसीडीएफसी, बीआईएनडी और भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन] के तहत, 4 केंद्रीय क्षेत्र की

योजनाओं के लिए निधियों का कम उपयोग किया गया और वास्तविक व्यय (31.01.2023 तक) संशोधित अनुमान आवंटन का क्रमशः 73.19%, 75.87%, 37.23% और 40% था। वर्ष 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर निधि के कम आवंटन के प्रभाव के ब्यौरे के साथ-साथ प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए आबंटित निधियों के कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर वर्ष 2022-23 के दौरान संशोधित प्राक्कलन स्तर पर निधि के घटे हुए आवंटन का प्रभाव**	**वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर निधियों के कम उपयोग के कारण**
(i)	**विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)**	वर्ष 2022-23 के दौरान आरई चरण के दौरान आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है।	धन का कम उपयोग नहीं हुआ है। निधियों का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है।
(ii)	**फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)**	वर्ष 2022-23 के दौरान सं.प्रा. चरण के दौरान आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है।	धन का कम उपयोग नहीं हुआ है। निधियों का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है।
(iii)	**प्रसारण अवसंरचना विकास (प्रसार**	वर्ष 2022-23 के दौरान सं.प्रा. चरण के दौरान आवंटन में कोई कमी नहीं	निधियों के कम उपयोग के कारण निम्नानुसार हैं: (i) तकनीकी कारणों से एफएम प्रोजेक्ट जैसे मोबाइल एफएम ट्रांसमीटर आदि की निविदा

	भारती)	की गई है।	रद्द कर दी गई थी। कुछ जगहों पर टावर लगाने का काम चल रहा है। 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों की आपूर्ति में भी देरी हुई। दाहोद (गुजरात) में साइट के अधिग्रहण में भी लागत के लिहाज से देरी हो रही है। **(ii)** अपलिंक एंटीना प्रणाली (7 स्थानों) और 11 स्थानों के लिए यूपीएस प्रणाली के लिए एसआईटीसी के लिए डब्ल्यूपीसी से निर्णय पत्र (डीएल) की प्राप्ति में विलंब। (iii) डीडीके हैदराबाद में एंड टू एंड फाइल आधारित वर्कफ्लो सिस्टम के एसआईटीसी को विभिन्न तकनीकी कारणों और केंद्र की तकनीकी आवश्यकता के कारण फर्म द्वारा विलंबित किया गया है। व्यय को चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी वित्त वर्ष 2022-23 में दर्ज किए जाने की उम्मीद है। (iv) अभिलेखीय प्रणाली एलटीओ के अधिप्राप्ति की निविदा प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गयी है। (v) बोलीदाताओं की सीमित भागीदारी के कारण डीडी फ्री डिश रिसीवर सेट की खरीद के लिए निविदाओं को रद्द करना, बोली लगाने वालों की कम भागीदारी के कारण अनुचित उच्च मूल्य बोलियां/उद्धृत दरें। (vi) आईआईटी गुवाहाटी की रिपोर्ट के आधार पर सीसीडब्ल्यू की सिफारिश के आधार पर गंगटोक में टावर सुदृढ़ीकरण कार्य में देरी हुई। (vii) कुछ सामग्री मामलों में उत्पादकों द्वारा समझौते के नियमों और शर्तों का पालन न करने के कारण कुछ देरी हुई।
(Iv)	**सामुदायिक**	संशोधित प्राक्कलन	"भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का

	रेडियो का समर्थन	चरण पर आवंटित निधि में कोई कमी प्रस्तावित नहीं की गई है	समर्थन" योजना के तहत सामुदायिक रेडियो कार्यशालाओं, मौजूदा सामुदायिक रेडियो के लिए क्षमता निर्माण जैसी विभिन्न गतिविधियों को ऑनलाइन मोड में किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

28. जब प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत आई प्रमुख चुनौतियों/बाधाओं के साथ-साथ उसे दूर करने के लिए उठाए गए कदमों और उसके परिणामों के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

	योजना के तहत आईं प्रमुख चुनौतियाँ/बाधाएँ	**योजना के तहत आने वाली चुनौतियों/बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम**	**योजना के तहत आने वाली चुनौतियों/बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों के ठोस परिणाम**
विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)	कोई चुनौती नहीं आई है और धन का इष्टतम उपयोग हुआ है।		
फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)	कोई चुनौती नहीं आई है और धन का इष्टतम उपयोग हुआ है।		
प्रसारण अवसंरचना विकास (प्रसार भारती)	कोविड-19 महामारी के कारण उपकरणों की आपूर्ति में बाधाएं आ रही थीं।		
सामुदायिक	• पात्र आवेदकों के	• उन जगहों पर	सीआरएस की संख्या

रेडियो का समर्थन	बीच सामुदायिक रेडियो योजनाओं के बारे में जागरूकता • आवेदकों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी • अनुमति/लाइसेंस प्रदान करने में प्रक्रियागत विलंब	कार्यशालाओं का आयोजन करना जहाँ सामुदायिक रेडियो मौजूद नहीं है। • प्रचालन स्टेशनों के लिए अनुदान का आकार बढ़ाना। • ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का शुभारंभ और डीओटी पोर्टल के साथ एकीकरण।	जनवरी 2022 में 303 से बढ़कर जनवरी 2023 तक 412 हो गई है।

29. वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की प्रत्येक योजना के तहत कार्य-निष्पादन में सुधार करने की योजनाओं के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं	**वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत प्रत्येक योजना/मीडिया इकाइयों के तहत प्रदर्शन में सुधार की योजना**
विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)	योजनाओं को नियोजित कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यान्वयन के तहत नए स्वचालन मंच ने ऐसे मॉड्यूल प्रस्तावित किए हैं जहां योजनाओं की बेहतर निगरानी और समीक्षा की जा सकती है।
फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)	डीसीडीएफसी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और योजना के प्रदर्शन पर नियंत्रण के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।
प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (प्रसार भारती)	प्रसार भारती ने योजना के लिए धन जारी करने के लिए ई-ऑफिस, ईमेल, सीएएस (सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर) और टीएसए जैसे कार्यालय के कामकाज में डिजिटल तकनीकों को अपनाया है। इनसे व्यवस्था तेज, कुशल और पारदर्शी हो गई है। प्रसार भारती द्वारा एक व्यापक सामग्री खरीद नीति को मंजूरी दी गई है जो विभिन्न खरीद मॉडल के तहत सामग्री की खरीद के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। इसके अलावा,

	प्रसार भारती बोर्ड (पीबीबी) द्वारा सामग्री खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए कई नई नीतियों को मंजूरी दी गई है, जैसा कि नीचे बताया गया है: • डीएपी (प्रत्यक्ष समनुदेशन प्रक्रिया) के तहत कार्यक्रम शुरू करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। • लाइसेंस प्राप्त रेडी-मेड ऑडियो-विजुअल सामग्री के अधिग्रहण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। • प्रसार भारती मंचों के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क- 2021 पर फीचर फिल्मों की खरीद के लिए नीति।
सामुदायिक रेडियो का समर्थन	• वर्ष 2023-24 में 4 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव • सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की क्षमता और प्रशिक्षण • सीआरएस आवेदकों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं • सीआरएस के माध्यम से विकास पर सामग्री का प्रसार • नए और मौजूदा सीआरएस को वित्तीय सहायता

पांच. <u>प्रसारण क्षेत्र (प्रसार भारती सहित)</u>

30. प्रसारण क्षेत्र को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात 'सामग्री' और कैरिज सेवाएं'। यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय-समय पर जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से निजी टीवी चैनलों और बहु-प्रणाली ऑपरेटरों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को भी नियंत्रित करता है। ब्रॉडकास्टिंग कैरिज सेवाओं में मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)/लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ), डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटर, हेडेंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता शामिल हैं। यह डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को उनके संबंधित प्रचालनों के लिए लाइसेंस/अनुमति प्रदान करता है।

(i) <u>प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)</u>

31. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बीआईएनडी (बाइंड) योजना प्रसार भारती को इसके प्रसारण अवसंरचना, सामग्री विकास और सिविल कार्य के विस्तार और उन्नयन से संबंधित खर्चों के लिए सरकारी सहायता प्रदान करने का एकमात्र साधन है। बीआईएनडी स्कीम की मूल विशेषताएं/उद्देश्य आधुनिकीकरण (डिजिटाइजेशन सहित), ट्रांसमीटरों, प्रसारण उपकरणों और स्टूडियो का संवर्धन और प्रतिस्थापन, एफएम विस्तार/प्रतिस्थापन, संवेदनशील क्षेत्रों में कवरेज का सुदृढ़ीकरण, टीवी चैनलों का विस्तार, ई-गवर्नेंस, विषय-वस्तु विकास आदि हैं।

32. बीआईएनडी योजना में निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सीमा क्षेत्र अवसंरचना को सुदृढ़ करने और जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रसार भारती को सहायता भी प्रदान की जाती है:

(i) वामपंथी उग्रवाद और सामरिक स्थानों के सीमावर्ती जिलों में एफएम स्टेशन।

(ii) दूरदर्शन डीटीएच सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) का वितरण रणनीतिक क्षेत्रों में: पहले चरण के तहत बीआईएनडी योजना 2017-21 के तहत जम्मू और कश्मीर और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 1,50,000 एसटीबी के वितरण को मंजूरी दी गई थी। 2019-20 में 30,000 एसटीबी वितरित किए गए हैं। शेष 12 लाख एसटीबी के लिए खरीद प्रक्रियाधीन है।

33. पिछले डीएफजी (2022-23) के दौरान, यह पाया गया था कि 2021-22 के दौरान प्रसार भारती की कुछ परियोजनाएं/योजनाएं प्रभावित हुई थीं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) गुजरात के दाहोद में आकाशवाणी परियोजना के लिए स्थल की अनुपलब्धता; (ii) 5 किलोवाट मोबाइल एफएम ट्रांसमीटरों की खरीद के लिए निविदा की अपर्याप्त भागीदारी (iii) 12 लाख डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) रिसीव सेटों की खरीद; (iv) गंगटोक में टावर सुदृढ़ीकरण कार्य; आदि। इस वर्ष के दौरान प्रदान की गई सीएसएस अर्थात बीआईएनडी योजना में से एक के अंतर्गत कम उपयोग के कुछ कारण हैं एफएम परियोजना जैसे मोबाइल एफएम ट्रांसमीटर आदि की निविदा का तकनीकी कारणों से रद्द होना; 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों की आपूर्ति में देरी और लागत कारक के कारण दाहोद (गुजरात) में साइट के अधिग्रहण में देरी; आदि। उच्च लागत के कारण दाहोद (गुजरात) में साइट के अधिग्रहण के लंबित मुद्दे के साथ-साथ उसे हल करने के लिए किए गए उपायों और उसके परिणाम के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"पूर्व में प्रस्तावित स्थल की उच्च लागत को देखते हुए मामले पर आगे कार्रवाई की गई और वैकल्पिक स्थल (साइट) की पहचान कर ली गई है जो राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है।

परियोजना के लिए साइट की व्यवहार्यता के आकलन के लिए सीसीडब्ल्यू के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से इस साइट की जांच की गई है और तदनुसार सीसीडब्ल्यू ने सूचित किया है कि साइट की विकास लागत लगभग 5 करोड़ रु. होगी। हालांकि, साइट तक पहुंचने के लिए उचित पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण, जोनल कार्यालय ने एप्रोच रोड उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है और शीघ्र ही अनुकूल निर्णय प्राप्त होने की संभावना है।"

34. बीआईएनडी के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 2023-24 के बजट अनुमान के साथ बजटीय आवंटन और उपयोग निम्नानुसार है:-

प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (प्रसार भारती)					**(रुपये करोड़ में)**
वर्ष	**ब.प्रा.**	**सं.प्रा.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.प्रा. के संदर्भ में प्रतिशत**	**सं.प्रा. के संदर्भ में प्रतिशत**
2019-20	473.00	235.40	235.40	49.77	100.00
2020-21	370.00	173.90	176.46	47.69	101.47
2021-22 #	316.00	175.00	161.68	51.16	92.39
2022-23	315.00	315.00	117.29*	37.23	37.23
2023-24	600.00				
(*) वास्तविक व्यय 31.01.2023 तक।					
(#) इस योजना के तहत आवंटन अंतिम अनुदान 2020-21 में बढ़ाकर 182.03 करोड़ रु. कर दिया गया।					

35. बीआईएनडी के लिए निधि का वर्ष-वार ब्यौरा मांगे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

(रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष	**वर्ष-वार आवंटन**	**व्यय**
2021-22	159.85	159.85
2022-23	315.00	83.94*
2023-24	600.00	

2024-25	750.00	
2025-26	714.76	
कुल	**2539.61**	
*जनवरी 2023 तक व्यय।		

36. बीआईएनडी योजना के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग के कारणों के बारे में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

i. तकनीकी कारणों से एफएम प्रोजेक्ट जैसे मोबाइल एफएम ट्रांसमीटर आदि की निविदा रद्द कर दी गई थी। कुछ जगहों पर टावर लगाने का काम चल रहा है। 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों की आपूर्ति में भी देरी हुई। दाहोद (गुजरात) में साइट के अधिग्रहण में भी लागत के लिहाज से देरी हो रही है।

ii. अपलिंक एंटीना प्रणाली (7 स्थानों) और 11 स्थानों के लिए यूपीएस प्रणाली के लिए एसआईटीसी के लिए डब्ल्यूपीसी से निर्णय पत्र (डीएल) की प्राप्ति में विलंब।

iii. डीडीके हैदराबाद में एंड टू एंड फाइल आधारित वर्कफ्लो सिस्टम के एसआईटीसी को विभिन्न तकनीकी कारणों और केंद्र की तकनीकी आवश्यकता के कारण फर्म द्वारा विलंबित किया गया है। व्यय को चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी वित्त वर्ष 2022-23 में दर्ज किए जाने की उम्मीद है।

iv. अभिलेखीय प्रणाली एलटीओ के अधिप्राप्ति की निविदा प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गयी है।

v. बोलीदाताओं की सीमित भागीदारी के कारण डीडी फ्री डिश रिसीवर सेट की खरीद के लिए निविदाओं को रद्द करना, बोली लगाने वालों की कम भागीदारी के कारण अनुचित उच्च मूल्य बोलियां/उद्धृत दरें।

vi. आईआईटी गुवाहाटी की रिपोर्ट के आधार पर सीसीडब्ल्यू की सिफारिश के आधार पर गंगटोक में टावर सुदृढ़ीकरण कार्य में देरी हुई।

vii. कुछ सामग्री मामलों में उत्पादकों द्वारा समझौते के नियमों और शर्तों का पालन न करने के कारण कुछ देरी हुई।

37. बीआईएनडी योजना के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग के मुद्दे पर सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

"सर, एक विषय था कि प्रसार भारती में बाइंड में खर्च कम होता है, उसका कारण यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और बॉर्डर एरियाज में

जो सेट टॉप बॉक्सेज डीडी फ्री डिश के देने पड़ते हैं, उसमें एमएचए से हमें लिस्ट प्राप्त होनी चाहिए कि किस हाउस-होल्ड को हमें सेट टॉप बॉक्स देना है। हमारा उद्देश्य लगभग 9 लाख सेट टॉप बॉक्सेज बांटने का है। एमएचए से हमारी इस संबंध में बैठकें भी हुई और चर्चा भी हुई। अब उन्होंने इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया है, जिसमें संबंधित जिले के कलेक्टर्स और उनके अधिकारी यह भरें कि किसको सेटटॉप बॉक्स देना है। एक बार यह लिस्ट तैयार हो जाए, फिर सेटटॉप बॉक्स खरीदने की प्रक्रिया आगे हो पाएगी। इसमें एक नयी चीज यह हुई है कि पहले जैसे टेरेस्ट्रियल होता था, तो टेरेस्ट्रियल टीवी में आपने केवल एंटीना लगाया, उसे टीवी से जोड़ा और टीवी शुरू हो जाती थी। उसी में अब बीआईएस ने अपना एक नया स्टैंडर्ड निकाला है, जिसमें सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता नहीं रहेगी और टीवी के अंदर इन बिल्ट सेटटॉप बॉक्स आ जाएगा, जिससे सेटटॉप बॉक्स को खरीदे बिना कोई भी डीडी फ्री डिश को देख पाएगा। अब हमारी चर्चा 'एमईआईटीवाई' के साथ चालू है कि टीवी मैनुफैक्चरर्स पर यह अनुबंध किया जाए और उनको बाइंडिंग किया जाए कि यह सेटटॉप बॉक्स हर टीवी में रहेगा, जिससे सेटटॉप बॉक्स को खरीदे बिना कोई भी डीडी फ्री डिश को देख पाएगा। यह हमारा प्रयास है कि इस वर्ष हम यह कर पाएं।"

38. आगे, सचिव ने निम्नवत बताया:-

"हमारी पहली जो मेजर सेन्ट्रल सेक्टर्स स्कीम है, वह डीसीआईडी की है। इसमें स्कीम्स की पब्लिसिटी, सरकार के प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ की पब्लिसिटी और कैंपेन्स चलाए जाते हैं। ये चल ही रहा है। ब्रॉडकास्टिंग में दो हैं। एक तो हम कम्युनिटी रेडियो और प्रसार भारती को सपोर्ट करते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी कैपिटल और कंटेन्ट के लिए। हम वह देख रहे हैं। हमें 315 करोड़ रुपये आरई में मिले थे। अभी तक हम 117 करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाए हैं। इसमें बहुत सारे टेंडर्स हुए थे, जो हमें रिवाइज करने पड़े थे। हम कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हम अगले दो महीनों में कर पाएंगे। इसमें ऑल इंडिया रेडियो के 100 ट्रांसमीटर्स हैं और डीडी इंडिया का न्यूज रूम है, जोकि नया बनेगा। कुछ हो जाएगा और कुछ टेंडर्स न पूरे होने की वजह से हमें दोबारा करना पड़ा और फिर उसकी मियाद आगे बढ़ी थी। शायद हम इस साल पूरा न कर पाएं।"

39. बीआईएनडी योजना के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग के मुद्दे को शामिल करते हुए, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

"सर, पहला है- इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें बाइंड के अंतर्गत सरकार व संसद द्वारा अभी हाल ही में 4 जनवरी को कैबिनेट अप्रूवल और फिर बजट में 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान अगले 3-4 वर्षों के लिए उपलब्ध कराया गया है। विभिन्न कारणों से इसका जो खर्च है, व्यय है, उसकी दर कुछ हद तक जरूर कम रही है, जिस पर माननीय सदस्यों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। इसमें मैं आपको यह अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी तरफ से अब इसकी कार्रवाई को पूरी गति से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जो ई-प्रोक्योरमेंट के विभिन्न पोर्टल्स हैं, जैसे जेम है या अन्य साधन हैं, उनमें आज की तारीख में लगभग 687 करोड़ रुपये के टेंडर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, जोकि विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए है। जो ट्रांसमीटर हैं या हमें जो इक्वीपमेंट्स खरीदने हैं या स्टूडियो अपग्रेड करने हैं या वीडियो वॉल्स देनी है, तो 687 करोड़ रुपये के टेंडर्स इस वक्त ऑलरेडी लग चुके हैं। हमारा प्रयास है कि हम और तेजी से इनको आगे बढ़ाएंगे। अभी तक इस वर्ष का जो व्यय है, वह जरूर कुछ कम रहा है लेकिन प्रयास करके मार्च तक हम उसको जितना आगे तक ले जा सके, उसकी हम कोशिश करेंगे।"

40. उपर्युक्त कारकों, जिसके परिणामस्वरूप निधियों का कम उपयोग हुआ था, में से प्रत्येक का हल करने के लिए किए गए नियोजित उपायों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर प्रस्तुत किया:-

i. "आवश्यकता की विशिष्ट प्रकृति के कारण मोबाइल एफएम परियोजना में देरी हुई थी क्योंकि एकल आपूर्ति के रूप में एंटीना और टावर के साथ ट्रांसमीटर और कंटेनर के लिए मुख्य एकीकरण आवश्यक है। इसका अब समाधान किया गया है और इस परियोजना को लागू करने के लिए रोड मैप को मंजूरी दे दी गई है। ट्रांसमीटर, टावरों और कंटेनरों के लिए विनिर्देशों पर अलग से कार्रवाई की जा रही है।

निविदा रद्द होने के कारण, टावर लगाने में देरी हुई। अब सभी टावर निविदा प्रक्रिया के अंतिम चरण में है और 2023-24 के दौरान पूरी कर ली जाएगी।

10 किलोवाट के 4 ट्रांसमीटर प्रेषण के तहत हैं। शेष 10 किलोवाट के 5 एफएम ट्रांसमीटर की आपूर्ति दिसंबर, 2023 से पहले की जाएगी।

ii. एफएम दाहोद के लिए साइट का अधिग्रहण अंतिम चरण में है क्योंकि राज्य सरकार ने निःशुल्क वैकल्पिक साइट प्रदान की है। हालांकि, विकास कार्य किए

जाने की जरूरत है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा एप्रोच रोड उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में राज्य सरकार के साथ समन्वय प्रगति पर है। तदनुसार, सीसीडब्ल्यू द्वारा प्रदान किए गए अनंतिम प्राक्कलन के अनुसार 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे।

iii. डब्ल्यूपीसी और एनओसीसी के साथ उच्चस्तर पर मामला उठाया गया। सभी पीडीए 7 साइटों पर प्राप्त हो गए हैं। लखनऊ, अहमदाबाद और भुवनेश्वर में इनकी स्थापना पूरी की गई है। शेष 4 स्थानों पर इन्हें लगाने का कार्य प्रगति पर है और मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 11 स्थानों पर यूपीएस सिस्टम लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

iv. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थल भ्रमण एवं समीक्षा बैठक की गई। डीडीके हैदराबाद में एंड टू एंड फाइल आधारित वर्कफ्लो प्रणाली के एसआईटीसी के लिए उपकरणों की आपूर्ति पूरी हो चुकी है और एनएलई/ग्राफिक्स और बैट सर्वर के साथ सिस्टम इंटीग्रेशन अंतिम चरण में है। परियोजना को मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस पायलट परियोजना से प्राप्त जानकारी/फीडबैक/अनुभव का उपयोग भविष्य में ऐसी परियोजनाओं को लागू करते समय किया जाएगा।

v. नई स्कीम के तहत, केन्द्रों के लिए एंड टू एंड फाइल आधारित वर्क फ्लो का प्रावधान है और एलटीओ घटक फाइल आधारित वर्क फ्लो सुविधा का भाग है, इसलिए बीआईएनडी 2021-26 के तहत नियोजित फाइल आधारित वर्क फ्लो सुविधा को लागू करते समय एलटीओ के प्रावधान का ध्यान रखा जाएगा।

vi. एसटीबी के साथ 8.7 लाख नॉन-सीएएस, नॉन-आरपीडी डीटीएच रिसीवर सेट की खरीद के लिए 13.09.2022 को प्रसार भारती को अनुमोदन संसूचित कर दिया गया है। प्रसार भारती आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) मोड के तहत सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) की साइट पर स्थापना की शर्त के साथ एक निविदा जारी कर रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि लगभग 8.7 लाख लाभार्थियों के पते एकत्रित किए जाएं। गृह मंत्रालय के अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) के साथ 8.2.2023 को आयोजित समन्वय बैठक में अब यह निर्णय लिया गया है कि लाभार्थियों के डेटा एकत्र करने के लिए प्रसार भारती द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय करेंगे कि डेटा

एकत्र किया गया है, जिसके बाद प्रसार भारती द्वारा सेट टॉप बॉक्स के वितरण के लिए निविदा जारी की जाएगी।

vii. मामले को उच्चतम स्तर पर उठाया जा रहा है। सीसीडब्ल्यू को सलाह दी गई है कि वह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और एसईआरसी चेन्नई से पहाड़ी ढलान के धंसने और टीवी टावर की स्थिरता और झुकाव पर राय लें। उक्त अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।

viii. प्रसार भारती द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने और सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, अब एक व्यापक सामग्री खरीद नीति को मंजूरी दी गई है। यह नई व्यापक सामग्री खरीद नीति, विभिन्न खरीद मॉडल के तहत सामग्री की खरीद के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।

41. उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय ने बीआईएनडी के तहत उपयोग में सुधार के लिए परिकल्पित कदमों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी भी प्रस्तुत की है:-

i. अधिकांश प्रसारण उपकरण भारत में बिना किसी उत्पादन के आयात किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। कोविड-19 महामारी के कारण भी उपयोग में कमी आई है, जिसके दौरान दुनिया भर में मनुष्य और सामग्री की आवाजाही प्रभावित हुई थी।

ii. सूचना और प्रसारण मंत्रालय समय-समय पर प्रसार भारती के व्यय की समीक्षा करता रहा है और प्रसार भारती को सलाह दी गई है कि वह भौतिक और वित्तीय प्रगति के दृष्टिकोण से कम से कम मासिक आधार पर शुरू की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करे और उसकी निगरानी करे। इसके अलावा, प्रसार भारती को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मासिक और वार्षिक व्यय योजना प्रस्तुत करने की भी सलाह दी गई है। व्यय की प्रगति पर भी वरिष्ठ स्तर पर पैनी नजर रखी जा रही है।

iii. प्रसार भारती का यह निरंतर प्रयास है कि परियोजनाओं को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। निगरानी तंत्र को काफी मजबूत किया गया है। खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है। जोनल स्तर और मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से परियोजना समीक्षा बैठकें आयोजित की

जाती हैं और प्रमुख उपकरणों की खरीद और कार्यों के निष्पादन में शामिल विभिन्न गतिविधियों का गंभीरता से मूल्यांकन किया जाता है और लक्ष्य तय किए जाते हैं। निदेशालय और प्रसार भारती सचिवालय के सभी स्तरों पर निगरानी बैठकों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई-ऑफिस, ई-टेंडरिंग, जेम के माध्यम से खरीद, वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी उपयोग किया जा रहा है।

iv. प्रसार भारती ने स्कीम के लिए निधि जारी करने हेतु ई-ऑफिस, ईमेल, सीएएस (सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर) और टीएसए जैसे कार्यालय के कामकाज में डिजिटल तकनीकों को अपनाया है। इससे व्यवस्था तेज, कुशल और पारदर्शी हो गई है। परियोजनाओं की प्रगति के साथ-साथ कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने के लिए एक समर्पित आईपीएमसी (एकीकृत परियोजना निगरानी कक्ष) बनाया गया है।

v. प्रसार भारती द्वारा एक व्यापक सामग्री खरीद नीति को मंजूरी दी गई है जो विभिन्न खरीद मॉडलों के तहत सामग्री की खरीद के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।

vi. इसके अलावा, प्रसार भारती बोर्ड (पीबीबी) द्वारा सामग्री खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए कई नई नीतियों को मंजूरी दी गई है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- डीएपी (प्रत्यक्ष समनुदेशन प्रक्रिया) के तहत कार्यक्रम शुरू करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है।
- लाइसेंस प्राप्त रेडी-मेड ऑडियो-विजुअल सामग्री के अधिग्रहण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है
- प्रसार भारती प्लेटफार्मो के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क- 2021 पर फीचर फिल्मों की खरीद के लिए नीति।

(क) <u>दूरदर्शन</u>

42. मंत्रालय के अनुसार, 36 सैटेलाइट टीवी चैनल [8 अखिल भारतीय चैनल और 28 क्षेत्रीय/राज्य चैनल (चौबीसों घंटे के चैनलों की संख्या 21 और सीमित घंटों के 7 चैनल)]। हैं। विवरण निम्नवत है:-

अखिल भारतीय चैनल (8)	डी डी नेशनल	डीडी न्यूज	डीडी स्पोर्ट्स
	डीडी भारती	डीडी उर्दू	डीडी किसान
	डीडी इंडिया*	डीडी रेट्रो	
चौबीसों घंटे के क्षेत्रीय चैनल (21)	डीडी मलयालम	डीडी चंदना	डीडी यादगिरी
	डीडी पोधिगाई	डीडी सहयाद्री	डीडी गिरनार
	डीडी उड़िया	डीडी काशीर	डीडी नॉर्थ ईस्ट
	डीडी बांग्ला	डीडी पंजाबी	डीडी राजस्थान
	डीडी बिहार	डीडी यूपी	डीडी एमपी
	डीडी सप्तगिरी	डीडी अरुणप्रभा	डीडी उत्तराखंड
	डीडी झारखंड	डीडी छत्तीसगढ़	डीडी त्रिपुरा
सीमित घंटे के चैनल (7) (डीडी न्यूज/डीडी इंडिया चैनलों को स्थानीय सामग्री और फीड के जरिए चौबीसों घंटे आधार पर चालू किया गया)	डीडी हिमाचल	डीडी मेघालय	डीडी गोवा
	डीडी हरियाणा	डीडी नागालैंड	
	डीडी मिजोरम	डीडी मणिपुर	

**डीडी इंडिया चैनल की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति भी है।*

43. चैनलों के आधुनिकीकरण की स्थिति के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:-

"आधुनिकीकरण और सुविधाएं प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में समय-समय पर निधियों की उपलब्धता और अंतर-प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। हालांकि, सीमित घंटे वाले चैनलों को शुरू करने वाले केंद्रों में सुविधाओं को स्वतंत्र रूप से 24x7 आधार पर इसके संचालन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।"

44. वर्ष 2022-23 के दौरान दूरदर्शन के तहत निर्धारित और प्राप्त भौतिक लक्ष्य का विवरण प्रस्तुत करते हुए, मंत्रालय ने निम्नवत बताया: –

दूरदर्शन में क्षेत्र/परियोजनाएं/योजनाएं	**2022-23**		
	निर्धारित किए गए भौतिक लक्ष्य	**प्राप्त किया गया भौतिक लक्ष्य**	**लक्ष्य में कमी का कारण, यदि कोई हो।**
ट्रांसमीटरों का आधुनिकीकरण (डिजिटलीकरण सहित), विस्तार और प्रतिस्थापन	गंगटोक में बैलेंस टावर का सुदृढ़ीकरण कार्य।	जाधवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी गुवाहाटी रिपोर्ट के माध्यम से संरचनात्मक विश्लेषण के आधार पर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीडब्ल्यू ने डीडीके गंगटोक में टीवी टॉवर को हटाने की सिफारिश की है।	सीसीडब्ल्यू ने डीडीके गंगटोक में टीवी टॉवर को नष्ट करने की सिफारिश की, सीसीडब्ल्यू की टिप्पणियों की डीजी:डीडी के ट्रांसमीटर डिजाइन द्वारा समीक्षा की जा रही है
सैटेलाइट प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन	7 स्थानों पर अपलिंक पीडीए का प्रतिस्थापन।	लखनऊ, अहमदाबाद और भुवनेश्वर को छोड़कर जहां एमपीवीटी को एनओसीसी द्वारा मंजूरी दे दी गई है, शेष 4 स्थानों पर स्थापना प्रगति पर	मार्च 2023 में पूर्ण करने का लक्ष्य है

		है।	
स्टूडियो का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण	हैदराबाद में एंड टू एंड फ़ाइल आधारित कार्यप्रवाह सुविधा।	उपकरणों की आपूर्ति पूरी हो चुकी है, एनएलई/ग्राफिक्स और बीएटी सर्वर के साथ प्रणाली एकीकरण प्रगति पर है	मार्च 2023 में पूर्ण करने का लक्ष्य है
	4 स्थानों के लिए 2 एम/ई एचडी प्रोडक्शन स्विचर।	सभी 4 स्थानों पर आपूर्ति की गई।	कोई कमी नहीं
डीटीएच का विस्तार	देश के दूरस्थ, आदिवासी और वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों के लिए 1,20,000 डीटीएच सेट की खरीद।	योजना को बीआईएनडी योजना 2021-26 के वित्तीय वर्ष 2023-24 में परियोजना मोड के तहत खरीदे जाने वाले 7.5 लाख एसटीबी के साथ जोड़ा गया है। जीईएम के माध्यम से डीटीएच रिसीव सेट खरीदने के तौर-तरीकों का भी पता लगाया जा रहा है।	1.2 लाख पूर्व प्रस्ताव के साथ प्रोजेक्ट मोड 2021-26 के तहत अतिरिक्त 7.5 लाख को शामिल करने के दायरे की समीक्षा। लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्रालय के साथ काम करना
	पीतमपुरा में	पीतमपुरा में सी-	मार्च 2023 में पूर्ण करने

	सी-बैंड डीटीएच ई/एस का उन्नयन।	बैंड डीटीएच के क्रय विंग को प्रस्तुत की गई तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया	का लक्ष्य है
	डीटीएच टोडापुर में कम्प्रेशन चेन और विविध उपकरणों का उन्नयन	डीटीएच टोडापुर के लिए, तकनीकी विनिर्देशों के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है और खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए इंडेंट खरीद विंग को प्रस्तुत किया जाएगा	उपकरणों की आपूर्ति मार्च 2023 में पूरी करने का लक्ष्य है
हाई डेफिनिशन टीवी (एचडीटीवी)	समाचार मुख्यालय, दिल्ली में स्वचालित समाचार निर्माण प्रणाली	समाचार मुख्यालय, दिल्ली में स्वचालित समाचार निर्माण प्रणाली ने परियोजना की फर्म द्वारा केवल प्रशिक्षण भाग पूरा किया है।	मार्च 2023 में पूर्ण करने का लक्ष्य है
टीवी चैनलों का विस्तार	ईएफपी वैन (देहरादून के लिए)	आपूर्ति की गई।	कोई कमी नहीं
स्टाफ क्वार्टरों सहित	चंडीगढ़ में गेस्ट	कार्य प्रगति पर है।	चंडीगढ़ प्राधिकरण से

सिविलअवसंरचना का आवर्धन तथा अन्य विविध कार्य सिविल करता है।	हाउस की फर्निशिंग।		एनओसी जारी करने में देरी हुई।
	1 स्थान पर टावर को पूरा करने, ट्रांसमीटरों को स्थानांतरित करने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए शेष कार्य	अंचल कार्यालय (एनजेड) ने बेसिल को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने का आदेश दिया है।	देश में कोविड-19 की स्थिति और बाद में फर्म के साथ कुछ प्रशासनिक मुद्दों के कारण काम प्रभावित हुआ। फर्म मैसर्स बेसिल के साथ प्रशासनिक मुद्दों को एडीजी (एनजेड) कार्यालय द्वारा हल किया जाना है
संवेदनशील क्षेत्रों में कवरेज को मजबूत करना [आकाशवाणी घटक]	पटनी टॉप, ग्रीन रिज में तीन 10 किलोवाट एचपीटी की स्थापना।	संयुक्त निरीक्षण के दौरान अंचल कार्यालय को टिप्पणियों के अनुरूप सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। जल्द ही चालू होने की संभावना है।	स्थल पर निरीक्षण पूरा हो गया है। प्रोजेक्ट को मार्च 2023 में पूरा करने का लक्ष्य है।
	राजौरी में दो 5 किलोवाट एचपीटी की स्थापना।	स्थापना के बाद एसएटी पूरा किया गया है और कमीशनिंग के लिए ट्रांसमीटर तैयार हैं।	परियोजना को चालू करने का लक्ष्य मार्च 2023 तक पूरा करने का है

45. इस विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में कि किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास कोई अलग चैनल या सीमित घंटे नहीं हैं, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:-

"सिक्किम राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों में समर्पित दूरदर्शन चैनल हैं। सिक्किम राज्य में गंगटोक में प्रोग्राम जनरेटिंग फैसिलिटी में एनालॉग टेरेस्ट्रियल और लोकल केबल नेटवर्क पर स्थानीय प्रसारण घंटे हैं।"

46. दर्शकों की संख्या के संदर्भ में अपने क्षेत्रीय चैनलों सहित दूरदर्शन की पहुंच के बारे में, मंत्रालय ने जानकारी दी कि:–

"ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में क्षेत्रीय/राज्य चैनलों सहित दूरदर्शन नेटवर्क चैनलों की कुल व्यूअरशिप 1551 लाख है।"

47. दूरदर्शन को अपनी पहुंच का विस्तार करने में आने वाली चुनौतियों और उन चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए उपायों के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:–

"निजी डीटीएच ऑपरेटरों और केबल नेटवर्क पर दूरदर्शन चैनलों की स्थिति एक बड़ी चुनौती है। इस संबंध में निजी डीटीएच ऑपरेटरों और केबल नेटवर्क हेतु सक्रिय रूप से पालन करने के लिए घरेलू वितरण नामक एक अलग प्रभाग बनाया गया है।"

48. सभी डीडी केंद्रों के डिजिटलीकरण की अद्यतन स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:–

"दूरदर्शन नेटवर्क के सभी डीडी चैनल पूरी तरह से डिजीटल हैं। तथापि, स्थलीय प्रसारण एनालॉग मोड में प्रसारित किया जा रहा है।"

49. यह पूछे जाने पर कि क्या डीडी के सभी अभिलेखागारों का डिजिटलीकरण किया गया है मंत्रालय ने उत्तर दिया कि अभिलेखागार को यथासंभव डिजिटाइज़ किया गया है और शेष डिजिटलीकरण को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मुद्दे पर प्रसार भारती के सीईओ ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत जानकारी दी:–

"जहां तक आर्काइव्स का सवाल है, आर्काइव्स में लगभग 40 हजार घंटे का कंटेंट है, जोकि प्रसार भारती के द्वारा ऑलरेडी आर्काइव और डिजिटाइज किया जा चुका है। अभी भी काफी संख्या में हमारा जो आर्काइवल मटैरियल है, वह हमारे रीजनल सेंटर्स में हैं। एक विशिष्ट योजना बनाकर हम आने वाले दिनों में प्रयास करेंगे कि आर्काइव्स का एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन और डिजिटाइजेशन करके उसका उपयोग कर सके"।

50. इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से केंद्र के पास उपलब्ध अभिलेखों की खरीद और अभिलेखागार तक आसान पहुंच के लिए किए गए प्रयासों के बारे में मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:–

> "जनहित की अभिलेखीय सामग्री को यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति विभिन्न अभिलेखीय नीतियों के दायरे में रिकॉर्डिंग/मीडिया खरीदने के लिए ईमेल के माध्यम से केंद्रीय अभिलेखागार से संपर्क कर सकते हैं। प्रसार भारती की वेबसाइट पर इस आशय की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है।"

51. ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट (बीआईएनडी) योजना के तहत किए गए ट्रांसमीटरों, स्टूडियो आदि के डिजिटलीकरण में हुई प्रगति के बारे में मंत्रालय ने बताया कि:-

> "डीडी नेटवर्क के स्टूडियो और सैटेलाइट पहले से ही डिजीटल हैं। सभी डीटीटी ट्रांसमीटर 31/10/2022 से बंद हो गए। डिजिटलीकरण की योजना के तहत कोई नई योजना नहीं है।"

(Ref. Q. 78 of 1st LoP)

52. डिजिटलीकरण के लिए उपकरणों की खरीद की वर्तमान स्थिति और खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए, मंत्रालय ने बताया कि:–

> "दूरदर्शन उपकरणों का डिजिटाइजेशन पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। सभी प्रमुख केंद्रों के डीडी स्टूडियो, अर्थ स्टेशन और ओबी वैन का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। प्रौद्योगिकी नवाचार के आधार पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में उपकरणों का आवश्यक उन्नयन किया जा रहा है। खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रसार भारती ने जून 2022 में नई खरीद नीति पेश की है। साथ ही प्रसार भारती के शीर्ष प्रबंधन स्तर पर एकीकृत परियोजना निगरानी सेल (आईपीएमसी) की समीक्षा की जा रही है।"

(Ref. Q. 79 of 1st LoP)

53. समिति को दी गई लिखित जानकारी में मंत्रालय ने बताया है कि डिजिटल स्थलीय प्रसारण में भावी प्रौद्योगिकी निवेश आईआईटी कानपुर द्वारा अनुशंसित अभिसरण रोडमैप और

इसकी व्यवहार्यता पर आधारित होगा। इसके पूरा होने की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:–

> "समय-सीमा आईआईटी कानपुर द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अवधारणा के प्रमाण पर निर्भर है। आईआईटी कानपुर के साथ इसका अवलोकन और पालन किया जाता है।"

54. एमआईबी द्वारा साक्ष्य के समय वर्णित वर्ष 2022-23 के दौरान एमआईबी की कुछ उपलब्धियां निम्नवत हैं:–

क) **डीडी इंडिया चैनल के लिए डीडी न्यूज मुख्यालय में स्वचालित समाचार उत्पादन प्रणाली स्थापित की गई है और चालू करने के लिए तैयार है**

ख) **लगभग** 100 **स्थानों पर** 100 **वाट एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना**; **मार्च** 2023 **तक चालू किया जाएगा।**

55. डीडी इंडिया चैनल के लिए डीडी न्यूज मुख्यालय में स्थापित समाचार निर्माण प्रणाली के स्वचालन की प्रक्रिया के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी प्रदान की:-

	समिति द्वारा मांगी गई जानकारी	**मंत्रालय का जवाब**
i.	प्रारम्भ होने का समय,	दिनांक 18.12.2021को क्रय आदेश (एटी संख्या 1881) दिया गया।
ii.	स्थापना के समय निर्धारित पूरा क की लक्ष्य तिथि;	स्थापना के समय सितंबर, 2022 मेंपूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
iii.	पूरा करने की तिथि;	परियोजना के मार्च 2023 तकपूरा होने की संभावना है।
iv.	स्वचालन की उक्त प्रक्रिया को करने के लिए आवंटित और उपय की गई धनराशि;	इस परियोजना के लिए आवंटित निधियां4.36 करोड़ रु. में है औरअब तक 3.36 करोड़ रु. का उपयोग किया

		जा चुका है।
v.	देरी के कारण, यदि कोई हो; और	उपकरणों की पहली खेप समय पर पह दी गई। हालाँकि, उपकरणों की दूसरी की आपूर्ति अगस्त 2022 के अंत में गई थी। इसके अलावा, चूंकि केंद्र चौबी घटें केकामकाजी माहौल में है, इसी उपकरण कीस्थापना और एनआरसी क्लाइंट वर्कस्टेशन की स्थापनाके लि सबसे उपयुक्त स्थान खोजने के का परियोजना में थोड़ी देरी हुई है।
vi.	समाचार निर्माण प्रणाली के स्वचा को पूरा करने में आने वाली बाध को दूर करने के लिए किए गए उपा	केंद्र के दिन-प्रतिदिन केकार्यकलापों ज समाचार, रिकॉर्डिंग और लाइव प्रसार कार्यात्मक आवश्यकता के संबंध सर्वोत्तम स्थान का आवंटन और उपकर की स्थापना के लिए अग्नि सुर मानदंडों के अनुपालन से संबंधित स बाधाओं पर विचार करना।

56. मार्च 2023 तक चालू होने वाले लगभग 100 स्थानों पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी प्रदान की

	समिति द्वारा मांगी गई जानकारी	मंत्रालय का जवाब
(i)	एक टावर चालू करने में लगने वाला औसत (न्यूनतम और अधिकतम) समय;	साइट के स्थान के आधार पर एक 100वाटएफएम टावर को चालू करने में लगने वाला औसत (न्यूनतम और अधिकतम) समय 3 से 6 महीने है।
(ii)	विलंब के कारणों सहित, यदि कोई हो, चालू होने में **5** वर्ष से अधिक समय लेने वाले टावरों की संख्या।	किसी भी एफएम टावर को चालू करने में5 साल से ज्यादा का समय नहीं लगा है।
(iii)	विलंब के कारणों सहित, यदि कोई	किसी भी एफएम टावर को चालू करने

	हो, चालू होने में **5** वर्ष से अधिक समय लेने वाले टावरों की संख्या।	में 5 साल से ज्यादा का समय नहीं लगा है।
(iv)	लगभग **100** स्थानों पर उपरोक्त**100** वाट एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए अनुमोदन की तिथि,	100 वाट एफएमट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए अनुमोदन की तिथि - 18/3/2014
(v)	उपर्युक्त **100** वाटएफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए अनुमोदन स्तर पर निर्धारित लक्ष्य तिथि,	100 वाट एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए अनुमोदन स्तर पर निर्धारित लक्ष्य तिथि- 31/03/2017
(vi)	टावरों की संख्या जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण नहीं हुए थे,	10 एफएम टावरों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया था।
(vii)	देरी के कारण, यदि कोई हो,	प्रशासनिक कारणों से 100 वाट एफएम ट्रांसमीटरों की आपूर्ति के लिए बार-बार निविदा की गई। 100वाटएफएम ट्रांसमीटरों की आपूर्ति के लिए आदेश 4/6/2021 को डीपी के साथ,डब्ल्यूपीसी मंजूरी प्राप्त होने के 4 महीने बाद दिया गया।
(viii)	समाचार निर्माण प्रणाली के स्वचालन को पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए उपाय,	परियोजनाओं की प्रगति के साथ-साथ कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने के लिए एक समर्पित आईपीएमसी (एकीकृत परियोजना निगरानी कक्ष) बनाया गया है।
(ix)	लगभग **100** स्थानों पर **100** वाट एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए आवंटित और वास्तव में उपयोग की गई धनराशि।	100 वाट एफएम परियोजना के लिए आवंटित28.0 करोड़ रु. में से 16.12 करोड़ रु. की निधियों का उपयोग किया गया है।

57. डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म से संबंधित विवरण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रस्तुत किए:–

	समिति द्वारा मांगी गई जानकारी	मंत्रालय का जवाब
i.	भारत में टीवी वालेघरों की संख्या	मार्च 2022 की फिक्की ईएंडवाई एमएंडई रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में भारत में टीवी वाले घरों की कुल संख्या 168 मिलियन थी।
ii.	उन घरों की संख्या जिनमें डीडी फ्री डिश है/आज तक वितरित फ्री डिश की संख्या;	उद्योग की रिपोर्ट (मार्च 2022 की फिक्की ईएंडवाई एमएंडई रिपोर्ट) के अनुसार, भारत में 43 मिलियन टीवी वालेघरों में डीडी फ्री डिश है। अब तक देशभर में 96,000 डीडी फ्री डिश सेट निःशुल्क बांटे जा चुके हैं।
iii.	भारत में फ्री डिश की संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)	डीडी फ्री डिश चैनल प्राप्त करने के लिए दर्शक खुले बाजार से फ्री-टू-एयर सेट-टॉप-बॉक्स खरीदते हैं। इसलिए, भारत में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार फ्री डिश वाले घरों के संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
iv.	दक्षिणी भारत और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फ्री डिश प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय, जहां इनकी संख्या कम है।	प्रसार भारती ने फरवरी, 2023 में डीडी फ्री डिश ई-नीलामी नीति को संशोधित किया है। संशोधित नीति के अनुसार डीडी फ्री डिश के 03 एमपीईजी -2 स्लॉट को गैर-प्रतिनिधित्व वालीभाषाओं के चैनलों को आवंटित करने के लिए निर्धारित किया गया है, जो 3.0 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के आरक्षित मूल्य से काफी कम है।डीडी फ्री डिश पर आने वाले इन स्लॉट्स के लिए दक्षिण भारत के सभी भाषाई चैनल आवेदन करने और बोली लगाने के लिए पात्र हैं।
v.	डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म के उन्नयन और विस्तार के लिए	सरकार ने हाल ही में डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म की क्षमता विस्तार हेतु2021-26 के लिए बीआईएनडी

	योजना और बजटीय आवंटन।	स्कीम के तहत114.50 करोड़ रु. की राशि आवंटित की है।
vi.	ऐसा करने में प्रत्याशित बाधाओं के ब्यौरे तथा मुद्दों के समाधान के लिए परिकल्पित कार्ययोजना।	शून्य
vii.	बोलीदाताओं की सीमित भागीदारी और बोलीदाताओं की कम भागीदारी के कारण अनुचित उच्च मूल्य बोलियाँ/उद्धृत दरों के कारण डीडी फ्री डिश रिसीवर सेट की खरीद के लिए निविदा रद्द करने के मुद्दे का समाधान करने के लिए किए गए उपाय।	अधिक निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए डीडी फ्री डिश रिसीवर सेट के तकनीकी विनिर्देशों को सीएएस, आरपीडी एसटीबी से नॉन-सीएएस, नॉन-आरपीडी एसटीबी में संशोधित किया गया है और तदनुसार खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है।
viii.	2023-24 के दौरान डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म के उन्नयन और विस्तार की योजना	2023-24 में डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म की क्षमता को 168 एसडीटीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा, शेष चार कम्प्रेशन चेन और डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म की निगरानी प्रणाली काउन्नयनएमपीईजी-4 कम्प्रेशन सिस्टम में किया जाएगा।
ix.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दूरदर्शन की फ्री डिश सेवा नहीं होने के कारण।	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सैटेलाइट (डीटीएच सेवाएं) फुटप्रिंट से बाहर हो गया है। डीडी फ्री डिश सेवाएं जीसैट-15 सैटेलाइट के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण भारत की मुख्य भूमि को कवर करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सी-बैंड जीसैट-17 सैटेलाइट के माध्यम सेविशेष 10 चैनल सी-बैंड डीटीएच सेवा प्रचालन में है।
x.	टीवी में इन-बिल्ट सेट टॉप बॉक्स कब तक बाजार में उपलब्ध होंगे	दिसंबर, 2022 में बीआईएस, उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी टीवी सेटों (एलईडी/एलसीडी आदि) में एनालॉग टीवी ट्यूनर के स्थान पर बिल्ट-इन सैटेलाइट ट्यूनर के लिए बीआईएस

		मानक की राजपत्र अधिसूचना जारी की है।

58. फ्री डिश के मुद्दे पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान निम्नवत जानकारी दी:-

"सर, डीडी फ्री डिश प्लेटफार्म को हम और बड़ा करना चाह रहे हैं। हमें लार्जर सेटेलाइट फुटप्रिंट मिला हैं, हमें सेटेलाइट पर ज्यादा ट्रांसपोंडर स्पेस मिला है। बॉर्डर, एलडब्ल्यूई और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स में लोग दूरदर्शन को देखें, उसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत सेट-टॉप बॉक्सेज को सरकार द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा"।

59. फ्री डिश के मुद्दे पर विस्तार भारती के सीईओ ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत जानकारी दी:–

"जहां तक फ्री डिश का सवाल है, फ्री डिश के बारे में दो-तीन प्रमुख बातें यह है कि भारत में कुल 21 करोड़ के आस-पास टीवी होम्स हैं, जो सर्वेक्षण के आधार पर है। उन 21 करोड़ में से लगभग 4.5 करोड़ यानी लगभग 22 से 23 प्रतिशत जो है, वह फ्री डिश परहै। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो केवल विस्तार की दृष्टि से वह भारत का सबसे बड़ा डीटीएच नेटवर्क है। लेकिन फ्री होने के कारण उसमें समय-समय पर कुछ इश्युज भी रहे हैं, जिससे उसके प्रसार में हम थोड़ी सी वृद्धि और कर सकते हैं। अभी एडिशनल ट्रांसपोंडर्स और बाइंड के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, उनके माध्यम से हम यह प्रयास लगातार जारी रखेंगे कि हम लोग फ्री डिश को और तेजी से आगे बढ़ा सके। जैसा सचिव महोदय ने अभी बताया कि एमएचए से जानकारी मिलने में थोड़ा समय लगा। अब हम प्रयास करेंगे कि लगभग 8.7 लाख जो हाउसहोल्ड्स हैं, जिनको बाइंड के अंतर्गत सेट-अप बॉक्सेस दिए जाने हैं, हम उनकी जानकारी शीघ्रातिशीघ्र एकीकृत करके उसके आधार पर एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। अकेले इसी आइटम के लिए बाइंड में लगभग 270 करोड़ रुपये का प्रावधान है। हम वह काम जितना तेजी से करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर भी उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा"।

(ख) <u>आकाशवाणी (एआईआर)</u>

60. वर्ष 2022-23 **के लिए प्रसार भारती और आकाशवाणी को आवंटित कुल निधि के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत विवरण प्रदान किए:–**

केंद्रीय क्षेत्र योजना (बीआईएनडी)	
बीआईएनडी स्कीम के तहत प्राप्त अनुदान	315.00 करोड़ रुपये

आकाशवाणी के लिए आवंटित निधि	84.09 करोड़ रु.
अन्य केंद्रीय व्यय	सं.प्रा. 2022-23 में 2764.51 करोड़ रुपये
आकाशवाणी के लिए आवंटित निधि	1262.10 करोड़ रु.

61. आकाशवाणी के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों के बीई, आरई और एई निम्नवत हैं:-

(करोड़ रुपये में)

आकाशवाणी					
वर्ष	**ब.प्रा.**	**सं.प्रा.**	**वास्तविक व्यय**	**बजट प्राक्कलन के संदर्भ में वास्तविक व्यय की प्रतिशतता**	**संशोधित प्राक्कलन के संदर्भ में वास्तविक व्यय की प्रतिशतता**
2019-20	192.44	105.78	101.69	52.84%	96.13%
2020-21	132.00	58.72	57.22	43.35%	97.45%
2021-22	140.05	60.68	60.26	43.03%	99.31%
2022-23	160.51	84.09	35.91*	22.37%	42.70%
2023-24		-	-	-	-

62. मंत्रालय के अनुसार, आकाशवाणी के 501 स्टेशन पूरे भारत में फैले हुए हैं, जिसमें 229 स्टेशन स्थानीय रूप से कार्यक्रम के निर्माण के लिए स्टूडियो सुविधाओं और 272 रिले स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों से कुल 653 ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं जिनमें 524 एफएम ट्रांसमीटर, 122 मेगावाट ट्रांसमीटर और 7 एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर शामिल हैं जो देश के लगभग 90.0% क्षेत्र और लगभग 98% आबादी को स्थलीय कवरेज प्रदान करते हैं। स्थलीय प्रसारण के अलावा, आकाशवाणी के 48 चैनल दूरदर्शन डीटीएच प्लेटफॉर्म (डीडी फ्री डिश) पर उपलब्ध हैं, जिन्हें सेट टॉप बॉक्स (कू बैंड) का उपयोग करके पूरे देश में (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) रिसीव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल फोन पर "न्यूजऑनएयर" ऐप के माध्यम से लगभग 290 आकाशवाणी चैनल रिसीव किए जा सकते हैं।.

(क) स्टूडियो का डिजिटलीकरण: आकाशवाणी ने कार्यक्रमों के निर्माण, भंडारण और पुनर्निर्माण के लिए अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण प्रदान करके आकाशवाणी स्टेशनों के 127 स्टूडियो का डिजिटलीकरण किया है। डिजिटली बोर्न द्वारा नए स्टूडियो स्थापित किए जा रहे हैं। 90 स्टूडियो का आंशिक डिजिटलीकरण भी किया जा चुका है

और योजनाओं की स्वीकृति के अनुसार आने वाले वर्षों में इसे पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाएगा।

(ख) ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण: कुल 122 मेगावाट ट्रांसमीटरों में से, आकाशवाणी में 38 डिजिटल ट्रांसमीटर (डीआरएम) और 84 एनालॉग ट्रांसमीटर हैं। 7 एसडब्ल्यू ट्रांसमीटरों में से, आकाशवाणी में 3 डिजिटल ट्रांसमीटर (डीआरएम) और 4 एनालॉग ट्रांसमीटर हैं।

63. समिति ने शेष ट्रांसमीटरों और स्टूडियो को डिजिटाइज़ करने की समय-सीमा के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। इस पर मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया :–

"वर्तमान में, स्टूडियो के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए स्वीकृत योजना है। यह कहा गया है कि इन स्टूडियो में कार्यक्रम का निर्माण, भंडारण और पुनर्निर्माण पहले से ही डिजिटल रूप से किया जा रहा है। इन स्टूडियो के एनालॉग उपकरण जैसे स्विचिंग/उद्घोषक कंसोल, मिक्सर आदि को आने वाले वर्षों में अनुमोदित स्कीम के अनुसार अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। एएम बैंड (एमडब्ल्यू और एसडब्ल्यू) में डिजिटल प्रसारण के लिए इकोसिस्टम रिसीवर की उच्च लागत के कारण अनुकूल नहीं है और एनालॉग एफएम प्रसारण में बेहतर इकोसिस्टम को देखते हुए, एमडब्ल्यू, एसडब्ल्यू और एफएम ट्रांसमीटरों के डिजिटलीकरण की योजना बीआईएनडी स्कीम (2021-26) के तहत नहीं बनाई गई है।"

64. वर्ष 2023-24 के दौरान आकाशवाणी के प्रदर्शन सुधारने के लिए योजनाओं के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत सूचना दी है:-

क. चल रही परियोजनाएं:

1. सात 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (महाराजगंज, हल्द्वानी, राजमुंदरी, रामपुर, कोकराझार, गुरेज और कुपवाड़ा), रामेश्वरम में 20 कलोवाट एफएम ट्रांसमीटर और दो 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर (चंपावत और नमसाई) की स्थापना और कमीशनिंग।
2. आकाशवाणी स्टूडियो के उन्नयन के लिए वर्कस्टेशन और साउंड कार्ड का प्रावधान।

3. जसपुर और दाहोद में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना और एलओसी के साथ 5 स्थानों पर 5 किलोवाट एफएम मोबाइल ट्रांसमीटरों का प्रावधान।

ख. नई परियोजनाएं:

1. 18 स्थानों पर एसटीएल का प्रतिस्थापन और प्रावधान।
2. 41 स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना।
3. 34 स्टूडियो का नवीनीकरण।
4. एसी प्लांट (38) और डीजल जेनरेटर (15) का प्रतिस्थापन
5. विजुअल स्टूडियो।

65. आकाशवाणी की कमियों और आकाशवाणी के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि::-

"आकाशवाणी का एक प्रमुख लक्ष्य शिक्षा, सूचना और मनोरंजन संबंधी सामग्री प्रदान करने के साथ देश के कोने-कोने तक पहुंचना है। दूसरे शब्दों में, आकाशवाणी को उचित सामग्री और व्यवस्था के साथ प्राथमिक लक्ष्य को पूरा करना है।

जहां तक शिक्षा, सूचना और मनोरंजन की सामग्री का संबंध है, आकाशवाणी काफी हद तक अपना काम संतोषजनक ढंग से कर रहा है, लेकिन जहां तक कैरेज का सवाल है, आकाशवाणी को तकनीकी प्रगति और प्रसारण के तरीके में बदलाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

रेडियो प्रसारण स्वयं को एमडब्ल्यू प्रसारण से एफएम प्रसारण में बदल रहा है और एफएम ट्रांसमीटरों द्वारा कवरेज का क्षेत्र केवल दृश्य रेखा तक सीमित है। नतीजतन, आकाशवाणी की पहुंच काफी कम हो गई है और आकाशवाणी को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर एफएममाइजेशन की आवश्यकता है। वर्तमान में, एआईआर के पास भौगोलिक स्थिति और क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व के आधार पर 1 किलोवाट से 20 किलोवाट तक की शक्ति वाले एफएम ट्रांसमीटरों के बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।

कार्यक्रम, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक विंग की श्रेणियों में प्रसार भारती के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के बीच उनके ठहराव, परिलब्धियों और वसूली आदि को लेकर बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं।

उपरोक्त के अलावा, प्रसार भारती बड़ी संख्या में अदालती मामलों का लगभग एक हजार के आसपास सामना कर रहा है, लगातार प्रयासों के कारण, आकाशवाणी कई ऐसे मामलों का प्रबंधन कर रहा है जो अंतिम रूप लेने के करीब हैं।

इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रसार भारती और मंत्रालय दोनों द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।"

66. आकाशवाणी में सामने आई समस्याओं और वर्ष 2022-23 के दौरान उन्हें दूर करने के लिए उठाए गए कदमों के विवरण के साथ-साथ आकाशवाणी में आने वाली चुनौतियों/बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों के ठोस परिणामों के संबंध में मंत्रालय ने बताया है कि:-

2022-23 के दौरान आकाशवाणी में देखी गई प्रमुख चुनौतियाँ/बाधाएँ	**2022-23 के दौरान आकाशवाणी में आई चुनौतियों/बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम**	**आकाशवाणी में आने वाली चुनौतियों/बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों के ठोस परिणाम**
1. विक्रेताओं की अपर्याप्त भागीदारी के कारण एफएम ट्रांसमीटरों के लिए टावरों का निर्माण।	संभावित विक्रेताओं की पहचान की गई और आपसी विश्वास विकसित करने के लिए विक्रेताओं के साथ बैठकें की गईं। टावर शेयरिंग के लिए बीएसएनएल और पावर ग्रिड से संपर्क किया गया है।	12 स्थानों पर टावर लगाने, 5 स्थानों पर टीई के तहत और 2 स्थानों पर टेंडर के तहत ऑर्डर दिया गया।
2. दाहोद में एफएम ट्रांसमीटर के लिए भूमि का अधिग्रहण	नियमित आधार पर राज्य सरकार के साथ पीछा किया जा रहा है	अभी तक सुलझाया जाना है।

67. रेडियो शैडो एरिया के मुद्दे पर समिति बताया कि मंत्रालय बीएसएनएल के साथ काम कर सकता है जो पहले से ही एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के लिए काम कर रही है। इस पर प्रसार भारती के सीईओ ने साक्ष्य के दौरान समिति को निम्नवत आश्वासन दिया:-

"सर, हम उनके साथ जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।जहां-जहां पर हमारे रेडियो के शैडो एरियाज़ हैं, उनको हम मैपिंग कर, उनके साथ मिल करही काम करेंगे, इसका आश्वासन मैं आपको देता हूँ"।

(ग) <u>सामग्री निर्माण और सामग्री खरीद नीति</u>

68. सामग्री निर्माण के संबंध में, साक्ष्य के दौरान एमआईबी के प्रतिनिधि ने बताया कि : -

"हम प्रसार भारती में कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जोर देंगे। बीच में हमारा फोकस इतना नहीं रहा, लेकिन अब हम दोबारा इस फोकस को लेकर आए हैं और एक नए कंटेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को नोटिफाई किया गया है"।

69. साक्ष्य के दौरान सामग्री से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत जानकारी देते हुए सचिव ने बताया कि : -

"जहां तक कंटेंट का सवाल है, मीडिया में कंटेंट इज किंग, एक सामान्य कहावत रहती है। कंटेंट में पूर्व में अनेक प्रकार की समस्याएं आई थीं, चाहे हमारी जो कार्यालयीन प्रणाली है, उससे संबंधित हो या फिर उस कंटेंट को लेकर जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंटेंट बनाने के लिए जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, उनको भी कहीं कुछ समस्याएं जरूर रही होंगी। इस दृष्टि से काफी मनन-चिंतन करके एक मीडिया नीति- हमने कंटेंट इक्विजिशन पॉलिसी तैयार की, लेकिन उसे नोटिफाइड करने से पहले हमने अपनी तरफ से प्रोएक्टिव्ली जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने पूर्व में हमारे साथ काम किया है, जो प्रोड्यूसर्स के एसोसिएशन्स हैं, वह ड्राफ्ट पॉलिसी हमने उन सबके बीच भी सर्कुलेट की। जनवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर तीन या चार हफ्ते तक हमने उनको समय देकर उन सभी से सुझाव भी मांगे थे कि हमारे साथ मिलकर कंटेंट बनाने के लिए किस प्रकार की समस्याएं उनको आती हैं। उनके सुझावों को समाहित करते हुए उसमें जो-जो मान्य करने योग्य थे, उन सभी सुझावों के आधार पर आवश्यक संशोधन करते हुए अभी इसी माह की 6 तारीख को हमारी जो कंटेंट एक्विजिशन की नई नीति है, उसको हमने जारी किया है, नोटिफाई किया है। उसमें हम विभिन्न माध्यमों से कंटेंट का एक्विजिशन करेंगे, जिसमें स्पोंसर्ड कार्यक्रम भी हो सकते हैं, जॉइंट प्रोडक्शंस भी हो सकते हैं, जिसमें उसका खर्चा प्रसार भारती और प्रोड्यसर मिलकर भी उठा सकते हैं। जो बने हुए कार्यक्रम हैं, उनको हम रॉयल्टी पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के विभिन्न माध्यम उसमें हमने समाहित किए हैं। आने वाले दिनों में हमारा प्रयास रहेगा कि इस नीति को जल्दी से जल्दी पूरी तरह से क्रियान्वित कराकर हम ऐसे कार्यक्रम ला सके, जिससे हम व्यूअर्स को अपने दूरदर्शन चैनल तक फिर से ला सके"।

70. सामग्री निर्माण और सामग्री खरीद नीति के लिए की गई पहलों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि : -

"1. कार्यक्रमों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, प्रसार भारती द्वारा अब एक व्यापक सामग्री खरीद नीति अधिसूचित की गई है। यहनीति विभिन्न खरीद मॉडलों{लाइसेंस शुल्क/रॉयल्टी, राजस्व हिस्सेदारी, बाहरी प्रायोजित कार्यक्रम, कमीशनिंग (प्रसार भारती या सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा पूर्ण वित्तपोषण), निःशुल्क} के तहत सामग्री की खरीद के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को परिभाषित करती है।

2. दूरदर्शन दर्शकों की आवश्यकता और रूचि के अनुसार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर अपने चैनलों की सामग्री को नया रूप देने की प्रक्रिया में है। प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस से नए कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतुपोर्टल खोलने सहित इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। डीडी नेटवर्क पर 'स्वराज: भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा' सहित कई मेगा शो शुरू किए गए हैं।

<u>हाल में की गई पहलें: दूरदर्शन</u>-

i. दूरदर्शन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर 75 एपिसोड का मेगा ऐतिहासिक शो "स्वराज: भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा" लॉन्च किया, जिसमें ऐसेस्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को दिखाया गया है, जिनमें से कई इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। हिंदी में निर्मित,इस शो को9 क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया जा रहा है और इसे डीडी नेशनल और दूरदर्शन के क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जा रहा है।

ii. सामग्री को नया रूप देने के लिए, दूरदर्शन ने "कारपोरेट सरपंच: बेटी देश की", "सुरों का एकलव्य" और "रग रग में गंगा-II" सहित कई नए शो प्रस्तुत किए। उच्च मनोरंजन मूल्य के साथ-साथ सामाजिक संदेश पर ध्यान देने के साथ कई नए शो पाइपलाइन में हैं/ निर्माणाधीन हैं।

iii. आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर, विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों ने अपने संबंधित राज्यों/क्षेत्रों के विस्मृतस्वतंत्रता सेनानियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के विषय पर वृत्तचित्र, लघु फिल्मों का निर्माण और प्रसारण किया।

iv. डीडी न्यूज द्वारा निर्मित "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की थीम पर एक साप्ताहिक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें एक राष्ट्र की भावना पर प्रकाश डाला गया है। युग्मित राज्यों के चैनल अपने युग्मित राज्यों के विभिन्न पहलुओं जैसे संस्कृति, परंपराओं, व्यंजनों आदि पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। इस विचार के अनुसरण मेंदूरदर्शन ने "काशी तमिल संगमम" पर कई कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण किया।

v. प्रौद्योगिकी और डिजिटल भारत को कवर करते हुए, दूरदर्शन नेटवर्क के चैनलों ने प्रौद्योगिकी के प्रसार को उत्प्रेरित करने के लिए कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण किया। दूरदर्शन ने देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित "स्मार्ट इंडिया हैकथॉन" को बड़े पैमाने पर कवर किया। विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम जैसे रोबोकॉन और साइबर अपराध पर कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

vi. डीडी न्यूज ने पुरस्कार विजेता स्टार्टअप्स की उपलब्धियों और भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए "स्टार्टअप चैंपियंस" के दो सीज़न का निर्माण किया।

vii. लोक प्रसारक के अधिदेश को पूरा करते हुए और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देते हुए, डीडी स्पोर्ट्स ने गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 को बड़े पैमाने पर कवर किया।इसमें बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 और शिलांग में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022, भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 भी शामिल हैं।

viii. लोगों और विशेष रूप से युवाओं को भारतीय आर्थिक विकास का अग्रणी बनाने के लिए कौशल भारत, मेक इन इंडिया आदि पर दूरदर्शन नेटवर्क चैनलों द्वारा कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया है।

ix. पहली बार डीडी न्यूज ने वर्ष 2022 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों के अवसर पर डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जहां सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के प्रमुख नेताओं को साक्षात्कार/बहस के लिए बुलाया गया ताकि लोग मतदान करते समय सूचित विकल्प चुन सकें। कॉन्क्लेव को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी।

x. डीडी न्यूज और इसकी क्षेत्रीय समाचार यूनिटों ने सरकार की स्कीमों और क्षेत्र में उनके कार्यान्वयन पर बड़ी संख्या में ग्राउंड रिपोर्ट को कवर किया है।

xi. इसके अलावा, सरकार की प्रमुख स्कीमोंऔर स्वास्थ्य, युवाओं, महिलाओं आदि से संबंधित मुद्दों पर नियमित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

3. नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया (एनएबीएम) टीवी निर्माण और प्रसारण के क्षेत्र में नवीनतम और अभिनव विकास के लिए दूरदर्शन जनशक्ति को परिचित और प्रशिक्षित करने के लिए प्रोग्रामऔर इंजीनियरिंग कर्मचारियों के लिए टीवी निर्माण और प्रसारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण का आयोजन और संचालन कर रहा है।

4. प्रायोजित धारावाहिकों के अलावा, बिक्री विभाग भी केंद्र और राज्य सरकार के विभागों जैसे ग्रामीण विकास, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी आदि से भुगतान के आधार पर निर्माण सहित प्रायोजित कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए संपर्क कर रहा है। निजी गैर सरकारी संगठनों और कारपोरेट से प्रायोजित कार्यक्रम प्राप्त करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।"

71. नई विषय-वस्तु अधिग्रहण नीति के माध्यम से इन-हाउस और निजी निर्माताओं दोनों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सामग्री के अधिग्रहण और निर्माण के लिए उल्लिखित रणनीतियों और बजटीय विवरणों के संबंध में, मंत्रालय ने उपर्युक्त पैरा में प्रस्तुत इनपुट के अलावा बताया कि:-

"प्रसार भारती जबरदस्त वित्तीय बाधाओं के बावजूद अपने आंतरिक और अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) से सामग्री निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराता है। सरकार ने प्रसारण अवंसरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) स्कीम के तहत सामग्री विकास के लिए भी निधियों को अनुमोदित किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान सामग्री निर्माण के लिए आकाशवाणीऔर दूरदर्शन के लिए आईईबीआरसे 353.32 करोड़ रुपये और बीआईएनडीके तहत 145.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।"

72. एक पारदर्शी सामग्री नीति के लिए किए गए उपायों के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि:-

"कार्यक्रमों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, एक व्यापक प्रसार भारती सामग्री खरीद नीति को अब अधिसूचित किया गया है। यहनीति विभिन्न खरीद मॉडलों के तहत सामग्री की खरीद के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को परिभाषित करती है।

हाल ही में प्रसार भारती ने टैलेंट बुकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसके द्वारा प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए कलाकारों को बुक किया जाता है।"

73. वित्त पोषण के संबंध में आत्मनिर्भरता की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि:-

(i) "बिक्री विभाग व्यवसाय प्राप्त करने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों से सीधे और एजेंसियों के माध्यम से भी संपर्क कर रहा है। प्रायोजित धारावाहिकों के अलावा, बिक्री विभाग भुगतान के आधार पर निर्माण सहित प्रायोजित कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि से भी संपर्क कर रहा है।

(ii) निजी गैर सरकारी संगठनों और कारपोरेट से प्रायोजित कार्यक्रम प्राप्त करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(iii) कार्यक्रम प्रमुखों को राजस्व सृजन के लिए सभी प्रयास करने को कहा गया है।

(iv) राजस्व की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है।

(v) हाल ही में, दूरदर्शन बिक्री दर कार्ड को बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संशोधित किया गया है।

(vi) सभी निर्माताओं से कहा जा रहा है कि वे सामग्री की परिकल्पना करते समय व्यावसायिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखें और मुद्रीकरण में बिक्री विभाग के साथ मिलकर काम करें।

(vii) अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए ज्यादा पंजीकृत एजेंसियों और बिक्री एजेंटों के माध्यम से बिक्री टीम को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं।"

74. दूरदर्शन को निजी क्षेत्र से मिलने वाले विज्ञापनों के प्रतिशत के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल कॉर्पोरेट राजस्व 16% था और चालू वित्त वर्ष के लिए, कॉर्पोरेट राजस्व का योगदान लगभग 18% होगा।

75. निजी क्षेत्र से अधिक विज्ञापन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नानुसार सूचित किया कि:-

(i) बिक्री विभाग व्यवसाय प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों से सीधे और एजेंसियों के माध्यम से भी संपर्क कर रहा है।

(ii) कार्यक्रम प्रमुखों को राजस्व सृजन के लिए सभी प्रयास करने को कहा गया है।

(iii) राजस्व की मॉनीटरिंग नियमित रूप से की जा रही है।

(iv) हाल ही में, दूरदर्शन बिक्री दर कार्ड को बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संशोधित किया गया है।

(v) सभी निर्माताओं से कहा जा रहा है कि वे सामग्री की परिकल्पना करते समय व्यावसायिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखें और मुद्रीकरण में बिक्री विभाग के साथ मिलकर काम करें।

(vi) अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए अधिक पंजीकृत एजेंसियों और बिक्री एजेंटों के माध्यम से बिक्री टीम को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं।

(घ) <u>प्रसार भारती में मानव संसाधन</u>

76. पिछले डीएफजी (2022-23) के दौरान, आकाशवाणी और दूरदर्शन में रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार देखी गई थी: -

यूनिट	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्ति
आकाशवाणी	26,129	10,810	15,319
दूरदर्शन	19,662 (एडीआरपी के 2002 से 2008-09 के तहत समाप्त किए गए 2,038 पदों को छोड़कर)	9,793	9,869
Total	**45,791**	**20,603**	**25,188**

77. आकाशवाणी और दूरदर्शन में रिक्तियों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी:-

यूनिट	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्ति
आकाशवाणी	26,129	12,163	13,966
दूरदर्शन	19,662 (एडीआरपी के 2002 से 2008-09 के तहत समाप्त किए गए 2,038 पदों को छोड़कर)	7,242	12,420
Total	**45,791**	**19,405**	**26,386**

78. समिति ने पाया कि आकाशवाणी में रिक्तियों की संख्या 15,319 से घटकर 13,966 हो गई है, लेकिन दूरदर्शन में यह 9,869 से बढ़कर 12,420 हो गई है और मंत्रालय से कहा कि वह आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में मानव संसाधन की निरंतर समस्या को दूर करने की योजना के साथ दूरदर्शन में रिक्तियों में वृद्धि के कारण बताए। इस संबंध में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि:-

> "आकाशवाणी में रिक्तियों की संख्या में कमी का कारण और दूरदर्शन में रिक्तियों की वृद्धि इस तथ्य के कारण है कि कई अधिकारियों को दूरदर्शन से आकाशवाणीमें स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर (दूरदर्शन) को बंद कर दिया गया था और आकाशवाणी के नए स्थापित/चल रहे प्रतिष्ठानों में जनशक्ति को फिर से नियुक्त किया गया था। यह भी ध्यान दिया जाए कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकांश संवर्गों का संवर्ग नियंत्रक आकाशवाणी है।
>
> जनशक्ति लेखापरीक्षा (एमपीए) की अंतिम रिपोर्ट को प्रसार भारती ने स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में प्रसारण प्रौद्योगिकी और व्यवसाय कार्य पद्धतियों में परिवर्तन के मद्देनजर संगठन में पर्याप्त पुनर्गठन की सिफारिश की गई है। प्रसार भारती में जनशक्ति की आवश्यकता में पर्याप्त परिवर्तन हो सकते है। जनशक्ति आवश्यकता के

आकलन को अंतिम रूप देने के बाद रिक्तियों को भरना पीआरबीबी (संयुक्त सचिव से कम के वेतनमान वाले पदों के लिए) का अधिदेश है। स्टॉपगैप व्यवस्था के रूप में, प्रसार भारती अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पुनः कौशल के साथ उपलब्ध मानव संसाधनों सहित अपने कामकाज और संचालन का प्रबंधन कर रहा है और जहां कौशल अप्रचलन की दर अधिक है और जहां कौशल अत्यधिक बाजार संचालित है, वहां अल्पावधि सविंदाओं की नियुक्ति है।"

79. केंद्र के निर्माण और दिन-प्रतिदिन के कार्य में सहायता के लिए कार्मिकशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया:-

"प्रसार भारती में दूरदर्शन और आकाशवाणी के तहत विभिन्न संवर्गों में लगातार सेवानिवृत्ति और नई भर्ती नहीं होने के कारण, कुशल, पेशेवर और युवा जनशक्ति की कमी है, जो किसी भी संगठन की रीढ़ है। पीबीएस में टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्पेशलाइज्ड आउटसोर्सिंग (टीएम एंड एसओ) डिवीजन को कुशल और पेशेवर जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता आधारित आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया है। प्रसार भारती 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के अल्पकालिक अनुबंधों पर संविदात्मक नियुक्ति नीति (सीईपी 2021) के तहत विभिन्न श्रेणियों में पेशेवरों को नियुक्त कर रहा है। इन अनुबंधों को एक स्टेशन पर उस कौशल सेट में संगठन की आवश्यकता और अनुबंध के प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जा रहा है। स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में, केंद्र के निर्माण और दिन-प्रतिदिन के कार्य में सहायता के लिए असाइनमेंट के आधार पर व्यक्तियों को नियुक्त करके जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है।"

80. उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों की इतनी भारी कमी और कुशल, पेशेवर और युवा जनशक्ति की कमी की स्थिति में मंत्रालय से स्टॉप गैप अरेंजमेंट मेथड और संविदात्मक आधार पर भर्ती करने के कारणों को बताने के लिए कहा गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि:-

"प्रसार भारती में जनशक्ति आवश्यकताओं में पर्याप्त परिवर्तन हो सकते हैं। जनशक्ति आवश्यकता के आकलन को अंतिम रूप देने के बाद प्रसार भारती भर्ती बोर्ड (संयुक्त सचिव से कम के वेतनमान वाले पदों के लिए) का अधिदेश है। इसलिए, एक स्टॉपगैप व्यवस्था के रूप में, प्रसार भारती अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पुन: कौशल के साथ उपलब्ध मानव संसाधनों संहित अपने कामकाज और संचालन का प्रबंधन कर रहा है और जहां कौशल अप्रचलन की दर अधिक है और जहां कौशल अत्यधिक बाजार संचालित हैं, वहां अल्पकालिक संविदाओं की नियुक्ति की जा रही है। जनशक्ति लेखापरीक्षा की सिफारिशों के अनुसार संचालन के युक्तिकरण, कार्य प्रक्रियाओं में सुधार, स्वचालन आदि के साथ अभ्यास और जनशक्ति के आकलन की आवश्यकता है, उचित समय पर पदों की एक इष्टतम संख्या भर दी जाएगी।"

81. यह पूछे जाने पर कि देश भर में दूरदर्शन के कितने स्टेशन इंजीनियरों और प्रोग्रामिंग कर्मचारियों के बिना काम कर रहे हैं, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि:-

"संसाधनों (जनशक्ति) की उपलब्धता के अनुसार, स्टेशन बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। जनशक्ति लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, जनशक्ति लेखापरीक्षा रिपोर्ट की संस्तुतियों के अनुरूप नियमानुसार उपयुक्त साधनों द्वारा आवश्यक जनशक्ति की नियुक्ति की जायेगी।"

82. प्रसार भारती में मानव संसाधन से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से बताते हुए, साक्ष्यों के दौरान प्रसार भारती के सीईओ ने बताया कि :-

"जहां तक मैनपावर का सवाल है, मैनपावर ऑडिट की एक बड़ी विस्तृत कार्रवाई प्रसार भारती में पिछले तीन-चार वर्षों में की गई थी। वर्ष 2020 की शुरुआत में उसकी जो रिपोर्ट है, वह प्रस्तुत कर दी गई थी। उसके तत्काल बाद कोविड की परिस्थितियों के कारण 2 साल तक उसके ऊपर कार्रवाई थोड़ी कम रही। लेकिन अब पूरी गति से वह काम शुरू कर लिया गया है। वर्ष 1997 में जिस वक्त प्रसार भारती का गठन हुआ था, उस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी अलग-अलग जो वर्टिकल्स थे, उनमें मिला-जुलाकर तकरीबन 45 हजार पद थे, जो अलग-अलग समय पर सृजित किए गए थे। इनमें से कई पद आज की तारीख में रिलेवेंट नहीं रह गए हैं। माननीय सदस्य और हमारे सीईओ महोदय ने भी इसके बारे में अभी उल्लेख किया था। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं यह बताना चाहूं कि हमारे पुराने जो टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स थे, जिनको हमने बंद

किया है, वहां पर यदि कोई स्टाफ डिप्लॉयड रहता था, तो उनकी अब उस स्थान पर उस प्रकार से आवश्यकता नहीं है। टेक्नोलॉजी में जिस प्रकार से इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले वैक्यूम ट्यूब या डायोड्स के ऊपर काम होता था। अब हमारे पास एलईडी और इलैक्ट्रॉनिक्स हैं, इसलिए मैनपावर की उस दृष्टि से जो आवश्यकता थी, उसमें अब कमी आई है। मैनपावर ऑडिट की जो रिपोर्ट है, जिसका सघन परीक्षण किया गया है और उसके आधार पर आज की और आने वाले समय की आवश्यकता के आधार पर जो आवश्यक मैनपाव रहैं, उसका एक आकलन अभी वर्तमान में भी किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ माह में हम लोग अपनी नई समेकित मानव संसाधन नीति लाकर और फिर उसके हिसाब से परमानेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल तथा जो स्पेशलिस्ट्स हैं, इन लोगों की विभिन्न माध्यमों से नियुक्ति करते हैं, जिससे हमारी जो गतिविधि है, उसको और तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे"।

83. दूरदर्शन केंद्रों में स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या और मौजूदा कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर और रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत करते समय, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी:-

"श्रमशक्ति लेखापरीक्षा (एमपीए) की अंतिम रिपोर्ट प्रसार भारती द्वारा स्वीकार कर ली गई है। रिपोर्ट में प्रसारण प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रथाओं में बदलाव के मद्देनजर संगठन में पर्याप्त पुनर्गठन की सिफारिश की गई है। प्रसार भारती में आवश्यक श्रमशक्ति में पर्याप्त परिवर्तन हो सकता है। श्रमशक्ति आवश्यकता के आकलन को अंतिम रूप देने के बाद रिक्तियों को भरना पीआरबीबी (जेएस से कम वेतनमान वाले पदों के लिए) द्वारा निर्णय लिया जाएगा। भर्ती विनियमों में अपेक्षित परिवर्तनों को शामिल करने के कदम प्रक्रियाधीन हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.02.2020 के भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचित प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) भर्ती बोर्ड की स्थापना नियम, 2020 के अनुसरण में, सीधी भर्ती/विभागीय प्रतियोगी परीक्षा/प्रतिनियुक्ति द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम वेतनमान वाले आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन में रिक्तियों को भरने के लिए 'प्रसार भारती भर्ती बोर्ड' (पीबीआरबी) का गठन दिनांक 01.07.2020 को किया गया है।

प्रसार भारती भर्ती बोर्ड कार्यात्मक हो गया है और दिव्यांग जन (पीडब्ल्यूडी) हेतु बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीजी दूरदर्शन और

डीजी आकाशवाणी मुख्यालय के लिए प्रतिनियुक्ति पर डीडीए के 15 पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। अन्य पदों पर सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियों को भरने का कार्य श्रमशक्ति लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के पश्चात किया जायेगा। मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी की श्रमशक्ति लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कुल 115 कार्रवाई योग्य सिफारिशें हैं, इन सिफारिशों की स्थिति अनुबंध - ज, झ, ञ और ट में है। श्रमशक्ति लेखापरीक्षा की 5 कार्रवाई योग्य सिफारिशें हैं जो सरकार के दायरे में हैं जैसा कि अनुबंध-झ में वर्णित है। इन कार्रवाई योग्य सिफारिशों पर निर्णय के बाद मंत्रालय के परामर्श से रिक्तियों को भरने के मुद्दे पर प्रसार भारती द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में इसका उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रसार भारती द्वारा मंत्रालय के परामर्श से रिक्तियों को नियमानुसार पदोन्नति द्वारा भरने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। डीपीसी द्वारा रिक्तियों (पदोन्नति द्वारा) को वर्ष 2023 तक भरना प्रक्रियाधीन है।".

84. मंत्रालय ने यह भी प्रस्तुत किया कि जनशक्ति लेखा परीक्षा सिफारिशों में अप्रचलित प्रौद्योगिकियों स्वचालन, आईटी सक्षमता और गैर-प्रमुख गतिविधियों की आउटसोर्सिंग पर विचार करते हुए संशोधित कार्मिकों की संख्या की परिकल्पना की गई है, जो निम्नानुसार हैं:-

यूनिट	कर्मचारी						
	तकनीकी	विषय	बिक्री एवं विपणन	वित्त	एचआर	अन्य	कुल
आकाशवाणी	4520	2818	0	333	0	810	8481
डीडी	2029	1904	0	70	0	335	4338
निगमित	108	166	1149	101	93	388	2005
कुल	**6657**	**4888**	**1149**	**504**	**93**	**1533**	**14824**

85. मंत्रालय के अनुसार, जनशक्ति लेखा परीक्षा द्वारा अनुशंसित संशोधित जनशक्ति मॉडल में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया है:-

(क) एफटीई संचालित अनुबंधों के माध्यम से तीसरे पक्ष को गैर-कोर इंजीनियरिंग गतिविधियों की आउटसोर्सिंग करना।

(ख) ई-ऑफिस जैसे ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म लाकर की गैर-प्रमुख प्रशासन गतिविधियों जैसे ड्राइवर, सुरक्षा, सहायकों की आउटसोर्सिंग करना।

(ग) प्रस्तावित संरचना परिवर्तन के अनुरूप प्रसार भारती द्वारा अपेक्षित नई भूमिकाओं के लिए अनुबंध पर विशेषज्ञों की भर्ती।

(घ) पूर्णकालिक और संविदात्मक श्रमशक्ति का प्रभावी मिश्रण बनाना।

86. मैसर्स अर्न्स्ट और यंग एलएलपी की जनशक्ति लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के संबंध में मंत्रालय ने यह भी बताया है कि:-

"श्रमशक्ति लेखापरीक्षा की सिफारिशों के अनुसार, विशेष प्रसारण कौशल की आवश्यकता वाली सभी भूमिकाएं जहां कौशल अप्रचलन की दर अधिक है और जहां कौशल अत्यधिक बाजार संचालित हैं, उन्हें मुख्य रूप से संविदात्मक होना चाहिए। भूमिकाएं, जहां निभाई गई जिम्मेदारियां/कर्तव्य भारत सरकार के नियमों जैसे सामान्य वित्तीय नियम, सीसीएस/सीसीए आचरण नियम आदि द्वारा सख्ती से नियंत्रित होते हैं, उन्हें मुख्य रूप से स्रोत से लिया जाना चाहिए।

यह उल्लेख करना है कि प्रसार भारती के आईईबीआर संसाधनों पर एक स्थायी देयता बनाते समय नियमित पदों के विरुद्ध किसी भी भर्ती को प्रसार भारती के आईईबीआर फंड से वित्त पोषित करना होगा, जबकि प्रसार भारती का राजस्व गतिशील बाजार स्थितियों के अध्यधीन है।

इसके अलावा, प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन) में अनियमित नियुक्तियों/नियुक्तियों के नियमितीकरण के लिए, एक बारगी उपाय के रूप में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1999 के सीए 3595-3612 में सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी और अन्य में अपने क्रमिक निर्णयों में व्याख्या द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 49019/1/2006-स्था(ग) दिनांक 11.12.2006 के अनुसरण में प्रसार भारती द्वारा एक योजना तैयार की गई थी ।

इस संबंध में बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन (लगभग 4000) आई एआरएस पोर्टल (नियमितीकरण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित) में प्राप्त हुए हैं। योजना में

निर्धारित मापदंडों के अनुसार नियमितीकरण के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए इन ऑनलाइन आवेदनों की जांच की जा रही है"।

(ii) <u>भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन</u>

87. सामुदायिक रेडियो, रेडियो प्रसारण में एक महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है, जो लोक सेवा रेडियो प्रसारण और वाणिज्यिक रेडियो से अलग है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस)| कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। दिसंबर 2002 में, भारत सरकार ने सुस्थापित शैक्षणिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना की अनुमति देने के लिए एक नीति को मंजूरी दी। 2016 2017 और 2018 में नीति दिशानि देशों में और संशोधन किया गया। सामुदायिक रेडियो के लिए नीति दिशानिर्देश और वर्तमान में चल रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सूची सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट www. mib.gov.in पर देखी जा सकती है। सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के बीच स्थानीय आवाजों को प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा, सामुदायिक रेडियो समाज के हाशिए के वर्गों के लिए उनकी चिंताओं को आवाज देने का एक शक्तिशाली माध्यम है। सामुदायिक रेडियो में अपने समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की क्षमता है। भारत जैसे देश में, जहां हर राज्य की अपनी भाषा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, सामुदायिक रेडियो स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत का भंडार भी है। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अनूठी स्थिति इसे सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए एक आदर्श माध्यम बनाती है। सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करने के लिए भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की जा रही है।

88. भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करने के लिए पिछले चार वर्षों के लिए बजट अनुमान**,** संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान है:-

भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन करना (रु. करोड़ में)					
वर्ष	**ब.प्रा.**	**सं.प्रा.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.प्रा. के संदर्भ में प्रतिशतता**	**सं.प्रा. के संदर्भ में प्रतिशतता**
2019-20	3.80	3.80	3.29	86.58	86.58
2020-21	4.50	2.12	1.97	43.78	92.92
2021-22	3.84	2.50	1.92	50.00	76.80
2022-23	3.84	3.00	1.20*	31.25	40.00
2023-24	5.00				
(*) वास्तविक व्यय दिनांक 31.01.2023 तक।					

89. उपयोग पैटर्न में सुधार के लिए कार्य योजना के साथ सभी चार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में उपयोग में कमी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि:

> "सामुदायिक रेडियो के संबंध में कम व्यय का मुख्य कारण बचत होनाहै क्योंकि जागरूकता कार्यशालाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थीं।"

90. सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संबंध में निधियों के बेहतर उपयोग के लिए, मंत्रालय ने सूचना दी कि कार्यकलापकैलेंडर तैयार किया गया है जो संसाधनों के समय पर उपयोग में मदद करेगा और इसके परिणामस्वरूप निधियों का बेहतर उपयोग हो सकता है।

91. मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में भारत में 412 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं। 412 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में से, कुल 5 सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अनुमति समझौते के अनुदान (जीओपीए) के विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया है। इन सीआरएस को जारी की गई अनुमतियां जीओपीए को रद्द करने की प्रक्रिया में हैं।

92. मंत्रालय के पास लंबित सामुदायिक रेडियो स्टेशन लाइसेंस के लिए आवेदनों की संख्या के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई थी:-

"सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए मंत्रालय के पास कुल 72 आवेदन लंबित हैं, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।"

93. इसके अलावा, 2022-23 के दौरान प्राप्त आवेदनों का विवरण मांगे जाने पर, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि :-

"वर्ष 2022-23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक कुल 85 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त हुए इन 85 आवेदनों में से 18 संगठनों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आशय पत्र जारी कर दिया गया है। फ्रीक्वेंसी स्पॉट उपलब्ध नहीं होने के कारण कुल 5 आवेदन खारिज कर दिए गए और 62 आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 से पहले प्राप्त आवेदनों के संबंध में 2022-23 में 71 एलओआई जारी किए गए थे। इस प्रकार वर्ष 2022-23 (दिसंबर 2022 तक) में कुल 89 एलओआई जारी किए गए। (उल्लेखनीय है कि एलओआई प्राप्त करने के बाद, आवेदक सीआरएस चालू करने से पहले वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस के लिए संचार मंत्रालय में आवेदन करता है। सीआरएस के लिए लाइसेंस संचार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है)।"

94. मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए रोड मैप के साथ देश में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया कि :-

"सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के लिए सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशालाएं, क्षमता निर्माण कार्यशालाएं, क्षेत्रीय सम्मेलन और उपकरणों की खरीद के लिए नए और मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वित्तीय सहायता जैसी गतिविधियां की जाती हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन मौजूद नहीं हैं या संख्या में कम हैं, सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन पर जोर दिया जाता है। 2023-24 में सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है।

- सामुदायिक रेडियो मीडिया डार्क एरिया में सामुदायिक रेडियो वर्कशॉप का आयोजन।
- चार स्थानों पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन।

- उपकरणों की खरीद के लिए नए और मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वित्तीय सहायता।
- सामुदायिक रेडियो के माध्यम से विकास संचार।
- भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यशालाएं।
- सामुदायिक रेडियो प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण।"

95. मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारत में सीआरएस (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार) का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	-
2	आंध्र प्रदेश	11
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	असम	4
5	बिहार	11
6	चंडीगढ़	4
7	छत्तीसगढ	12
8	दादरा और नगर हवेली	-
9	दिल्ली	5
10	गोवा	-
11	गुजरात	14
12	हरियाणा	21

13	हिमाचल प्रदेश	6
14	जम्मू और कश्मीर	5
15	झारखंड	3
16	कर्नाटक	25
17	केरल	19
18	लद्दाख	-
19	लक्षद्वीप	-
20	मध्य प्रदेश	35
21	महाराष्ट्र	45
22	मणिपुर	4
23	मेघालय	-
24	मिजोरम	-
25	नागालैंड	1
26	ओडिशा	28
27	पुदुचेरी	2
28	पंजाब	9
29	राजस्थान	23
30	सिक्किम	1
31	तमिलनाडु	45
32	तेलंगाना	9
33	त्रिपुरा	1

34	उत्तर प्रदेश	44
35	उत्तराखंड	13
36	पश्चिम बंगाल	11
	कुल	**412**

96. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, गोवा, लद्दाख, लक्षद्वीप, मेघालय और मिजोरम जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'सीआरएस नहीं होने' का उल्लेख करते हुए मंत्रालय को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया:-

	समिति द्वारा मांगी गई जानकारी	**मंत्रालय का उत्तर**
i.	उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीआरएस न होने के कारण	सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना एक स्वैच्छिक कार्यकलाप है। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल "गैर-लाभकारी" संगठन सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन के लिए अनुमति प्राप्त करने के पात्र हैं। पात्र संगठनों के बीच जागरूकता की कमी और इन गैर-लाभकारी संगठनों के साथ वित्तीय संसाधनों की कमी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, गोवा, लद्दाख, लक्षद्वीप, मेघालय और मिजोरम में सीआरएस की गैर-मौजूदगी के प्रमुख कारण हैं।
ii.	सीआरएस में स्थानीय कार्यक्रम	नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, कम से कम 50% सामग्री स्थानीय समुदाय की भागीदारी से

	को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय	तैयार की जाएगी, जिसके लिए स्टेशन स्थापित किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय समय-समय पर क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करता है ताकि सीआरएस स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ स्थानीय सामग्री तैयार कर सके। इसके अलावा, कुछ सीआरएस जिन्हें सीआरएस चलाने का अनुभव है, उन्हें स्थानीय कार्यक्रमों के निर्माण में नए सीआरएस को संभालने के लिए चिन्हित किया गया है।
iii.	सीआरएस को स्थानीय समाचार प्रसारित करने की अनुमति देने के लिए मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुरोधों, यदि कोई हो, का विवरण	नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी ऐसे कार्यक्रम के लिए सीआरएस को अनुमति नहीं है, जो समाचार और समसामयिक विषयों से संबंधित हो और अन्यथा राजनीतिक प्रकृति का हो। हालांकि, सीआरएस आकाशवाणीसे विशेष रूप से प्राप्त समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री को उसके मूल रूप में प्रसारित कर सकता है या स्थानीय भाषा/बोली में अनुवादित कर सकता है। यह सुनिश्चित करना सीआरएस अनुमति धारक की जिम्मेदारी है कि अनुवाद के दौरान समाचार विकृत या संपादित न हो। हितधारक समय-समय पर विभिन्न प्लेटफार्मों पर सीआरएस पर समाचारों की अनुमति देने के लिए मंत्रालय से अनुरोध करते रहे हैं। हालांकि, सीआरएस पर समाचार की अनुमति देने के लिए कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।
iv.	सीआरएस में स्थानीय समाचार और सामग्री के प्रसारण की	निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित प्रसारण को गैर-समाचार और समसामयिक विषयों के प्रसारण के रूप में माना जाता है और इसलिए सीआरएस पर इसकी अनुमति है :

	अनुमति देने के संबंध में सम्बंधित कारणों के साथ मंत्रालय का दृष्टिकोण	• लाइव कवरेज को छोड़कर खेल आयोजनों से संबंधित जानकारी। हालाँकि स्थानीय प्रकृति के खेल आयोजनों की लाइव कमेंटरीज की अनुमति हो सकती है; • यातायात और मौसम से संबंधित जानकारी; • स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों केकवरेज से संबंधित जानकारी; • परीक्षाओं, परिणामों, प्रवेश, करियर परामर्श से संबंधित विषयों का कवरेज; • रोजगार के अवसरों की उपलब्धता; • स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदान की गई बिजली, पानी की आपूर्ति, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य अलर्ट आदि जैसी नागरिक सुविधाओं से संबंधित सार्वजनिक घोषणाएं,
v.	सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के समर्थन हेतु *2023-24* के लिए लक्ष्य और योजनाएं	सामुदायिक रेडियो क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए, भारत सरकार ने 'भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन' शीर्षक से एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत, 2023-24 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलापों को करने की योजना बनाई गई है: - • विशेष रूप से पूर्वोत्तर और सामुदायिक रेडियो सेवंचित क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो कार्यशालाओं का आयोजन करना।

		• 4 क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन • क्षमता निर्माण कार्यशालाएं • उपकरण हेतुसीआरएस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
vi.	रेडियो रहित क्षेत्रों का विवरण और उन क्षेत्रों में सीआरएस/रेडियो स्टेशन उपलब्ध होने के लिए किए गए उपाय प्रस्तुत करें	जिन क्षेत्रों में कोई सीआरएस मौजूद नहीं है वहां सीआरएस स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने की योजना है।

97. अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान समिति के समक्ष साक्ष्य देते समय सीआरएस के मुद्दे पर सचिव ने निम्नानुसार जानकारी दी: -

"सीआरएस का एक प्रश्न आया। उसके बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया था कि इस वर्ष हमने **124** एल ओ आई दिए हैं, जिनमें से इस वर्ष **59** कार्यरत हुए हैं। यह वर्ष अभी चल रहा है, इसलिए और भी होंगे। एक वर्ष में यह संख्या सर्वाधिक है। इसमें काफी विलम्ब लगता था, क्योंकि जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ मंत्रालयों पर हम लोग डिपेंडेंट हैं, हमें एमएचए की क्लीयरेंस लगतीहै और साथ ही चूंकि इसकी स्पेक्ट्रम क्लीयरेंस टेलीकॉम की तरफ से होती है। उसमें दो-तीन वर्षों का विलम्ब लगता था।इस संबंध में हमने टेलीकॉम मंत्रालय के साथ कई मीटिंग्स कीं। उन्होंने पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी है। डब्ल्यूपीसी और एसएसीएफए का जो लाइसेंस होता है, उसमें सिंगल विंडो करके लगभग एक-दो महीने के अंदर इसे दिया जा रहा है। जो लोग एप्लिकेंट्स होते हैं और दूर-दराज के इलाकों से होते हैं,अगर वे अप्लाई करते हैं और उन्हें दो-तीन वर्षों तक परमिशन नहीं मिलती है, तो उनका एक तरह से मनोबल टूटता है। इस वजह से वे उसमें पूरी तरह से आगे काम नहीं कर पाते। हमारा यही उद्देश्य था कि हम जल्दी से जल्दी इसमें **3** से **4** महीनों के भीतर उन्हें परमिशन दिला पाएं। उसके बाद उनको इक्युपमेंट्स की खरीदारी करनी पड़ती है। हमारी यह प्रक्रिया चालू है। इसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाले वर्षों

में सीआरएस में अधिक वृद्धि होगी। इस वर्ष भी वृद्धि हुई है, लेकिन आगे और अधिक वृद्धि होगी"।

छह. <u>आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर), सृजित और उपयोग किया गया राजस्व</u>

98. वर्ष **2019-20, 2020-21 2021-22, 2022-23** और **2023-24** के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आईईबीआर के संबंध में विवरण निम्नानुसार है*:-*

*(*करोड़ रु. में*)*

विवरण	ब.प्रा. 2019-20	सं.प्रा. 2019-20	ब.प्रा 2020-21	सं.प्रा. 2020-21	ब.प्रा 2021-22	सं.प्रा. 2021-22	ब.प्रा 2022-23	सं.प्रा. 2022-23	ब.प्रा 2023-24
(क) स्वायत्त निकाय	**1896.60**	**1495.41**	**1506.38**	**1375.23**	**1328.28**	**1328.08**	**1394.75**	**1396.27**	**1492.44**
(i) सीएफएसआई	**1.00**	**0.75**	**0.85**	**0.10**	**0.30**	**0.22**	**0.25**	**0.00***	**0.00***
(ii) एफटीआईआई	**2.78**	**4.20**	**4.50**	**4.00**	**5.50**	**4.00**	**5.50**	**5.50**	**5.70**
(iii) एसआरएफटीआई	**3.00**	**3.73**	**4.10**	**3.73**	**3.92**	**3.42**	**3.50**	**3.96**	**4.31**
(iv) आईआईएमसी	**5.50**	**5.50**	**5.50**	**5.50**	**5.50**	**4.07**	**5.50**	**5.00**	**5.50**
(v) पीसीआई	**1.64**	**2.32**	**1.74**	**1.74**	**1.59**	**2.37**	**0.00**	**1.81**	**1.93**
(vi) प्रसार भारती	**1882.68**	**1478.91**	**1489.69**	**1360.16**	**1311.47**	**1314.00**	**1380.00**	**1380.00**	**1475.00**
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	**152.16**	**233.47**	**253.63**	**229.62**	**247.02**	**185.27**	**201.39**	**399.68**	**356.24**
(i) एनएफडीसी	**10.16**	**5.26**	**6.61**	**1.41**	**0.00**	**4.67**	**0.00**	**187.84**	**159.90**
(ii) बेसिल	**142.00**	**228.21**	**247.02**	**228.21**	**247.02**	**180.60**	**201.39**	**211.84**	**196.34**
कुल (क) + (ख)	**2048.76**	**1728.88**	**1760.01**	**1604.85**	**1575.30**	**1513.35**	**1596.14**	**1795.95**	**1848.68**
* सीएफएसआई का 31.12.2022 से एनएफडीसी के साथ विलय।									

99. वर्ष **2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23** और **2023-24** के दौरान सकल राजस्व अनुमान, अर्जित निवल राजस्व और निवल व्यय का मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	राजस्व अनुमान	निवल राजस्व	निवल व्यय

2019-20	**1649.06**		
2020-21	**1410.00**		
2021-22	**1314.00**	**1417.10**	**1202.56**
2022-23	**1380.00**	**977.01***	**790.70**
2023-24	**1475.00**	**--**	
* दिसंबर, **2022** तक			

100. वर्ष ***2022-23*** के दौरान जीबीएस आवंटन और आईईबीआर बढ़ाने के साथ प्रसार भारती द्वारा प्राप्त की गई आत्मनिर्भरता के स्तर के विषय में एक सवाल उत्तर में मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-

> **"**प्रसार भारती आईईबीआर से अपने प्रचालन व्यय को पूरा कर रहा है और उसके पास कुछ अधिशेष भी है। दिसंबर **2022** तक सृजित राजस्व **977.01** करोड़ रुपये है जबकि प्रचालन व्यय **953.90** करोड़ रुपये है। इसके अलावा, प्रसार भारती लोक सेवा प्रसारण के तहत विभिन्न कार्यकलापों को अंजाम दे रहा है, जिसकी संयुक्त अनुमानित लागत में प्रत्यक्ष और अवसर लागत शामिल है। मोटे तौर पर, लोक सेवा प्रसारण में गैर-मुद्रीकरण योग्य प्रसारण, प्रो-बोनो कंटेंट शेयरिंग/सिंडिकेशन, प्रो-बोनो कैरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अव्यवहार्य लोक सेवा चैनल/सेवाएं, प्रो-बोनो अभियान, गैर-वाणिज्यिक स्थलीय प्रसारण टीवी, गैर-वाणिज्यिक स्थलीय प्रसारण रेडियो (केवल एमडब्ल्यू और एसडब्ल्यू + गैर वाणिज्यिक एफएम रिले) आदि शामिल हैं।**"**.

101. राजस्व की पर्याप्तता के बारे में विस्तार से बताते हुए, प्रसार भारती के सीईओ ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार जानकारी दी:-

> "जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, आज की तारीख में प्रसार भारती की जो कुल आय है, लगभग-लगभग उतना ही हमारा व्यय है। इसमें वह राशि ऑफकोर्स सम्मिलित नहीं है, जोकि सरकार से हमें ग्रांट के तौर पर प्राप्त होती है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूर्व के कर्मचारियों के लिए, जो प्रसार भारती को अंतरित किए गए थे, इसका अर्थ और अभिप्राय यह है कि आनेवाले समय में यदि हमें अपनी नई रिक्रूटमेंट करनी है तो हमें अपने आय के साधनों में और तेजी से वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि हम उसका भार उठा

सके। हमारा प्रयास रहेगा कि कंटेंट के माध्यम से ही हम उस अतिरिक्त आय की व्यवस्था कर सके"।

102. इस विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में कि **2022-23** के दौरान सृजित अधिक आईईबीआर, जिसका उपयोग नहीं किया गया था, के साथ क्या किया गया था, मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

"आईईबीआर से प्रसार भारती का व्यय वित्त वर्ष ***2022-23*** में अब तक उत्पन्न राजस्व के लगभग बराबर है**".**

103. यह पूछे जाने पर कि क्या भारत में दूरदर्शन केंद्रों के अंतर्गत लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी संपत्तियों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि:-

"प्रसार भारती द्वारा पूरे देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी की भूमि और भवन का सर्वेक्षण किया गया है और प्रत्येक केंद्र के लिए डेटा संकलित किया गया है। प्रसार भारती ने भूमि और भवन के इस डेटा को सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) पोर्टल पर अपलोड किया है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है।

इसके अलावा, प्रसार भारती निजी एफएम प्रसारकों और निजी मोबाइल ऑपरेटरों के साथ टावर और संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे दूरदर्शन और आकाशवाणी के संसाधनों को साझा करके राजस्व उत्पन्न कर रहा है जिसका विवरण निम्नलिखित है:

(i) आकाशवाणी और दूरदर्शन के बुनियादी ढांचे को टॉवर, भूमि और भवन के रूप में 360 प्रा. एफएम चैनल के साथ 99 स्थानों पर निजी एफएम ऑपरेटरों के साथ साझा कर रहा है।

(ii) आकाशवाणी और दूरदर्शन के बुनियादी ढांचे को बीएसएनएल/एमटीएनएल और प्रा. टावर, जमीन और भवन के रूप में **66** बीटीएस सेटअप के साथ **43** साइटों पर मोबाइल ऑपरेटर

2021-22 में, प्रसार भारती ने अपने उपरोक्त बुनियादी ढांचे को साझा करने के माध्यम से 102 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) का राजस्व अर्जित किया।

प्रसार भारती सरकार की नीति के अनुसार परिसंपत्तियों के प्रभावी मुद्रीकरण के लिए देश भर के विभिन्न केंद्रों पर अपनी संपत्तियों का अध्ययन करने की प्रक्रिया में है।".

सात. <u>फिल्म क्षेत्र</u>

104. फिल्म विभाग सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, ***1952*** के तहत फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन, विकास तथा संवर्धन गतिविधियों सहित फ़िल्म उद्योग से संबंधित मुद्दों; वृत्तचित्रों के निर्माण तथा वितरण, फ़िल्मों के संरक्षण; अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मोत्सवों के आयोजन और अच्छी फ़िल्म को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार प्रदान करने इत्यादि संबंधी कार्य करता है। मंत्रालय के फिल्म क्षेत्र के अंतर्गत स्वायत्त निकायों के मुख्य सचिवालय के स्थापना व्यय और अन्य केन्द्रीय व्यय में से कुछ का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है।

(i) **<u>राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम *(एनएफडीसी)* - एनएफडीसी के साथ चार मीडिया ईकाइयों का विलय</u>**

105. राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) की स्थापना, राष्ट्रीय आर्थिक नीति एवं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए उद्देश्यों के अनुसार भारतीय फ़िल्म उद्योग के एकीकृत एवं सक्षम विकास की योजना बनाने, उसे बढ़ावा देने एवं क्रियान्वित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा **1975** में की गई। **1980** में फ़िल्म वित्त निगम (एफएफसी) और इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (इम्पेक) का विलय कर एनएफडीसी की पुनः स्थापना की गई। स्थापना के बाद से एनएफडीसी **21** से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में **300** से अधिक फ़िल्मों का निर्माण अथवा उनके निर्माण के लिए वित्त उपलब्ध करा चुका है। इनमें से कई फ़िल्मों को व्यापक सराहना मिली है और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। फ़िल्म निर्माण के अतिरिक्त एनएफडीसी सरकारी एजेन्सियों के लिए समेकित विपणन

का सम्पूर्ण समाधान भी उपलब्ध कराता है तथा विज्ञापनों, वृत्तचित्रों, लघु फ़िल्मों, टीवी सीरीज, वेब विज्ञापनों, रेडियो सीरीज तथा विषयगत संगीत एन्थेम भी निर्मित करता है।

106. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ***23*** दिसंबर, ***2020*** को आयोजित बैठक में चार फ़िल्म मीडिया इकाइयों का राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड के साथ विलय करने का फैसला किया अर्थात्, फ़िल्म प्रभाग (एफडी), भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई), फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) और बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) ज्ञापन का विस्तार करके और एनएफडीसी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स (एमओएए), जो उसके बाद अब तक की सभी गतिविधियों को अंजाम देंगे, उनके द्वारा किया गया और सभी परिणामी कार्रवाई/कार्रवाई, जिसमें शामिल हैं एफडी/एनएफएआई/डीएफएफ/सीएफएसआई को बंद करना।

107. उपर्युक्त चार फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए, मंत्रालय ने निम्नानुसार जानकारी दी: -

> **“** चार फिल्म मीडिया यूनिटों नामत: फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ), राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) और बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) का अधिदेश राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को एक चरणबद्ध तरीके से अंतरित कर दिया गया है। फिल्म मीडिया यूनिटों के विलय के परिणामस्वरूप, एक प्रबंधन के तहत अम्ब्रैला संगठन, एनएफडीसी, को अब फिल्मी सामग्री के प्रचार, निर्माण और संरक्षण के संबंध में विशिष्ट रूप से रखा गया है। इस नई निकाय का दृष्टिकोण भारतीय सिनेमा का संतुलित और केंद्रित विकास सुनिश्चित करना है। विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है :

क. एनएफडीसी में चार फिल्म मीडिया यूनिटों के विलय के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति का गठन दिनांक 11.03.2021 को किया था।

ख. कार्यात्मक विलय के भाग के रूप में नॉलेज अंतरण और कौशल विकास के लिए कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) को एनएफडीसी के साथ एकीकृत किया गया है। "बाल फिल्मों के निर्माण" और "अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन" के लिए सीएफएसआई के अधिदेश को एनएफडीसी को अंतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, फिल्म प्रभाग द्वारा संचालित भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का संचालन और रखरखाव एनएफडीसी को अंतरित कर दिया गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को आयोजित करने के डीएफएफ के अधिदेश को एनएफडीसी को अंतरित किया गया है और डीएफएफ के अन्य सभी कार्यकलापों को 01.07.2022 से एनएफडीसी द्वारा संचालित किया जाएगा। ये निर्णय सुनिश्चित करेंगे कि एनएफडीसी विलय के बाद सफलतापूर्वक चार फिल्म मीडिया यूनिटों के सभी अधिदेशों को पूरा करने में सक्षम है।

ग. एनएफडीसी के साथ विलय की जाने वाली चार फिल्म मीडिया यूनिटों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए इस मंत्रालय के दिनांक 29.09.2022 और 26.10.2022 के पत्र द्वारा फिल्म प्रभाग, डीएफएफ और एनएफएआई के 103 कार्मिकों को इस मंत्रालय के अन्य मीडिया यूनिटों में पुन: तैनात किया गया है। इसके साथ ही, 55 वर्ष से अधिक आयु के 123 कर्मचारियों का विवरण 14.10.2022 और 17.10.2022 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया है तथा 55 वर्ष से कम आयु के 155 कर्मचारियों का विवरण 26.10.2022 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया है जिससे कि उन्हें विशेष वीआरएस के साथ-साथ पुन: तैनाती के आदेश हेतु आगे की उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इन्हें पुन: प्रशिक्षण एवं पुन: तैनाती प्रभाग के रोल पर लिया जा सके। इसलिए, **55** वर्ष से कम आयु के 4 कर्मचारियों को प्रशासनिक कारणों से अधिशेष कर्मचारी स्थापना (एसएसई) में रखा गया है। अत:, एसएसई में रखे गए कर्मचारियों की संख्या अब 282 है। एसएसई के सृजन के लिए आदेश 23.12.2022 को जारी किए गए थे। कुल 282 कर्मचारियों को 01.01.2023 से एसएसई को स्थानांतरित किया गया है। एक बार जब इन 282 कर्मचारियों की पुन: तैनाती की जाती है, इन पदों को एक साथ समाप्त कर दिया जाएगा। जहां तक, सीएफएसआई के 27 कर्मचारियों की पुन: तैनाती का संबंध है, उन्हें एफटीआईआई और आईआईएमसी में पुन: तैनात किया गया है।

घ. फिल्म प्रभाग, डीएफएफ, एनएफईआई और सीएफएसआई के सभी प्रचालनों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 30.12.2022 के का.ज्ञा. द्वारा 31.12.2022 से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, फिल्म प्रभाग, डीएफएफ और एनएफएआई में कार्यरत सभी कर्मचारियों को अधिशेष के रूप में घोषित किया गया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 28.12.2022 के का.ज्ञा. द्वारा एसएसई को स्थानांतरित किया गया है। एनएफडीसी को दी गई कार्यकलापों के लिए एनएफडीसी द्वारा और अन्य मीडिया यूनिटों में भी उनका उपयोग किया जा रहा है।

ङ. एनएफडीसी को 15.11.2022 से समझौता अंतरण के लिए फिल्म प्रभाग, डीएफएफ, एनएफईआई और सीएफएसआई को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.11.2022 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। इन चार मीडिया यूनिटों की परिसंपत्तियों से जुड़ा मामला एनएफडीसी द्वारा उपयोग के अधिकार (आरटीयू) के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। इनका स्वामित्व सूचना और प्रसारण के पास है।

108. उपर्युक्त चार फिल्म मीडिया यूनिटों के विलय के बाद से निर्धारित भौतिक लक्ष्य के साथ-साथ बजटीय आवंटन और उपयोग का विवरण प्रदान करने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-

"फिल्म यूनिटों इकाइयों का विलय **1** जनवरी, **2023** से प्रभाव में आया। वेतन, चिकित्सा व्यय, घरेलू यात्रा व्यय और एसएसई में रखे गए कर्मचारियों के कार्यालय व्यय हेतु सीबीएफसी बजट शीर्ष के तहत अधिशेष कर्मचारी स्थापना (एसएसई) के लिए **9.296** करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।"

109. मंत्रालय ने यह भी बताया कि फिल्म प्रभाग, बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई), फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) के सभी प्रचालन **31.12.2022** से बंद कर दिए गए हैं और उनकी कार्यकलापों(सिवाय पीएसए फिल्म्स से संबंधित कार्यकलापों)को एनएफडीसी को स्थानांतरित कर दिया गया है । सभी संपत्तियों का स्वामित्व इस मंत्रालय में निहित होगा और एनएफडीसी के पास इन संपत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा।

110. चार फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय के उद्देश्यों और मानव संसाधनों पर उनके प्रभाव के विषय में मंत्रालय ने निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया:

"चार फिल्म मीडिया यूनिटों के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) में विलय पर सरकार के निर्णय के अनुसार फिल्म प्रभाग, बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई), फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय(एनएफएआई) की सभी कार्यकलापों/उद्देश्योंको,इस मंत्रालय के दिनांक **24.12.2021, 30.03.2022** और **30.12.2022** के कार्यालय ज्ञापन द्वारा एनएफडीसी को स्थानांतरित कर दिया गया है, केवललोक सेवा जागरूकता फिल्मों के कार्यकलापों को छोड़कर, जिसे सीबीएफसी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। अत: यह कहा जाता है कि बंद की गई,मीडिया यूनिटों के किसी भी उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और इन्हें एनएफडीसी द्वारा **01.01.2023** से कार्यान्वित किया जा रहा है।

बंद की गई फिल्म मीडिया यूनिटों के मानव संसाधन में कोई छँटनी नहीं है। दिनांक**31.12.2022**तक, इन फिल्म मीडिया यूनिटों में कुल **381** कर्मचारी कार्यरत थे। जिनमें से **95** कर्मचारियों को पहले ही मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में पुनर्नियुक्त किया जा चुका है। **286** कर्मचारियों को अब सरप्लस घोषित कर दिया गया है। सीसीएस (सरप्लस स्टाफ की पुनर्तैनाती) नियम, **1990** के अनुसार और डीओपीटी के आरएंडआर प्रभाग के परामर्श से समय-समय पर डीओपीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी पुनर्तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। इस उद्देश्य के लिए, इस मंत्रालय की विभिन्न मीडिया यूनिटों से डीआर कोटा के तहत नई रिक्तियां मांगी गई हैं।".

111. चार फिल्म इकाइयों के विलय के मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार जानकारी दी: -

" फिल्म सेक्टर के मर्जर का विषय आया था, तो बताना चाहूंगा कि **1** जनवरी से इसमें मर्जर हो गया है। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि जैसे कोई फिल्म आर्काइव हुई, उसमें कई फिल्मों का आर्काइव और रिस्टोरेशन होता है, पर इसे कॉमर्शियली यूज कर पाना और दिखा पाना आर्काइव संस्था के परिप्रेक्ष्य में नहीं था। एक बार एनएफडीसी के पास होता है, तो वह उसका कुछ कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन भी कर

पाएंगे और उससे जो आय होगी, उसका उपयोग फिल्मों की बढ़ोत्तरी के लिए कर पाएंगे। हमारा नैशनल फिल्म म्यूजियम, जो मुंबई में है, उसे आप लोगों ने देखा होगा। वह बहुत अच्छा बना हुआ है। उसकी इनकम पहले गवर्नमेंट के कन्सोलिडेटेड फंड में ही जाती थी, लेकिन अब फिल्मों के लिए ही उसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा। उसमें इंडिपेंडेंसअधिक रहेगी"।

(ii) **<u>भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान *(एफटीआईआई)*</u>**

112. भारतीय फ़िल्म संस्थान की स्थापना **1960** में हुई थी। बाद में नाम बदलकर भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान कर दिया गया और अक्टूबर **1974** में सोसायटी के पंजीकरण अधिनियम, **1860** के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया। एफटीआईआई सोसायटी में फ़िल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति से जुड़ी प्रख्यात हस्तियां, संस्थान के भूतपूर्व छात्र और पदेन सरकारी सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक शासी परिषद द्वारा इसका संचालन होता है। संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष श्री शेखर कपूर हैं। संस्थान के दो प्रभाग, फ़िल्म और टेलीविजन प्रभाग हैं, जो दो वर्षीय और तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एक वर्षीय स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

113. एफटीआईआई के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा पिछले चार वर्षों के लिए बीई, आरई और एई तथा **2023-24** के लिए बीई का प्रस्तुत किया गया विवरण निम्नानुसार हैं: **-**

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई)					(करोड़ रु. में)
वर्ष	ब.प्रा.	सं.प्रा.	वास्तविक व्यय	ब.प्रा. के संदर्भ में प्रतिशत	सं.प्रा. के संदर्भ में प्रतिशत
2019-20	**32.85**	**30.87**	**29.56**	**89.98**	**95.76**
2020-21	**49.40**	**37.97**	**37.97**	**76.86**	**100.00**
2021-22	**58.48**	**45.09**	**42.67**	**72.97**	**94.63**
2022-23	**55.39**	**68.53**	**50.71***	**91.55**	**74.00**
2023-24	**64.75**	**-**	**-**	**-**	**-**

*(*) वास्तविक व्यय **31.01.2023** तक।*

114. एफटीआई के अंतर्गत वर्ष **2022-23** के दौरान निर्धारित और प्राप्त भौतिक लक्ष्य और वर्ष **2023-24** के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य का ब्यौरा इस प्रकार है:-

'अन्य केंद्रीय व्यय [केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों सहित]'	**2022-23** के दौरान निर्धारित भौतिक लक्ष्य	**2022-23** के दौरान प्राप्त भौतिक लक्ष्य	**2023-24** के दौरान निर्धारित भौतिक लक्ष्य
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई)	कन्या छात्रावास और सभागार एवं नॉलेज केन्द्र का निर्माण	कन्या छात्रावास का निर्माण शत-प्रतिशत पूरा सभागार एवं नॉलेज सेंटर का **60%** निर्माण	एफटीआईआई पुणे में नई भूमि में दो इनडोर स्टूडियो का निर्माण सभागार और नॉलेज सेंटर का निर्माण पूरा

115. 2022-23 के दौरान एफटीआईआई में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामने आने वाली चुनौतियों, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारणों सहित उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपायों का उल्लेख के विषय में मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-

> "छात्र कार्यकलापों के चार नियमित बैच हर साल आयोजित किए जाते हैं। हालाँकि, महामारी के कारण, बैकलॉग को कवर करने के लिए छात्र कार्यकलापों के सात नियमित बैच अब आयोजित किए जा रहे हैं। पाई गई प्रमुख चुनौतियों में बजटीय व्यय और छात्र कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त जन शक्ति की आवश्यकता हैं।"

116. वर्ष ***2023-24*** के लिए एफटीआईआई के तहत प्रदर्शन में सुधार करने की योजनाओं के विषय में, मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-

"टीएसए को बजटीय व्यय के उचित प्रबंधन के लिए लागू किया गया है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कार्यकलापों का निरंतर अनुवर्तन। आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक अनुमोदन भी लिया जा रहा है।"

117. समिति द्वारा एफटीआईआई में आने वाली प्रमुख समस्याओं*;* एफटीआईआई में सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए की गई पहल*;* ***2023-24*** के लिए लक्ष्यों और योजना के साथ डिजिटलीकरण/स्वचालन की स्थिति के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त करने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:-

एफटीआईआई से संबंधित समस्याएं	मंत्रालय के उत्तर
सामना की गई प्रमुख समस्याएं	कोविड19-लॉकडाउन के दौरान कैंपस में शैक्षणिक कार्यकलापों को स्थगित कर दिया गया था, जिसके कारण **20** महीने के शैक्षणिक कार्यकलापों का बैकलॉग हो गया है। तथापि, संस्थान अपने छात्रों के लाभ के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहा था।
बाधाओं को दूर करने के लिए की गई पहलें	एफटीआईआई अकादमिक बैकलॉग और प्रवेश में हुए विलंब को बेअसर करने के लिए कैंपस में समानांतर बैच चला रहा है। संस्थान में वर्तमान में **7** बैच हैं, अर्थात फिल्म विंग में **5** बैच (सामान्य **3** बैच के विपरीत) और टीवी विंग में **2** बैच (सामान्य **1** बैच के विपरीत)। संसाधन: वित्तीय, मानव संसाधन, उपकरण और स्थान तदनुसार कॉन्फ़िगर किए गए हैं। अगस्त **2025** में बैकलॉग के निष्प्रभावी होने की उम्मीद है ।
2023-24 के लिए लक्ष्य और योजना	वित्त वर्ष **2023-24** के दौरान पुणे में सभागार सह ज्ञान केंद्र के निर्माण को पूरा करने का प्रस्ताव है। साथ ही, वित्त वर्ष **2023-24** के दौरान दो स्टूडियो)कोथरूड में एफटीआईआई का विस्तार परिसर (का निर्माण शुरू होगा।
डिजिटलीकरण/स्वचालन	अकादमिक प्रबंधन के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग

की स्थिति	)ईआरपी (को लागू करने का प्रस्ताव है।
संस्थान अपने छात्रों के लाभ के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहा था।	

(iii) **<u>एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स)एनसीओई-एवीजीसी(' के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र</u>**

118. भारतीय एवीजीसी उद्योग की क्षमता के वास्तवीकरण के लिए,वित्तीय वर्ष **2022-2023** के बजट भाषण में, भारतीय एवीजीसी उद्योग की क्षमता कोप्राप्त करने के लिए, भारत कीमाननीया वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी**)** प्रमोशन टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की।

एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन एवीजीसी क्षेत्र को गति प्रदान करने और भारतीय और वैश्विक बाजारों की आवश्यकता पूरी करने के लिए घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। एवीजीसी टास्क फोर्स के लिए प्रमुख कार्य क्षेत्रों में से एक रोजगार के अवसर उत्पन्न करके भारतीय एवीजीसी क्षेत्र की क्षमताओं और योग्यताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत नीतियां स्थापित करना था जो अंततः देश के आर्थिक विकास को गति देंगी।इसगठन का समर्थन करने वाला बड़ा विचार भारत में एवीजीसी क्षेत्र के दायरे और पहुंच को "क्रिएट इन इंडिया" और "ब्रांड इंडिया" का मशाल वाहक बनाना था।

एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स मेंभारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, एवीजीसी क्षेत्र में लाइट हाउस राज्यों, एवीजीसी उद्योग और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व था।अन्य अंत: क्षेपों के बीच नीति निर्माण, क्षमता निर्माण, अवसंरचना विकास, तकनीकी पहुंच, उद्योग विकास, अनुसंधान और विकास, स्थानीय आईपी बनाने और निर्यात क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में उप-कार्य दलों से सिफारिशें प्राप्त हुईं है।

नीचे दिए गए **5** स्तंभ मिलकर एवीजीसीप्रमोशन टास्क फ़ोर्स द्वारा प्रस्तावित अंत: क्षेपों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

सेक्टर संभावित प्राप्ति	शिक्षा, कौशल, मेंटरिंग और क्षमता निर्माण	प्रौद्योगिकी तक पहुंच	क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाना	विविधता और स्थिरता

बाजार पहुंच और विकास	पेशेवरों के लिए स्किलिंग और मेंटरशिप	प्रौद्योगिकी में नवाचार	वित्त तक पहुंच	लिंग, समानता और सामाजिक समावेशन
अवसंरचना विकास	अधिकारियों और निर्णयकर्ताओं की क्षमता निर्माण	प्रौद्योगिकी तक पहुंच में वृद्धि	बढ़ा हुआ वित्तीय परिव्यय	जलवायु प्रथम दृष्टिकोण
उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का निर्माण	शिक्षा (स्कूल, उच्चतर शिक्षा)	अनुसंधान और विकास		
भारतीय सामग्री का प्रचार		बौद्धिक संपदा और पेटेंट		
आईईसी और आउटरीच		एमएसएमई और स्टार्ट अप		

119. वर्ष **2023-24** के लिए एमआईबी के दो प्रमुख क्षेत्र हैं:-

(i) *मुंबई में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई-एवीजीसी) की स्थापना।*

(ii) मीडिया और मनोरंजन (एम एंड ई) क्षेत्र के एवीजीसी खंड को बढ़ावा देने के लिए एवीजीसी मिशन का शुभारंभ

120. पिछले डीएफजी (**2022-23)** की जांच करते समय यह देखा गया कि फिल्म क्षेत्र के तहत वर्ष **2022-23** के लिए प्रमुखता वाले क्षेत्रों में (**i)** 'मुंबई में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई-एवीजीसी) की स्थापना' और (**ii)** एवीजीसी क्षमता का वास्तवीकरण करने और घरेलू निर्माण के तरीकों की सिफारिश करने और हमारे बाजारों और वैश्विक मांग की पूर्ति करने की क्षमता तैयार करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स स्थापित करने के लक्ष्य भी शामिल थे। वर्ष **2022-**

23 के दौरान निर्धारित उपर्युक्त प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:-

"(I). बजट घोषणा **2022-23** के अनुसार, **08.04.2022** को एवीजीसी टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नीति निर्माण, कौशल विकास, शिक्षा और गेमिंग जैसी विषयों पर सभी उप टास्क फोर्स की सिफारिशों का मिलान करने के बाद एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसे **15.12.2022** को सचिव (सूचना और प्रसारण) द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

(II). एवीजीसी टास्क फोर्स की रिपोर्ट में मोटे तौर पर निम्नलिखित की सिफारिश की गई है:

i. सूचना, शिक्षा, संचार और लोक संपर्क के माध्यम से बाजार तक पहुंच और विकास
ii. एवीजीसी से संबंधित नौकरी की भूमिकाओं, क्वालिफिकेशन पैक्स और शिक्षा ढांचे के साथ मजबूत एकीकरण को परिभाषित करके स्किलिंग और मेंटरशिप
iii. एवीजीसी क्षेत्र पर केंद्रित शिक्षा का मानकीकरण
iv. वित्तीय व्यवहार्यता बनाने की तुलना में प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना
v. लैंगिक, आर्थिक पृष्ठभूमि और अलग-अलग परिवेश के लोगों के कौशल, पुन: कौशल और अपस्किलिंग को समान महत्व देते हुए सामग्री निर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ क्रिएट इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना, इस प्रकार, इक्विटी और समावेश के माध्यम से क्षेत्र में विविधता लाना

(III). सचिव (सूचना और प्रसारण) ने **26.12.2022** को दोपहर **12:30** बजे एवीजीसी टास्क फोर्स फाइनल रिपोर्ट पर एक प्रेस वार्ता की।

(IV). एवीजीसी टास्क फोर्स की अंतिम सिफारिशों के अनुसार, टास्क फोर्स की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्रवाइयों पर विचार किया गया है-

क. प्रमोशनल फंडिंग और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए बजट परिव्यय के साथ एक राष्ट्रीय एवीजीसी-एक्सआर मिशन बनाने की

आवश्यकता है। टास्क फोर्स की अधिकांश सिफारिशें और एवीजीसी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे में परिकल्पित अंतर-विभागीय कार्रवाइयों को इस एवीजीसी मिशन के माध्यम से लागू करने की परिकल्पना की गई है।

ख. एवीजीसी सेक्टर के लिए स्किलिंग, एजुकेशन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और रिसर्च एंड इनोवेशन में अंतरराष्ट्रीय संदर्भ बिंदु बनने के लिए एवीजीसी सेक्टर के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एनसीओई) स्थापित करना।

ग. एवीजीसी क्षेत्र की संभावित प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे (पृष्ठ./.) पर मंत्रिमंडल की अनुमोदन की मांग।

घ. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में एवीजीसी क्षेत्र के विकास के लिए टास्क फोर्स द्वारा तैयार मॉडल राज्य नीति (पृष्ठ./.) को अपनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों के साथ विचार-विमर्श"।

121. कार्य दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए विचारित उपर्युक्त प्रत्येक कार्यकलाप पर की गई/शुरू की गई कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए मंत्रालय ने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए:

क्र. सं.	एवीजीसी टास्क फोर्स की रिपोर्ट की व्यापक सिफारिशें	टास्क फोर्स की सिफारिशों को लागू करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई	कार्यान्वयन के लिए रोड मैप/अनुसूचियां	कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा और लक्ष्य	बजट परिव्यय
1.	सूचना, शिक्षा, संचार और आउटरीच के माध्यम से बाजार तक पहुंच और विकास	प्रमोशनल फंडिंग और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए बजट परिव्यय के साथ एकराष्ट्रीय एवीजीसी-एक्सआरमिशन बनाने की आवश्यकता है।टास्क फोर्स की अधिकांश सिफारिशें और एवीजीसी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे में परिकल्पित अंतर-विभागीय कार्रवाइयों को इस एवीजीसी मिशन के माध्यम से कार्यान्वित	रोडमैप तैयार किया जा रहा है; एवीजीसी पर राष्ट्रीय नीति के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। अभी लोगों से परामर्श चल रहा है	रोडमैप तैयार किया जा रहा है; एवीजीसी पर राष्ट्रीय नीति के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। अभी लोगों से परामर्श चल रहा है	--

		करने की परिकल्पना की गई है।			
2.	एवीजीसी से संबंधित जॉब की भूमिकाओं, योग्यता पैक और शिक्षा ढांचे के साथ मजबूत एकीकरण को परिभाषित करके स्किलिंग और मेंटरशिप	एवीजीसी सेक्टर के लिए स्किलिंग, शिक्षा, उद्योग विकास और अनुसंधान एवं नवाचार में अंतरराष्ट्रीय संदर्भ बिंदु बनने के लिए एवीजीसी सेक्टर के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एनसीओई) स्थापित करना।	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	--
3.	एवीजीसी क्षेत्र पर केंद्रित शिक्षा का मानकीकरण वित्तीय व्यवहार्यता बनाने की तुलना में प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना	एवीजीसी सेक्टर के संभावित रियलाइजेशन के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे(पृष्ठ/सी) पर कैबिनेट की मंजूरी की मांग करना	जन परामर्शकिया जा रहा है। इसके बाद ही मामले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा।	जन परामर्श किया जा रहा है। इसके बाद ही मामले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा।	--
4.	किसी भी लिंग, आर्थिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक स्थल के लोगों के कौशल, पुन: कौशल और अपस्किलिंग को समान महत्व देते हुए सामग्री निर्माण पर विशेष	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एवीजीसी क्षेत्र के विकास के लिए टास्क फोर्स द्वारा तैयारमॉडल राज्य नीति (पेज/सी)को अपनाने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ विचार-विमर्श	सभी राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए पत्र लिखे गए हैं। जल्द ही राज्यव्यापी परामर्श आयोजित किया जाएगा	सभी राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए पत्र लिखे गए हैं। जल्द ही राज्यव्यापी परामर्श आयोजित किया जाएगा	--

	ध्यान देने के साथ क्रिएट इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना, इस प्रकार, इक्विटी और समावेशन के माध्यम से क्षेत्र में विविधता लाना				

122. 'एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी)' के प्रचार के लिए बजटीय आवंटन और निर्धारित लक्ष्य के विवरण के संबंध में मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

> "एवीजीसी के लिए बजटीय आवंटन और प्रोत्साहन के लिए निर्धारित लक्ष्य के संबंध में हितधारकों के साथ परामर्श जारी है।"

123. एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजटीय आवंटन और उपयोग की स्थिति के साथ एवीजीसी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए नियोजित पहलों का विवरण प्रदान करने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-

> "अभी तक इस क्षेत्र के लिए कोई ठोस बजटीय आवंटन प्रदान नहीं किया गया है। तथापि एक बार राष्ट्रीय और मॉडल राज्य नीति को मंजूरी मिलने के बाद, उसके लिए वित्तीय आवश्यकता तैयार की जाएगी।".

124. आगे, यह पूछे जाने पर कि क्या एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) के संबंध में कोई नियम या कानून बनाया जा रहा है, मंत्रालय ने जानकारी दी कि:-

> "एवीजीसी सेक्टर के संबंध में वर्तमान में कोई कानून/नियम नहीं है। मसौदा राष्ट्रीय नीति अभी भी परामर्श चरण में है। एवीजीसी-एक्सआर सेक्टर के लिए अनुशंसित राज्य मॉडल नीति परामर्श के लिए राज्यों को परिचालित की गई है।"

125. मंत्रालय से एवीजीसी क्षेत्र से संबंधित कुछ विवरण, यथा (एक) एवीजीसी क्षेत्र में कौन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अच्छा कर रहे हैं और कौन से पिछड़ रहे हैं (दो) पिछड़ रहे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना बनाई गई है**?** (तीन) एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं तथा (चार) उन्हें दूर करने के लिए नियोजित उपायों का विवरण क्या है, मांगे जाने पर मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

> "कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य एवीजीसी क्षेत्र के फील्ड में आगे हैं। अधिकांश अन्य राज्य इस क्षेत्र में पीछे हैं। इस क्षेत्र के विकासेत्तर से संबंधित अधिकांश मुद्दे जैसे कि अवसंरचना की अनुपलब्धता, प्रौद्योगिकी पहुंच आदि, जिनका राष्ट्रीय और मॉडल राज्य नीति के मसौदे में समाधान किया गया है। एक बार नीतियां स्वीकृत हो जाने के बाद, एवीजीसी मिशन इन सभी मुद्दों को शामिल करेगा और इस क्षेत्र को आगे कैसे ले जाना है, इस पर कार्यनीति प्रदान करेगा"।

126. गेमिंग और जुआ उद्योग के लिए नियमों और नीति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने कहा कि यह एमईआईटीवाई की देख-रेख के अधीन है।

127. डीएफजी की परीक्षा के दौरान, सचिव ने गेमिंग क्षेत्र से संबंधित एक मामले, अर्थात् सट्टेबाजी/जुए के लिए विज्ञापन, का उत्तर देते हुए निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया: -

> "महोदय, एक प्रश्न बेटिंग और गैंबलिंग विज्ञापनों के ऊपर आया था कि वह एक थिन लाइन है। यह बात सही है। इसके ऊपर हाल ही में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, इसे अब डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, माइटी देखेगा और उसके ऊपर वे अभी अपने रूल्स आदि निकालेंगे। उसके ऊपर उनकी चर्चा चालू है। परन्तु इसमें कुछ क्योंकि हमने जोरो के थे, बीच में जब टी**-20** वर्ल्ड कप आ रहा था, तो उसमें कॉफी बेटिंग के विज्ञापन आ रहे थे। उन पर हमने रोक लगाई और स्टार टीवी, स्टा रस्पोर्ट्स पर उस समय वे विज्ञापन नहीं भी आए, क्योंकि स्पोर्ट्स के कॉफी बेटिंग विज्ञापन आ रहे थे। कुछ विज्ञापन आज भी चलते हैं, क्योंकि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के अंदर यह एक थिन लाइन आज भी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कुछ गेम्स को, जैसे रमी है, उसे गेम ऑफ स्किल कहा गया है तो गेम ऑफ स्किल के ऊपर, क्योंकि वह लीगल है तो उसके विज्ञापन आते हैं। ऐसे ही जो ड्रीम **11** और इस तरह के अन्य विज्ञापन हैं, क्योंकि वह लीगल है तो वे आते हैं। अब इसमें क्या लीगल है, क्या इल्लीगल है, माइटी आगे इसके ऊपर और अधिक ध्यान देगी। जो हमारा मीडिया सेक्टर है, लगभग **25** बिलियन डालर का मीडिया सेक्टर है, जिसमें

हमारी दर वर्ष जो ग्रोथ होती है, वह **12** से **13** परसेंट होती है। भारत देश का जो ग्रोथ रेट **6** से **7** परसेंट है, उससे अधिक दर पर मीडिया सेक्टर ग्रो कर रहा है। हमारी अपेक्षा है कि वर्ष **2030** तक जो मीडिया सेक्टर आज **25** बिलियन डालर का है, वह बढ़कर **70** से **75** बिलियन डालर हो जाएगा और अगर भारत की ग्रोथ और बढ़ी तो हो सकता है कि **90** से **100** बिलियन डालर तक भी पहुँचे। उसमें एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टरहै। हमारी आईटी के अंदर बहुत एक्सपर्टीज है। हमारे बहुत से लोग आईटी में काम करते हैं, तो एवीजीसी को फोकस करते हुए टास्क फोर्स बनायी गई थी। जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें और अधिक हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको शामिल करें, किस तरह से लोगों को इस के बारे में शिक्षित करें, जैसे कंप्यूटर की कक्षाएं होती हैं, तो उसमें किस तरह से एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स आदि का पाठ्यक्रम रखें। **5**वीं, छठी कक्षा से ही बच्चों को उसके बारे में बताएं, उनके कैरियर्स क्या हैं, कैसे हो सकते हैं और आगे स्किलिंग के अंदर भी उस तरह के कोर्सेज को शुरू करें। इसके ऊपर जोर दिया गया है। कुछ इंसेंटिव्स की भी बात है कि कैसे स्टॉर्टअप्स को उसमें हम कर सकते हैं। स्टॉर्टअप फंड आदि कैसे कर सकते हैं**?** अभी टास्क फोर्स की रिपोर्ट ही मिनिस्ट्री एंड आई एंड बी ने स्वीकार की है, उसे कैबिनेट में ले जाकर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें आगे जाना होगा**!**"

(iv) <u>भारत में फिल्म शूटिंग</u>

128. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने और विश्व स्तर पर अपनी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करने के लिए विकास संचार और फिल्म सामग्री का प्रसार (डीसीडीएफसी) योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का एक घटक भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।

129. केंद्र शासित प्रदेशों/राज्यों का विवरण प्रदान करने के बारे में यह पूछे जाने पर कि केंद्र शासित प्रदेशों/राज्यों के शूटिंग के लिय सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले स्थानों का विवरण क्या है, मंत्रालय ने उत्तर दिया:

" उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची जहां एफएफओ के माध्यम से अनुमति दी गई विदेशी परियोजनाओं की शूटिंग हुई है -चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।

130. अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फिल्मों के लिए पसंदीदा शूटिंग गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों के संबंध में**,** मंत्रालय ने फिल्मांकन को आसान बनाने और भारत को शूटिंग गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ एफएफओ के जुड़ाव के बारे में जानकारी प्रदान की। वे इस प्रकार हैं:-

1. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में भागीदारी - वेबसाइट के लॉन्च के बाद, एफएफओ ने विभिन्न प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फिल्म बाजारों जैसे 2019, 2020 (ऑनलाइन संस्करण) और 2022 में कान फिल्म बाजार, 2019, 2020 और 2022 में ऑनलाइन बर्लिन में यूरोपीय फिल्म बाजार, हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म एंड टीवी मार्केट 2019, वेनिस प्रोडक्शन ब्रिज (वीपीबी) 2022, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (टीआईएफएफ) 2022औरवैश्विक फिल्म उद्योग को एफएफओ के बारे में जागरूक करने और 'फिल्म इन इंडिया' 'सरकार की पहलको बढ़ावा देने के उद्देश्य से भाग लिया है। इसके अलावा,एफएफओ ने ब्रांडिंग और विज्ञापन किए और भारत को बढ़ावा देने के लिए सत्र और बैठकें आयोजित कीं और अपनी आगामी परियोजनाओं के लिए निर्माण और स्थान की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के निर्माताओं से सीधे जुड़े।

2. एफएफओ वेबसाइट में भारत के सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पेज समर्पित हैं। वेबसाइट राज्य नोडल अधिकारी को निम्नलिखित सूचनाओं को बनाए रखते हुए फिल्मिंग गंतव्य के रूप में अपने संबंधित राज्यों को बढ़ावा देने की अनुमति देती है -

क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की फिल्म नीति और प्रस्तावित प्रोत्साहन
ख. नोडल अधिकारियों का संपर्क विवरण
ग. प्रति स्थान फिल्मांकन संबंधी जानकारी के साथशूटिंग के स्थान,
घ. महत्वपूर्ण राज्य त्यौहार

ङ. राज्य की फिल्मोग्राफी

https://ffo.gov.in/en/locations/state-information/28

3. 2017 से एफएफओ ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फिल्म बाजार में अपने फिल्म कार्यालय स्थापित करने में मदद की है ताकि उन्हें उद्योग से जोड़ा जा सके और उन्हें अपने प्रोत्साहन और नीतियों को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाया जा सके। कार्यशालाओं और फिल्म कार्यालयों के माध्यम से नोडल अधिकारियों के साथ निरंतर जुड़ाव के परिणामस्वरूप:

- 19 राज्यों में फिल्म नीति है
- 17 राज्यों में एक ऑनलाइन सिंगल विंडो फिल्मिंग इकोसिस्टम है
- 18 राज्यों में फिल्म निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन है

4. मंत्रालय की ओर से एफएफओ राज्यों के लिए फिल्म अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत स्थापित मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड का क्रियान्वयन करता है। यह पुरस्कार गुजरात राज्य (2015), उत्तर प्रदेश (2016), मध्य प्रदेश (2017 और 2020), उत्तराखंड (2018) और सिक्किम (2019) को दिया गया है।

131. समिति ने भारत को एक पसंदीदा शूटिंग गंतव्य बनाने के लिए पिछले **5** वर्षों के बजटीय विवरण मांगे। इस पर**,** मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:-

"एफएफओ के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मंत्रालय ने फिल्म सुविधा कार्यालय के कामकाज के लिए एनएफडीसी को निम्नलिखित राशि स्वीकृत की है जिसकी स्थापना भारत को पसंदीदा फिल्मांकन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए की गई है।

क्र. सं.	वर्ष	राशि (रु.)
1	2018-19	4,99,01299
2	2019-20	7,25,31,000
3	2020-21	2,00,00,000
4	2021-22	शून्य

5	2022-23	3,06,30,676

132. भारत को फिल्मों की शूटिंग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने में देखी गई बाधाओं और उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपायों और उनके परिणामों पर विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:-

क. प्रोत्साहन नीति: फिल्मांकन के लिए केंद्रीय प्रोत्साहन नीति की कमी भारत को एक पसंदीदा फिल्मांकन गंतव्य बनाने में एक बड़ी बाधा थी। सभी प्रमुख प्रतिस्पर्धी गंतव्यों में एक मजबूत प्रोत्साहन नीति थी जो निर्माण व्यय को ऑफसेट करने के लिए या तो कर छूट या सीधे आगे नकद प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस मुद्दे को हल करने के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मई 2022 में विदेशी निर्माणों और आधिकारिक सह-निर्माणों के लिए प्रोत्साहन स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम का उद्देश्य विदेशी फिल्मों और आधिकारिक सह-निर्माण द्वारा भारत में किए गए निर्माण की लागत की30% प्रतिपूर्ति करना है। मंत्रालय और एफएफओ ने भी कई राज्य सरकारों के साथ काम किया है और उन्हें अपनी प्रोत्साहन नीति बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन के ऊपर केंद्रीय प्रोत्साहन का दावा किया जा सकता है और यह माना जाता है कि यह विदेशी फिल्म निर्माता की एक प्रमुख चिंता का समाधान करेगा।

ख. वीजा: भारत आने वाली विदेशी प्रोडक्शन के कलाकारों और कर्मी दल के लिए वीजा चिंता का एक अन्य क्षेत्र था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वीजा की एक विशेष श्रेणी अर्थात फिल्म (एफ) वीजा शुरू करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया, जो भारत में फिल्म निर्माण के लिए भारत आने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई प्रोडक्शन के कलाकारों और कर्मी दल को सक्षम करेगा। एफ वीजा एक वर्ष के लिए वैध एक बहु प्रवेश वीजा है ताकि कलाकार और कर्मी दल कई कार्यक्रमों के लिए आ सकें। वीज़ा प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, एफ वीज़ा को भी टोही यात्राओं के लिए पात्र बनाया गया था।

ग. सिंगल विंडो अनुमति प्रणाली: भारत में फिल्मांकन के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर कई अनुमतियों की आवश्यकता होती है जो विदेशी निर्माण के लिए समय और

बजट लेती है। मंत्रालय ने फिल्म सुविधा कार्यालय की स्थापना की है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ एएसआई, रेलवे आदि जैसी अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अनुमति के लिए सिंगल विंडो सुविधा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। एफएफओ ने राज्य सरकारों के साथ भी सक्रिय रूप से काम किया है और उन्हें ऑनलाइन और/या नोडल अधिकारी प्रणाली के माध्यम से सिंगल विंडो अनुमति ईको-सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रयासों के परिणामस्वरूप, 16 राज्यों में एक ऑनलाइन सिंगल विंडो अनुमति ईको सिस्टम है।

133. डीएफडीसी के तहत की गई नई पहलों और विदेशी फिल्मों को बढ़ावा देने के संबंध में सचिव ने समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए निम्नानुसार प्रस्तुत किया:-

"सर, एक प्रश्न यह उठा था कि हम क्या नयी चीजें कर रहे हैं? डीसीडीएफसी स्कीम में खर्चे का प्रावधान है, क्योंकि इस वर्ष हमने चैंपियन सेक्टर स्कीम के अंदर फिल्मों को लिया और फिल्मों में नयी योजनाएं लागू की गयीं कि इसमें हम पहली बार इंसेंटिव देंगे, यदि परदेस की फिल्मों की भारत में शूटिंग होती है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री शत्रुघ्नसिन्हाजी ने बताया था कि इन्होंने यूपी में फिल्म इन्सेंटिव पॉलिसी की थी और उसका लाभ हुआ था। उसी आधार पर अब केंद्रीय स्तर पर भी फॉरेन फिल्मों को हम शूटिंग का इंसेंटिव देंगे और उसमें राज्य जो दे रहे हैं, वह अलग से मिलेगा और केंद्र की तरफ से अलग से मिलेगा। यह केवल फिल्मों के लिए ही नहीं है। चाहे वे किसी एडवरटाइजमेंट के लिए आएं, किसी एनीमेशन के लिए आएं या किसी भी काम के लिए आएं, उसके लिए हम उन्हें इंसेंटिव देंगे और साथ ही फॉरेन देशों में लगभग 17 देशों के साथ हमारी को-प्रोडक्शन ट्रीटी हैं। उन्हें भी हम बढ़ाकर और अधिक करना चाहते हैं। इस पर भी हमारा काम चल रहा है"।

134. भारत में शूट की जाने वाली विदेशी फिल्मों की सामग्री के संबंध में एमआईबी की भूमिका के बारे में मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:-

"सूचना और प्रसारण मंत्रालयभारत में अपनी फीचर फिल्मों, टीवी/वेब शो और सीरीज एवं रियलिटी टीवी/वेब शो और सीरीज की शूटिंग के इच्छुक फिल्म निर्माताओं को शूटिंग की अनुमति देता है। उसी के लिए आवेदन एफएफओ द्वारा ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। अनुमति प्रदान करने से पहले, मंत्रालय द्वारा नियुक्त पैनल से पटकथा मूल्यांकन अधिकारी (एसईओ) द्वारा परियोजनाओं की पटकथा का मूल्यांकन किया

जाता है। एसईओ यह जांचने के लिए पटकथा का मूल्यांकन करता हैकि सामग्री में भारत की छवि के लिए कुछ भी विवादास्पद या हानिकारक नहीं है। एसईओ फिल्मांकन की अवधि के दौरान संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की भी सिफारिश करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फिल्म स्वीकृत पटकथा से विचलित नहीं होती है या यदि आवश्यक हो तो रिलीज से पहले विदेश में भारतीय मिशन द्वारा फिल्म की जांच की जाती है।

मंत्रालय 15 देशों के साथ भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण संधि के तहत परियोजनाओं को आधिकारिक सह-निर्माण का दर्जा भी प्रदान करता है। यदि आवश्यक हो तो अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए उपकरणों के अस्थायी आयात के लिए सीमा शुल्क छूट पत्र जारी करना"।

135. इसके आगे सचिव ने, साक्ष्य के दौरान, जोड़ा कि:-

"फॉरेन फिल्मों के कंटेंट के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। जो फॉरेन फिल्में यहाँ आती हैं, उनके कंटेंट के बारे में एक प्रश्न आया था। हम तो वेलकम करते हैं कि फॉरेन फिल्म्स यहाँ पर आएं और उनकी शूटिंग आदि यहाँ पर हो और अधिक से अधिक हमारे देश को भी बाहर के देशों में देखा जाए। हमारी सिंगलविंडो और उसके माध्यम से हमारा तो यही प्रयास है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करें और उनको इंसेंटिव भी दें।उनके कंटेंट के बारे में बस यह है, हम थोड़ा सा देखते हैं कि उस में कोई हमारे देश के विरोधी या कोई इस तरह की चीज न हो। हमारे कुछ लोग स्क्रिप्टड् वैल्यूएटर्स रहतेहैं, जो कि दो-तीन दिन से ज्यादा समय नहीं लगाते हैं,अधिकतम एक हफ्ते में उसे कर देते हैं और वे सिर्फ इतना देखते हैं कि जिससे हमारे यहाँ शूटिंग आदि करते वक्त उससे भावनाएं न भड़कें। उसके बियॉन्ड हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है"।

आठ. <u>सूचना क्षेत्र</u>

136. सूचना क्षेत्र प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों और गतिविधियों के सूचना प्रसार और जागरूकता सृजन, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सरकारी विज्ञापनों के दर निर्धारण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, *1867* और प्रेस परिषद अधिनियम *1978*

का प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय के सूचना विंग के तहत स्वायत्त निकायों के मुख्य सचिवालय की स्थापना व्यय, अन्य केंद्रीय व्यय में से कुछ को निम्नलिखित पैराग्राफ में बताया गया है

(i) <u>भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) और आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानकों में उन्नयन</u>

137. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का *XXI)* के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। इसे मीडिया और जन संचार के क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान करने के बुनियादी उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया था। पिछले 56 वर्षों में, संस्थान ने आधुनिक समय में तेजी से विस्तारित और बदलते मीडिया उद्योग की विविध और मांग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने मूल जनादेश को ध्यान में रखते हुए "सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की सूचना और प्रचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई विशेष पाठ्यक्रमों के संचालन में विशेषज्ञता प्राप्त की है।

138. 11वीं पंचवर्षीय योजना में 'आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानक में उन्नयन' योजना को शामिल किया गया था और कुल 62.0 करोड़ रुपये की राशि के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावों में आईआईएमसी का उन्नयन अर्थात आईआईएमसी परिसर, नई दिल्ली में अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण और महाराष्ट्र, मिजोरम, केरल और जम्मू में आईआईएमसी के चार नए क्षेत्रीय परिसरों को शुरू करना शामिल था। जनवरी, 2021 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन आईआईएमसी, नई दिल्ली में नए अतिरिक्त संस्थागत भवनों के निर्माण की अनुमति दी थी। इस योजना स्कीम के विपरीत, आईआईएमसी के प्रस्ताव को डी नोवो श्रेणी के तहत

डीम्ड विश्वविद्यालय में बदलने पर भी 2017 से विचार किया जा रहा था, जिसमें प्रस्ताव को आगे बढ़ने के बाद विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का निर्माण शामिल होगा। उपर्युक्त योजना स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2011 में आइजोल (मिजोरम) और अमरावती (महाराष्ट्र) में दो क्षेत्रीय परिसर शुरू किए गए थे और अन्य दो क्षेत्रीय परिसर 2012 में जम्मू (जम्मू और कश्मीर) और कोट्टायम (केरल) में शुरू किए गए थे।

139. पिछले चार वर्षों के लिए आईआईएमसी के लिए बजटीय आवंटन और उपयोग निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु. में)

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी)					
वर्ष	**ब.प्रा.**	**सं.प्रा.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.प्रा. के संदर्भ में प्रतिशत**	**सं.प्रा. के संदर्भ में प्रतिशत**
2019-20	26.49	25.69	24.33	91.85	94.71
2020-21	61.30	41.41	25.93	42.30	62.62
2021-22	65.00	30.00	27.15	41.77	90.50
2022-23	52.00	41.00	27.03*	51.98	65.93
2023-24	44.67	-	-	-	-
(*) वास्तविक व्यय 31.01.2023 तक।					

140. आईआईएमसी के तहत आने वाली प्रमुख समस्याएं, एमआईबी द्वारा यथा सूचित निम्नानुसार हैं:

"वित्त वर्ष में पूर्ति के लक्ष्य 2022-23 के अनुसार पाइपलाइन में चल रही विभिन्न/नई परियोजनाओं को लेते समय संस्थान के सामने आई प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं:

क. <u>आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन</u>:

- आईआईएमसी को भवन के निर्माण के लिए विभिन्न नियामक प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरी लेनी पड़ी थी। तथापि, पर्यावरण के आधार पर भवन निर्माण से संबंधित कुछ आपत्तियों के कारण यह विस्तार नहीं हो सका। इसके बाद, माननीय

सर्वोच्च न्यायालय ने आईआईएमसी को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा इसकी रिपोर्ट संख्या 28 दिनांक 22.10.2019 में दी गई शर्तों के अध्यधीन आईआईएमसी, नई दिल्ली में नए अतिरिक्त संस्थागत भवन के निर्माण की अनुमति दी। प्रस्तावित नए निर्माण की सिफारिश करते हुए सीईसी ने आईआईएमसी को ग्राउंड कवरेज कम करने की सलाह दी। तदनुसार, योजना को संशोधित किया गया है और विभिन्न नियामक प्राधिकरणों से नए अनुमोदन की आवश्यकता है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं।

ख. <u>क्षेत्रीय परिसर खोलना</u>:

उपरोक्त स्कीम के तहत, आईआईएमसी का देश के विभिन्न हिस्सों में चार क्षेत्रीय परिसर स्थापित करने का लक्ष्य था, और जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा, वे इस प्रकार हैं:

- अमरावती में आईआईएमसी के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र में देरी हुई क्योंकि आईआईएमसी, अमरावती के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र के स्थान को बदलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस मामले पर विचार किया गया और वर्ष 2021 में अमरावती के बधेरा में आईआईएमसी के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र के निर्माण का निर्णय लिया गया। आईआईएमसी और महाराष्ट्र सरकार के बीच पट्टा करार'समय-बाधित/व्यपगत' हो गया। इसलिए, एक नए पट्टा करार' पर हस्ताक्षर किए जाने थे, जो तब से हो चुका है और वित्त वर्ष 2023-24 में निर्माण शुरू होने की संभावना है।

- 2019 में आईआईएमसी आइजोल का पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र बनकर तैयार हुआ; तथापि, कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना के अधिग्रहण में देरी हुई। नए परिसर का उद्घाटन 3 नवंबर, 2022 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया है और सत्र 2022-23 नए स्थायी परिसर से शुरू हुआ है।

- कोविड-19 महामारी और कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण आईआईएमसी जम्मू के उत्तरी क्षेत्रीय परिसर में भी देरी हुई। परियोजना अब पूरी हो चुकी है और शैक्षणिक सत्र 2022-23 शुरू हो गया है।

- कोट्टायम केरल में दक्षिणी क्षेत्रीय परिसर ने पहले ही 2019 से स्थायी परिसर से काम करना शुरू कर दिया है"।

141. वर्ष *2022-23* के दौरान आईआईएमसी के तहत निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण और उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपाय, जैसा कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, निम्नानुसार हैं:-

पाई गई प्रमुख चुनौतियां	**प्राप्त नहीं करने के कारण**	**उन पर काबू पाने के लिए किए गए उपाय**
(क) "आईआईएमसी का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन" के लिए स्कीम।	इस स्कीम में आईआईएमसी, नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विस्तार के द्वारा सुविधाओं के उन्नयन की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, पर्यावरण के आधार पर भवन निर्माण से संबंधित कुछ आपत्तियों के कारण यह विस्तार नहीं हो सका। इसके बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईआईएमसी को आईआईएमसी, नई दिल्ली में नए अतिरिक्त संस्थागत भवनों के निर्माण की अनुमति दी है, जो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा दिनांक 22.10.2019 के अपनी रिपोर्ट संख्या 28 में लगाई गई शर्तों के अधीन है। प्रस्तावित नए निर्माण की सिफारिश करते हुए सीईसी ने आईआईएमसी को ग्राउंड कवरेज कम करने की सलाह दी। तदनुसार, योजना को	भूखंड के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और आवश्यक मंजूरी के लिए निविदा सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई है। निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू होगा

	संशोधित किया गया है और विभिन्न नियामक प्राधिकरणों से नए अनुमोदन की आवश्यकता है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। (क) कुछ प्रस्तावित कार्यों के लिए विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। (ख) आईआईएमसी, अमरावती के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र के स्थान को बदलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस मामले पर विचार किया गया और वर्ष 2021 में बधेरा, अमरावती में आईआईएमसी के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।	
अमरावती, महाराष्ट्र में आईआईएमसी के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र का निर्माण।		आरेखण और लागत अनुमान प्रस्तुत करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को आशय पत्र जारी किया गया है। प्रारंभ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिसर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा

142. आईआईएमसी के तहत पाई गई बाधाओं को दूर करने के लिए की गई पहल के बारे में, मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया:-

"आईआईएमसी ने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ पहलें की हैं जो इस प्रकार हैं:

क. <u>आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन</u>:

आईआईएमसी ने पहले ही औपचारिकताओं को मंजूरी दे दी है और "आईआईएमसी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन" से संबंधित परियोजना शुरू करने के लिए अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं।नए भवन के निर्माण के लिए लागत अनुमान, समय-सीमा और ड्राइंग प्रस्तुत करने के लिए आशय पत्र 05 दिसंबर, 2022 को सीपीडब्ल्यूडी नई दिल्ली को पहले ही भेज दिया गया है। इसका निर्माण इसी साल शुरू होने की संभावना है।

ख. <u>क्षेत्रीय परिसर खोलना</u>:

अमरावती में पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र के संबंध में, आईआईएमसी ने पहले से ही एक नए पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए हैं और सीपीडब्ल्यूडी को निर्माण कार्यों की ड्राइंग और लागत अनुमान प्रस्तुत करने के लिए आशय पत्र(एलओआई) जारी किया गया है। इसका निर्माण इसी साल शुरू होने की संभावना है।

143. दिल्ली में आईआईएमसी भवन के शुरू होने में विलंब के कारण और उस पर की गई कार्रवाई के संबंध में मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि:-

"परियोजना की शुरुआत में देरी हुई क्योंकि आईआईएमसी को भवन के निर्माण के लिए विभिन्न नियामक प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरी लेनी पड़ी। आईआईएमसी को इस मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना पड़ा, जो आखिरकार दिया गया है।

अब, आईआईएमसी ने पहले ही औपचारिकताओं को मंजूरी दे दी है और "आईआईएमसी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन" से संबंधित परियोजना शुरू करने के लिए अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। नए भवन के निर्माण के लिए लागत अनुमान, समय-सीमा और ड्राईंग प्रस्तुत करने के लिए आशय पत्र 05 दिसंबर, 2022 को सीपीडब्ल्यूडी नई दिल्ली को पहले ही भेज दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में निर्माण शुरू होने की संभावना है"।

144. 2023-24 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

आईआईएमसी के तहत परियोजनाएं	प्रारंभ होने की तिथि	नियोजित तारीख	कार्यान्वयन की स्थिति	विलंब के कारण	बजटीय विवरण के साथ **2023-24** के लिए लक्षित परियोजनाएं

आइजोल, मिजोरममें आईआईएमसी परिसर के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र के लिए स्थायी परिसर का निर्माण	2014	2019	परियोजना पूरी हुई	कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना के अधिग्रहण में देरी हुई	सीसीटीवी, लैन सिस्टम, आईपी ईपीएबीएक्स, साउंड सिस्टम, एयर कंडीशनिंग आदि सहित विभिन्न कमरों में रिटेनिंग वॉल, अंडर ग्राउंड वाटर सम्प, एकाउस्टिक वाल पैनलिंग, फाल्स सीलिंग आदि का कुछ अतिरिक्त निर्माण किया जाएगा। [अनुमानित लागत: 07.05 करोड़]
जम्मू (जम्मू और कश्मीर) केरन बन्तालाबमें भारतीय जनसंचार संस्थान के भारतीय परिसर के उत्तरी क्षेत्रीय परिसर का निर्माण	3 फरवरी2019 (आधारशिला रखने की तिथि)	31.03. 2021	प्रोजेक्ट पूरी हुई।	कोविड-19 महामारी और स्थानीय आबादी के साथ कुछ मुद्दे।	अतिरिक्त चारदीवारी और सुरक्षा बाड़ का निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने आदि का कार्य किया जाएगा [अनुमानित लागत: 02.00 करोड़]
अमरावती, महाराष्ट्रमें आईआईएमसीके पश्चिमी क्षेत्रीय परिसर की स्थापना।	ड्राइंग और लागत अनुमान तैयार करने के लिए सीपीडब्लयूडी , नागपुर को दिनांक 22.11.2022 को एक आशय पत्र जारी किया गया है।	सीपीड ब्ल्यूडी से अभीप्राप्त किया जाना है	निर्माण कार्य 2023-24 में शुरू होगा।	-	कार्यकारी एजेंसी अर्थातसीपीडब्ल्यूडी द्वारा परियोजना की सही लागत की जानकारी अभी दी जानी है।

नई दिल्लीमें आईआईएमसीपरिसर में नए भवन का निर्माण।	ड्राइंग और लागत अनुमान तैयार करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली को दिनांक 05.12.2022 को आशय पत्र जारी किया गया है।	सीपीड ब्ल्यूडी से अभी प्राप्त किया जाना है	निर्माण कार्य 2023-24 में शुरू होगा		कार्यकारी एजेंसी अर्थात सीपीडब्ल्यूडी द्वारा परियोजना की सही लागत की जानकारी अभी दी जानी है।

(ii) <u>भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई)</u>

145. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) का कार्यालय 1 जुलाई, 1956 को प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम (पीआरबी), 1867 में संशोधन करके स्थापित किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ एक संबद्ध कार्यालय, आरएनआई वैधानिक और गैर-वैधानिक कार्यों को निष्पादित करता है। आरएनआई देश भर में प्रकाशित समाचार पत्रों और प्रकाशनों का एक रजिस्टर रखता है, समाचार पत्रों और प्रकाशनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करता है, नए समाचार पत्रों के लिए शीर्षकों की उपलब्धता के बारे में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को सूचित करता है और समाचार पत्रों और प्रकाशनों के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की जांच और विश्लेषण करता है। आरएनआई देश में प्रिंट मीडिया परिदृश्य पर एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है, जिसका शीर्षक 'प्रेस इन इंडिया' है, जो हर साल *31* दिसंबर तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। अपने गैर-सांविधिक कार्यों के तहत, आरएनआई अपने साथ पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ता प्रकाशनों को न्यूजप्रिंट के आयात के लिए स्व-घोषणा प्रमाण

पत्र प्रमाणित करता है। यह कार्यालय प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोधों अथवा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुदेशों के आधार पर पीआईबी के नामित अधिकारियों के माध्यम से पंजीकृत प्रकाशनों का संचलन सत्यापन भी करता है।

146. अप्रैल से अक्टूबर *2020* के दौरान, आरएनआई ने शीर्षक के सत्यापन के लिए *10,590* आवेदनों की जांच की, जिनमें से *5,514* शीर्षकों को मंजूरी दी गई। अप्रैल से नवंबर, *2021* के बीच *276* शीर्षकों को डी-ब्लॉक कर दिया गया था और इच्छुक आवेदकों को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया गया था। *31* मार्च, *2021* तक पंजीकृत *1,44,520* प्रकाशनों में से *20,512* दैनिक समाचार पत्र और *1,24,008* अन्य पत्रिकाएं थीं।

147. पिछले पांच वर्षों के दौरान आरएनआई के अंतर्गत बजटीय आबंटन और उपयोग निम्नानुसार हैं:-

आरएनआई **(रुपए करोड़ में)**					
वर्ष	**बीई**	**आरई**	**एई**	**बीई के संबंध में %**	**आरई के संबंध में %**
2018-19	8.53	8.76	6.96	81.59	79.45
2019-20	8.65	6.53	6.36	73.52	97.39
2020-21	7.81	5.66	5.87	75.16	103.71
2021-22	8.52	8.22	7.70	90.38%	93.67%
2022-23	7.95	8.80	6.64*	83.52%	75.45%
2023-24	12.36				
(एई) वास्तविक व्यय 31.01.2023 तक					

148. वर्तमान में, शीर्षकों के लिए आवेदन ऑनलाइन भरा जा सकता है। शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण के कम्प्यूटरीकृत प्रसंस्करण के अलावा, सभी सत्यापित शीर्षक आरएनआई वेबसाइट पर डाले जाते हैं और डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस सुविधा की शुरूआत के साथ, कोई भी

व्यक्ति/भावी प्रकाशक मौजूदा शीर्षक डेटा बेस तक पहुंच सकता है, जो राज्य/भाषा-वार उपलब्ध था। डिजिटलीकरण के दूसरे चरण में, पंजीकरण के लिए आवेदन सहित कार्यालय की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा।

149. आरएनआई में स्वचालन प्रक्रिया और आरएनआई में स्वचालन प्रक्रिया को पूरा करने में आने वाली बाधाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए, मंत्रालय ने निम्नानुसार सूचित किया :-

"आरएनआईके स्वचालन परियोजना का पहला चरण वर्ष **2020** में एनआईसीके नेतृत्व में प्रोग्रामर्स की इन-हाउस टीम के साथ शुरू हुआ। परियोजना में आरएनआई के निम्नलिखित कार्यों के स्वचालन की परिकल्पना की गई है।

- शीर्षक सत्यापन
- पंजीकरण
- परिसंचरण सत्यापन
- अखबारी कागज प्रमाणपत्र सृजन
- नियमितता अद्यतन
- वार्षिक विवरण दाखिल करना,
- नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, केंद्रीय संचार ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय और भारतीय प्रेस परिषद के साथ एकीकरण; ई-साइन के माध्यम से विभिन्न जिलों में लाइसेंसिंग प्राधिकरण।
- डीएके प्रबंधन, हेल्पडेस्क और शिकायत निवारण
- अभिलेखों का डिजिटलीकरण;
- आरएनआई के अन्य दिन-प्रतिदिन के संचालन।

परियोजना के हिस्से के रूप में, भारतकोष के माध्यम से जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान सक्षम किया गया है। इसके अलावा,प्रकाशकों द्वारा वार्षिक विवरण दाखिल करना ऑनलाइन कर दिया गया है। परियोजना का दूसरा चरण जनवरी **2023** में एक एजेंसी को काम पर रखकर शुरू किया गया है । सार्वजनिक उपयोग के लिए अंतिम परिनियोजन(तैनाती) की योजना जुलाई, **2023** के लिए बनाई गई है। आज की तारीख में, सभी मॉड्यूलों की आधार रेखा पूरी कर ली गई है; शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण मॉड्यूल के सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) भी पूरे हो गए हैं। वेबसाइट होम पेज डिजाइन के साथ परिनियोजन आर्किटेक्चर तैयारी प्रगति पर है। डिजिटलीकरण के हिस्से के रूप में, कुल **960** रजिस्टरों का

डिजिटलीकरण किया जाना है। इसमें **1,56,000** रजिस्टर रिकॉर्ड शामिल हैं। इनमें से **619** रजिस्टर स्कैन किए जा चुके हैं और आज की तारीख तक **61,749** रजिस्टर रिकॉर्ड की डाटा मैपिंग पूरी कर ली गई है। स्वचालित प्रणाली को ई-साइन समाधान के साथ एकीकृत किया जाना है ताकि प्रकाशकों और प्रमाणीकरण अधिकारियों को लेन-देन में आसानी और रिकॉर्ड प्रबंधन की पेशकश की जा सके। इस परियोजना में डेटा के निर्बाध एकीकरण के लिए इन मॉड्यूल को राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली, भारतकोश पोर्टल की ऑनलाइन भुगतान प्रणाली और केंद्रीय संचार ब्यूरो के पैनल पोर्टल से जोड़ने की सुविधा भी है"।

150. डीपीआईआईटी के राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल के साथ आरएनआई पोर्टल के एकीकरण और शीर्षक सत्यापन, शीर्षक पंजीकरण, परिसंचरण सत्यापन, नियमितता, वार्षिक विवरण और भारत में प्रेस आदि से संबंधित विभिन्न मॉड्यूल के स्वचालन के लिए निर्धारित समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया :-

"राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) और अन्य सरकारी पोर्टलों के साथ एकीकरण की समय-सीमा जुलाई, **2023** है।
ऑटोमेशन मॉड्यूल की समय-सीमा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	घटक	समय-सीमा
1.	वेब पोर्टल का कार्यात्मक विकास	28.04.2023
2.	यूएटीके लिए अंतिम क्यूसीपरीक्षण और साझाकरण	12.05.2023
3.	उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी)	26.05.2023
4.	प्रशिक्षण	05.06.2023
5.	सुरक्षा ऑडिट	19.06.2023
6.	गो-लाइव	26.06.2023
7.	तैनाती के बाद वारंटी समर्थन	25.09.2023

दो प्रमुख मॉड्यूल अर्थात शीर्षक सत्यापन और पंजीकरणकी समय-सीमा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	घटक	समय-सीमा
1.	कार्यात्मक विकास (शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण)	24.02.2023
2.	यूएटीके लिए अंतिम क्यूसीपरीक्षण और साझाकरण	03.03.2023

3.	उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी)	09.03.2023
4.	प्रशिक्षण	17.03.2023
5.	सुरक्षा लेखापरीक्षा	24.03.2023
6.	गो-लाइव	29.03.2023
7.	गो-लाइव साइन ऑफ	31.03.2023

151. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक(आरएनआई) में देखी गई समस्याओं, चुनौतियों और उन्हें दूर करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि :-

<u>चुनौतियां</u>	<u>चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए उपाय</u>
• शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में दस्तावेजों के सत्यापन की मैन्युअल प्रक्रिया। • डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जुर्माना भुगतान की मैन्युअल प्रक्रिया। • आरएनआई, नई दिल्ली में भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए क्योंकि देश भर से आवेदन करने के लिए केवल एक कार्यालय है। • उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण के लिए आवेदन लंबित है। • बड़ी संख्या में निष्क्रिय प्रकाशन जिन्होंने कई वर्षों से वार्षिक विवरण दाखिल	• 1 मार्च, 2023 से लागू होने वाले शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण के लिए नए दिशानिर्देशों के साथ प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। • प्रक्रियाओं का स्वचालन किया जा रहा है। • स्पष्ट और कड़े प्रावधानों के साथ परिचालन सत्यापन के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई। • बंद पड़े प्रकाशनों की पहचान और पंजीकरण रद्द करने का काम शुरू हो गया है। • परिवादों/शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। • सूचना भवन के भूतल में एक समर्पित पूछताछ कार्यालय। • दिल्ली और उसके आसपास के प्रकाशकों के लिए आरएनआई में भौतिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। • दूर-दराज के प्रकाशकों के लिए ऑनलाइन बैठक हो रही है। • पंजीकरण प्रक्रियाओं की व्याख्या करने वाले

नहीं किया है। • देशभर के जिलों में जिलाधिकारियों/लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के साथ समन्वय।	डेमो वीडियो (हिंदी और अंग्रेजी) आरएनआई की वेबसाइट और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं।

152. आरएनआई के स्वचालन की पृष्ठभूमि में, समिति आरएनआई की सतत समस्या के बारे में जानना चाहती थी। इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया :-

" एक प्रश्न आरएनआई के बारे मेंआया तो आरएनआई में यह बिल्कुल सही है कि आज आर एन आई में बहुत विलंब होता है। 8-8, 10-10 महीने विलंब होता है। इसीलिए उसके पोर्टल का काम शुरू किया गया है। हमारीअपेक्षा है कि यह काम जून-जुलाई तक पूरा हो जाएगा। जिससे अगर कोई भी उसमें अप्लाई करता है तो उसे एक दिन में पता चल जाएगा कि उसका जो टाइटल है, वह उपलब्ध है या नहीं है। परन्तु कुछ विषय उस में ऐसे हैं, जो आरएनआई चलता है, प्रेस रजिस्ट्रेशन बिल जो एक्ट है, प्रेस एंड न्यूज पेपर एक्ट जो है, जो पीआरबी एक्ट है, यह वर्ष 1867 का एक्ट है। उसके आधार पर हमारे न्यूज पेपर्स का रजिस्ट्रेशन होता है। यह एक्ट कोलोनियल सरकार के समय बना था और उसमें जो अधिकार हैं, वे कलेक्टर के पास हैं। उस एक्ट के अनुसार लाइसेंस को कैंसिल करने या उसे देने का अधिकार कलेक्टर के पास है। यह दो स्तर के ऊपर होता है। कलेक्टर के पास उन्हें अपना कागज़ात दाखिल करने पड़ते है, कलेक्टर के यहाँ से प्रेस रजिस्ट्रार के पास आता है और फिर वापस कलेक्टर के पास जाता है। इस वजह से उसमें कॉफी विलंब होता है। हमने एक नया बिल तैयार किया है, जो कि अभी कैबिनेट की मंजूरी के स्तर पर है। एक बार वह होता है और अगर नया एक्ट पारित होता है तो हमेंअपेक्षा है कि यह जो प्रणाली है, उसकेअंदर भी कुछ सुधार आ सकेंगे"।

(iii) <u>केंद्रीय संचार ब्यूरो(पूर्ववर्ती बीओसी)</u>

153. केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के संबंध में, मंत्रालय को बीओसी में स्वचालन प्रक्रिया की शुरुआत की तारीख और पूरा होने की लक्षित तारीख , किए गए स्वचालन की अद्यतन स्थिति, बीओसी में स्वचालन प्रक्रिया को पूरा करने में आ रही बाधाएं, वर्ष **2023-24** के लिए निर्धारित लक्ष्य आदि, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था इस पर मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:-

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के संबंध में जानकारी	**मंत्रालय का उत्तर**
बीओसी में स्वचालन प्रक्रिया की शुरुआत की	सीबीसी ने नवंबर, **2020** में स्वचालन प्रक्रिया शुरू की है

तारीख और पूरा होने की लक्षित तारीख	और प्रक्रिया को पूरा करने की लक्षित तिथि मार्च, **2021**रखी गई थी। तथापि, कोविड-19 महामारी और सीबीसी के समक्ष आ रही परिचालन संबंधी कठिनाइयों तथा हितधारकों के साथ परामर्श की वजह से परियोजना को आज की तारीख तक पूरा नहीं किया जा सका है। तथापि,वर्ष **2023-24** के दौरान, वेबसाइट प्रबंधन और आंतरिक डैशबोर्ड के साथ नए ईआरपी समाधान का परीक्षण किया जाएगा, उपयोग में लाया जाएगा और **30** सितंबर, **2023** तक पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा।
किए गए स्वचालन की अद्यतन स्थिति उस क्षेत्र/प्रक्रिया सहित जिसे बीओसी में अभी स्वचालित किया जाना है	**. कोर मॉड्यूल में**प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन कोपूरा कर लिया गया है। इन मुख्य मॉड्यूलों के विक्रेता बिलिंग मॉड्यूल प्रगति पर हैं। **गैर-कोर मॉड्यूल के तहत**, स्थापना प्रबंधन, आईवीआर आधारित कॉल सेंटर, फीडबैक प्रबंधन, इन्वेंटरी प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन लागू किया गया है। संसदीय प्रश्न रिकॉर्ड और अनुवर्ती प्रबंधन, परिवाद और शिकायत प्रबंधन, परिवहन और बेड़ा प्रबंधन और वित्तीय लेखा प्रबंधन लागू करने के लिए तैयार हैं।
बीओसी में स्वचालन प्रक्रिया को पूरा करने में आने वाली बाधाओं के साथ-साथ उन्हें दूर करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण	हितधारकों के साथ नियमित परामर्श किया जाता है और उद्योग के अनुकूल सॉफ्टवेयर समाधान लागू किए जा रहे हैं।
वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य	वर्ष **2023-24** के दौरान, वेबसाइट प्रबंधन और आंतरिक डैशबोर्ड के साथ नए ईआरपी समाधान का परीक्षण किया जाएगा, उपयोग में लाया जाएगा और **30** सितंबर, **2023** तक पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा।

नौ. <u>पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनआईआर)</u>

154. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के लिए किए गए आवंटनों के साथ-साथ पिछले चार वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चिह्नित निधियों के बीई, आरई और एई का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

एनईआर के तहत आवंटन					
वर्ष	**ब.प्रा.**	**सं.प्रा.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.प्रा. के संदर्भ में वास्तविक व्यय प्रतिशत**	**सं.प्रा. के संदर्भ में वास्तविक व्यय प्रतिशत**

2019-20	162.65	105.15	127.70	78.50	121.40
2020-21	74.00	45.29	51.79	70.00	120.67
2021-22	63.24	45.00	24.61	38.92	54.69
2022-23	63.00	63.90	15.98 **	25.37	24.05
2023-24	110.50	-	-	-	-
(**) वास्तविक व्यय 31.01.2023 तक।					

155. जब पिछले दो वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं के तहत निर्धारित और प्राप्त वास्तविक लक्ष्यों और लक्ष्यों में कमी के कारणों के बारे में विवरण मांगा गया था, तो मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

"आइजोल में आईआईएमसी के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का निर्माण पूरा हो गया है। भवन का उद्घाटन 3 नवंबर, 2022 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया है"।

कोविड-**19** महामारी प्रतिबंधों के कारण केवल इस योजना के तहत प्रेस विज्ञप्तियों (माननीय प्रधानमंत्री के भाषणों, प्रेस विज्ञप्तियों, लेखों आदि का पूर्वोत्तर क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद)के माध्यम से सूचना का प्रसार किया जा सकता है।"

156. वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय आबंटनों और उपयोग का ब्यौरा मांगे जाने पर मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के अंतर्गत आबंटन और व्यय को दर्शाने वाला निम्नलिखित विवरण प्रदान किया **:-**

2022-23 के दौरान (31.12.2022 तक) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत जीबीएस के तहत आवंटन और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	क्षेत्र/योजना/मीडिया ईकाई का नाम	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट अनुमान (2022-23)	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तविक व्यय (2022-23) (पहली तिमाही))	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तविक व्यय (2022-23) (दूसरी तिमाही))	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तविक व्यय (2022-23) (तीसरी तिमाही)))	तीसरी तिमाही तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तविक व्यय (2022-23) (कॉलम 4+5+6)	बजट अनुमान की तुलना में तीसरी तिमाही तक व्यय का प्रतिशत (कॉलम 7/कॉलम3)*100	**कम व्यय के कारण, यदि कोई है**

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
क	**सूचना क्षेत्र (विकास संचार और सूचना प्रसार-डीसीआईडी)**							
1	एकीकृत संचार के माध्यम से जन सशक्तिकरण (सीबीसी)	**17.68**	**0.74**	**2.03**	**2.62**	**5.39**	**30.49**	इस संबंध में, यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष की चौथी तीमाही के दौरान अधिकतम बुकिंग निष्पादित की जाएंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के चुनावी राज्यों में कई कार्यक्रम/प्रस्ताव आयोजित किए जाने की संभावना है। स्वीप (व्यवस्थित मतदाता जागरूकता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) जैसे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में आयोजित किए जाने की संभावना है। ब्रह्मपुत्रा समारोह असम में आयोजित किया जाएगा। अरूणाचल प्रदेश में कुछ अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्वोत्तर में उन्मुख मीडिया अभियान तैयार/जारी किए जाएंगे। उपरोक्त कदमों से व्यय में वृद्धि होगी, अंतिम तिमाही के दौरान बुक किए जाने की संभावना है।
2	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और प्रचार (पीआईबी)	**1.00**	**0.15**	**0.28**	**0.19**	**0.62**	**62.47** (75 लाख रु. के कुल पुनर्विनियोजन धन की तुलना में 83.29 प्रतिशत धन का तीसरी तिमाही तक उपयोग किया गया है)	बजट अनुमान 2022-23 मे से पूर्वोत्तर के लिए 1.00 करोड़ रु. के आवंटन से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अब तक प्रमुख शीर्ष से कार्यात्मक शीर्ष में केवल 75 लाख रु. (प्रत्येक तिमाही के दौरान 25 लाख रु.) के फंड के पुनर्विनियोजन के आदेश जारी किए गए हैं। 21.11.2022 को प्रेस अनुभाग द्वारा तीसरी तिमाही के लिए अध्यतन पुनर्वियोजन आदेश जारी किए गए हैं और तद्नुसार, कार्यान्वयन प्राधिकरण यानी पीआईबी गुवाहाटी द्वारा धन का उपयोग किया जा रहा है। पीआईबी गुवाहाटी ने सूचित किया है कि व्यय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए वे अंतिम तिमाही में शेष धन का उपयोग करेंगे।
	कुल सूचना क्षेत्र	**18.68**	**0.89**	**2.31**	**2.81**	**6.01**	**32.17**	

ख	**फिल्म क्षेत्र (विकास संचार और फिल्मी सामग्री का प्रसार-डीसीडीएफसी)**							
3	भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों के माध्यम से भारतीय सिनेमा का प्रचार (मुख्य सचिवालय) **3.1**.भारत और विदेश में फिल्म समारोहों में भागीदारी और संचालन (डीएफएफ) 3.2 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव (सीएफएसआई) **3.3 स्कूलों में बाल फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शनी (सीएफएसआई)** **3.4 मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (फिल्म प्रभाग)** **3.5 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण (एनडीएफसी)**	**13.00**	**0.00** **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** **0.00**	**0.00** **0.00** **0.00** **0.00** **0.00** **0.00**	**8.53** **1.065** **0.00** **0.00** **0.0707** **7.393**	**8.53** **1.065** **0.00** **0.00** **0.0707** **7.393**	**65.61%**	इस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं देश के अन्य भागों दोनों में फिल्मी सामग्री के प्रोत्साहन और निर्माण से संबंधित पूर्वोत्तर फिल्म समारोहों का आयोजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों पर वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण, बाल फिल्मों का निर्माण और पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरस्थ स्थानों में प्रसिद्ध बाल फिल्मों की प्रदर्शनी, पूर्वोत्तर भाषा में फीचर फिल्मों का निर्माण, एनडीएफसी के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के फिल्म छात्रों के लिए मास्टर कक्षाओं जैसी विविध गितिविधियों की परिकल्पना की है। उपरोक्त गतिविधियां देश के अन्य हिस्सों में उत्तर पूर्व की परंपराओं और संस्कृतियों को प्रदर्शित करेंगी। फिल्म प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रुचि रखने वाले पूर्वोत्तर के छात्रों को कौशल प्रदान करने से फिल्म उद्योग में पूर्वोत्तर के छात्रों की भागीदारी और रोजगार के अवसर बढ़ेगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की उपरोक्त योजना के आधार पर, यह उम्मीद की जाती है कि डीसीडीएफसी योजना के पूर्वोत्तर घटक के तहत शेष अप्रयुक्त आवंटन का वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही के दौरान पुरी की जानी की संभावना है जिससे पूर्वोत्तर के लिए धन का सौ प्रतिशत उपयोग किया जा सकेगा।
	कुल फिल्म क्षेत्र	**13.00**	**0.00**	**0.00**	**8.53**	**8.53**	**65.61**	
ग	प्रसारण क्षेत्र							

4	मुख्य सचिवालय भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन (सीआरएस)	**0.32**	**0.12**	**0.00**	**0.00**	**0.12**	**37.5**	क) वित्तीय सहायता जारी करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। ख) जागरूकता/क्षमता संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन नहीं किया जा सका क्योंकि कार्यशालाओं के आयोजन के लिए एजेंसी को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन की खरीद, स्टुडियो और अर्थिंग आदि के डिजिटलीकरण के तहत विभिन्न विभागीय कार्यों जैसे चल रहे आकाशवाणी परियोजनाओं के तहत 2.20 करोड़ रु. के कार्य के व्यय की पूरा होने की संभावना है।

157. मंत्रालय से वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटित निधियों के कम उपयोग के कारण बताने के लिए कहा गया था। निधि के कम उपयोग के कारण प्रभावित हुई परियोजनाओं/योजनाओं और 2023-24 में इस क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए किए जा रहे उपायों का विवरण भी मांगा गया था । इस पर मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया :-

"जहां तक पीआईबी का संबंध है, वित्तीय वर्ष 2022-2023 से संबंधित स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, सीबीसी के संबंध में, यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाहीके दौरान अधिक व्यय दर्ज करने की योजना है।एनईआर के चुनावी राज्यों में कई कार्यक्रम/प्रस्ताव आयोजित किए जाने की संभावना है।

(i) स्वीप (व्यवस्थित मतदाता जागरूकता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) जैसे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में आयोजित किए जाने की संभावना है।

(ii)असम में ब्रह्मपुत्र महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

(iii) एनईआर उन्मुख मीडिया अभियान तैयार/जारी किया जाएगा।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डीसीआईडी योजना के एनईआर घटक के तहत निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए, सीबीसी विभिन्न मीडिया माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया(समाचार पत्र और पत्रिकाएं), प्राइवेट सी एंड एस टीवी चैनल, प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन, आउटडोर प्रचार, प्रदर्शनी और सोशल मीडिया के

माध्यम से सूचना के व्यवस्थित प्रसार द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतिगत घोषणाओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करेगा"।

<u>बीआईएनडी के संबंध में:</u>

नमसई में आकाशवाणी एफएम (सीसीडब्ल्यू द्वारा नमसई में 50मीटर एसएस टॉवर के एसईटीसी के लिए प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं करना):भवन का निर्माण अभी भी प्रगति पर है। अत: आगामी विभागीय कार्यों एवं सहायक उपकरणों के लिए निविदा/खरीद की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकी।

डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन की खरीद: डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन की खरीद के लिए ऑर्डर देने में देरी (जनवरी 23 में दिया गया) के कारण एलओसी की मांग बढ़ाने में क्रमिक देरी हुई जो वर्तमान में निदेशालय में प्रक्रियाधीन है।

एसटीबी के साथ 8.7 लाख गैर-सीएएस, गैर-आरपीडी डीटीएच रिसीवर सेट की खरीद के लिए 13.09.2022 को प्रसार भारती को मंजूरी दे दी गई थी। प्रसार भारती आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) मोड के तहत सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) की साइट स्थापना की शर्त के साथ एक निविदा जारी कर रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि लगभग 8.7 लाख लाभार्थियों के पते एकत्र किए जाएं। अपर सचिव एलडब्ल्यूई), गृह मंत्रालय के साथ 8.2.2023 को हुई समन्वय बैठक में अब यह निर्णय लिया गया है कि लाभार्थियों के डेटा एकत्र करने के लिए प्रसार भारती द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय करेंगे कि डेटा एकत्र किया गया है, जिसके बाद प्रसार भारती द्वारा सेट टॉप बॉक्स के वितरण के लिए निविदा जारी की जाएगी।

डीसीडीएफसी योजना में एनईआर के लिए आवंटित निधियों का कम उपयोग ईटानगर (एनईएफटीआई) में पूर्वोत्तर फिल्म और टेलीविजन संस्थान के स्थायी परिसर में निम्नलिखित कारणों से निर्माण संबंधी कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुआ है

वर्ष	**एनईएफटीआई में निर्माण कार्य पूरा करने में विलंब के**	**निर्धारित निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए किए गए उपाय**	**अभ्युक्तियां**

	कारण		
2021-22	जोत, अरुणाचल प्रदेश में एनईएफटीआईपरिसर स्थल पर कोविड, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां और अवसंरचनात्मकमुद्दे।		
2022-23	भूमि सीमांकन सहित स्थानीय मुद्दे; प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ और अवसंरचनात्मक मुद्दे जैसे सड़क और पुल कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, आदि।		
2023-24		एसआरएफटीआईनियमित रूप से निर्माण प्रगति का कार्य देख रहा है और प्रगति की समीक्षा के लिए कई दौरे किए जा रहे हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालयद्वारा नियमित अपडेट की निगरानी भी की जा रही है। पानी, बिजली, सड़क और दूरसंचार सुविधाओं से संबंधित मामले को राज्य सरकार और अन्य नोडल एजेंसियों के साथ उठाया गया है।	लक्ष्य पूरा करने की तिथि : 31.10.2023 आवासीय भवनों को पूरा होने की लक्षित तिथि से पहले सौंपे जाने की उम्मीद है

निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के परिणामस्वरूप, अरुणाचल प्रदेश में एनईआईएफटी परिसर के निर्माण में देरी हुई है। इसके परिणामस्वरूप भी निधियों

का कम उपयोग हुआ है। निर्माण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है और सड़क कनेक्शन और पानी की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है।

158. वर्ष 2023-24 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजनाबद्ध नई पहलों का विवरण, जैसा कि मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया है निम्नवत हैं:-

"संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के परामर्श से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में फिल्म टेलीविजन संस्थान में निर्माण कार्य की गति की नियमित निगरानी हेतु वहाँ का दौरा करना

एनएफडीसी के साथ चार फिल्म मीडिया यूनिटों के विलय के बाद, एनएफडीसी ने पूर्वोत्तर के फिल्म निर्माताओं के लिए वृत्तचित्र फिल्म, एनीमेशन फिल्म और फिल्म निर्माण के लिए अलग-अलग आवेदन मांगे हैं, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के फिल्म निर्माताओं को एक अनूठा अवसर मिला है।

आइजोल में पूर्वोत्तर क्षेत्र परिसर पूरा हो चुका है। आवश्यकता के अनुसार आगे आधारभूत विकास किया जाएगा।

पीआईबी केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)' के अंतर्गत उप-योजना मीडिया लोक संपर्क कार्यक्रम और विशेष आयोजनों के लिए प्रचार को लागू कर रहा है। इस उप योजना के तहत गतिविधियों में मीडिया इंटरएक्टिव सत्र (राष्ट्रीय संपादकों का सम्मेलन/क्षेत्रीय संपादकों का सम्मेलन, वार्तालाप) और प्रेस टूर शामिल हैं। प्रधानमंत्री के क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित भाषणों और संदेशों सहित प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से सूचना का और अधिक प्रसार। वर्ष 2023-24 के दौरान इन गतिविधियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी लागू करने की योजना है।

डीसीआईडी के तहत पूर्वोत्तर के लिए अभियान की पहल में क्षेत्र में विकासात्मक संचार का 360 डिग्री प्रसार शामिल है। समाज के अंतिम मील को केंद्रित संदेश के साथ जोड़ने के लिए लोक संपर्क कार्यक्रम करने पर जोर दिया गया है।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

भाग-II

बजट अवलोकन और अनुदानों कि मांगे (2023-24)

1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय निजी प्रसारण, सार्वजनिक प्रसारण सेवा (प्रसार भारती) का प्रबंधन, मल्टीमीडिया विज्ञापन और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार, फिल्म संवर्धन और प्रमाणन तथा प्रिंट और डिजिटल मीडिया के विनियमन से संबंधित नीतिगत मामलों के लिए उत्तरदायी है। मांग संख्या 61 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती सहित इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त/अनुदान प्राप्तकर्ता निकायों का व्यय शामिल है। वर्ष 2023-24 के लिए, 5199.51 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के मुकाबले, बजट अनुमान स्तर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए 4692.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसमें से 1519.05 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के मुकाबले 'केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं' के लिए 1105.00 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं; 572.65 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के मुकाबले 'केंद्र के स्थापना व्यय' के लिए 535.50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और 3107.83 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के लिए 'अन्य केंद्रीय व्यय [केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों सहित] के लिए 3051.50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, बजट अनुमान आवंटन 3980.77 करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 4182.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था, हालांकि, 31 जनवरी, 2023 तक वास्तविक व्यय 3403.54 करोड़ रुपये था जो संशोधित अनुमान आवंटन का 81.39 प्रतिशत है। वर्ष 2022-23 के दौरान तीन श्रेणियों अर्थात केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र का स्थापना व्यय और 'अन्य केंद्रीय व्यय' के लिए उपयोग प्रतिशत (आरई के सन्दर्भ में) क्रमशः 77.47%, 55.84% और 87.68% था। समिति नोट करती है कि वर्ष

2022-23 के दौरान निधियों के कम उपयोग के कारण जिन योजनाओं को नुकसान हुआ है, उनमें सामुदायिक रेडियो स्टेशन और प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) योजनाएं शामिल हैं। 2022-23 के दौरान निधियों के कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि 31.01.2023 तक उन्होंने संशोधित अनुमान आवंटन का 81.39% उपयोग किया था और यह उम्मीद की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक धन का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। यह देखते हुए कि पिछले 4 वर्षों (वर्ष 2022-23 को छोड़कर) के लिए उपयोग की प्रवृत्ति में सुधार हुआ है और मंत्रालय ने संशोधित अनुमान स्तर पर किए गए 90% से अधिक आवंटनों का उपयोग किया है, समिति को उम्मीद है कि मंत्रालय वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने के अपने आश्वासन को पूरा करेगा। समिति वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोग की गई निधि की अद्यतन स्थिति के साथ-साथ वर्ष 2022-23 के लिए शेष अप्रयुक्त निधि के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की स्थिति के बारे में अवगत होना चाहती है। समिति मंत्रालय को वर्ष 2023-24 के दौरान भी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और वर्ष 2023-24 के दौरान निर्धारित और हासिल वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों का एक त्रैमासिक विवरण तैयार करने की व्यवहार्यता पर गौर करने की सिफारिश करती है। मंत्रालय वर्ष 2022-23 के दौरान निधियों के कम उपयोग के कारण प्रभावित 'ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट (बीईएनडी)' और 'सपोर्टिंग कम्युनिटी रेडियो मूवमेंट इन इंडिया' योजनाओं के तहत प्रदर्शन में सुधार के लिए की गई पहलों के परिणामों से भी अवगत कराए।

<u>केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएसएस)</u>

2. समिति नोट करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 में प्लान स्कीमों का व्यापक युक्तिकरण और पुनर्गठन किया गया था, जिसे 2020-21 में लागू किया गया था। परिणामस्वरूप, 14 योजनाओं और 13 उप-योजनाओं को घटाकर 5 स्कीमें अर्थात् विकास संचार एवं सूचना प्रसार

(डीसीआईडी), विकास संचार एवं फिल्म सामग्री का प्रसार (डीसीडीएफसी), चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस), प्रसारण अवसंरचना विकास (प्रसार भारती) और सहायक सामुदायिक रेडियो (एससीआर) कर दिया गया। इसके अलावा, सीएसएसएस को वित्त वर्ष 2022-23 से डीसीडीएफसी योजना के साथ विलय कर दिया गया था, क्योंकि ऑडियो विजुअल सेवाओं के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के उद्देश्य मंत्रालय की विकास संचार और फिल्म सामग्री के प्रसार योजना एक समान ही थे। इस प्रकार, डीसीडीएफसी के साथ सीएसएसएस के विलय के बाद, मंत्रालय के पास अब चार (4) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, बजट अनुमान और संशोधित अनुमान स्तर पर 'केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं' के लिए आवंटन क्रमशः 630.00 करोड़ रुपये और 639.00 करोड़ रुपये था।31.01.2023 तक वास्तविक उपयोग 356.83 करोड़ रुपये था, जो संशोधित अनुमान आवंटन का 55.84% है। समिति यह नोट कर भी चिंतित है कि सभी चार 'केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं' [डीसीआईडी, डीसीडीएफसी, बीआईएनडी और भारत में सहायक सामुदायिक रेडियो अभियान] के अंतर्गत, वर्ष 2022-23 के दौरान निधियों का कम उपयोग किया गया है और 31.01.2023 तक इन 4 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए वास्तविक व्यय क्रमशः 73.19%, 75.78%, 37.23% और 40% था।

इस तथ्य के आलोक में कि वर्ष 2022-23 (31.01.2023 तक) के दौरान चार केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं (यानी बीआईएनडी और सहायक सामुदायिक रेडियो आंदोलन) के तहत वास्तविक उपयोग संशोधित अनुमान आवंटन का क्रमश: 37.23% और 40% था, समिति पाती है कि संसाधनों के प्रभावी और बेहतर उपयोग के लिए 'केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं' का युक्तिकरण वांछित परिणाम प्राप्त करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इसके अलावा, अन्य दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (यानी डीसीआईडी और डीसीडीएफसी) के तहत व्यय आरई आवंटन का लगभग 70% था। समिति नोट करती है कि मंत्रालय डीसीआईडी और डीसीडीएफसी स्कीमों के तहत कुछ हद तक वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहा है, जहां डीसीआईडी योजना का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न

सरकारी योजनाओं के लिए प्रचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्षित है और डीसीडीएफसी का उद्देश्य गुणवत्ता वाले भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। तथापि, बीआईएनडी योजना के अंतर्गत वित्तीय और भौतिक लक्ष्य निर्धारित लक्ष्यों से बहुत दूर हैं - जिसका उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी की भौतिक अवसंरचना में सुधार करना और नेटवर्क का विस्तार करना और कार्यक्रमों और प्रसारण की गुणवत्ता को उन्नत करना है। इसके साथ ही, भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करना। इनके आलोक में, समिति का विचार है कि योजनाओं को युक्तिकरण करने के 2 वर्ष से अधिक समय के बाद मंत्रालय को विशेष रूप से 'बीआईएनडी' के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को प्रभावित करने वाली आवर्ती बाधाओं को दूर करके लक्ष्यों में इस तरह के विलंब से बचना चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि वर्ष 2023-24 के दौरान सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत वास्तविक लक्ष्य को पूरा करने के लिए निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय निर्धारित समय-सीमा के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए अपने तंत्र को तैयार करे क्योंकि इससे अंतत संसाधनों का समेकन होगा और इसके परिणामस्वरूप निधियों का बेहतर उपयोग होगा। समिति को इसके परिणामों के साथ किए गए उपायों के बारे में अवगत कराया जाए।

<u>प्रसारण क्षेत्र (प्रसार भारती सहित)</u>

<u>प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)</u>

3. समिति नोट करती है कि बीआईएनडी योजना का मूल उद्देश्य आधुनिकीकरण (डिजिटाइजेशन सहित), ट्रांसमीटरों, प्रसारण उपकरणों और स्टूडियो का संवर्धन और प्रतिस्थापन, एफएम विस्तार/प्रतिस्थापन, संवेदनशील क्षेत्रों में कवरेज का सुदृढ़ीकरण, टीवी चैनलों का विस्तार, ई-गवर्नेंस, सामग्री विकास आदि है। बीआईएनडी योजना जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर के विकास पर विशेष

ध्यान देने के साथ सीमा क्षेत्र अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रसार भारती को सहायता भी प्रदान करती है। वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान स्तर पर) के लिए बीआईएनडी योजना के लिए बजटीय आवंटन 600.00 करोड़ रुपये है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बजट अनुमान और आरई आवंटन समान यानी 315.00 करोड़ रुपये रहे हैं। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि 31 जनवरी, 2023 तक वास्तविक व्यय सिर्फ 117.29 करोड़ रुपये था जो संशोधित अनुमान आवंटन का 37.23% है। कम उपयोग के संबंध में मंत्रालय ने कुछ कारण प्रस्तुत किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं - (i) तकनीकी कारणों से मोबाइल एफएम ट्रांसमीटरों जैसी एफएम परियोजना की निविदा रद्द होना, कुछ स्थानों पर टावर निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है, 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों की आपूर्ति में विलंब, लागत के कारण दाहोद (गुजरात) में स्थल के अधिग्रहण में विलंब; (ii) 11 स्थानों के लिए अपलिंक एंटीना प्रणाली (7 स्थानों) और यूपीएस प्रणाली के लिए आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए डब्ल्यूपीसी से निर्णय पत्र (डीएल) प्राप्त होने में विलंब; (iii) डीडीके हैदराबाद में एंड टू एंड फाइल आधारित वर्कफ़्लो सिस्टम की एसआईटीसी - विभिन्न तकनीकी कारणों और केंद्र की तकनीकी आवश्यकताओं के कारण फर्म द्वारा विलंबित; (iv) प्रशासनिक कारणों से संग्रह प्रणाली लीनियर ओपन टेप (एलटीओ) की अधिप्राप्ति की निविदा रद्द करना; (v) बोलीदाताओं की सीमित भागीदारी और अनुचित उच्चतर मूल्य बोलियों/उद्धृत दरों के कारण डीडी फ्री डिश रिसीवर सेटों की अधिप्राप्ति के लिए निविदाओं को रद्द करना। मंत्रालय ने सूचित किया है कि अधिकांश प्रसारण उपकरण आयात किए जाते हैं, भारत में इनका उत्पादन नही होता । इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। समिति नोट करती है कि उपयोग में कमी आई है जो कोविड -19 महामारी के कारण भी है, जिसके दौरान दुनिया भर में मनुष्य और सामग्री की आवाजाही प्रभावित हुई थी। यह देखते हुए कि प्रसारण उपकरणों के स्वदेशी निर्माण से आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी, समिति को उम्मीद है कि चूंकि कोविड 19 महामारी का प्रभाव समाप्त हो गया है, इसलिए मंत्रालय उनके आश्वासन का पालन करेगा कि पूरी गति के साथ कार्रवाई

करने के प्रयास किए जाएंगे और जीईएम के माध्यम से ई-खरीद के लिए पोर्टल बनाने से ट्रांसमीटरों की आवश्यकता को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय समिति को वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने और उचित उपयोग के लिए परिकल्पित पहलों के बारे में अवगत कराएं।

<u>दूरदर्शन</u>

4. समिति नोट करती है कि 36 सैटेलाइट टीवी चैनल हैं, जिनमें से 8 अखिल भारतीय चैनल हैं और 28 क्षेत्रीय/राज्य चैनल हैं (24×7 चैनलों की संख्या 21 और सीमित घंटों के चैनलों की संख्या 7)। सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में समर्पित दूरदर्शन चैनल हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में क्षेत्रीय/राज्य सहित दूरदर्शन नेटवर्क चैनलों की कुल दर्शक संख्या 1551 लाख है। सभी डीडी केन्द्रों के डिजिटलीकरण के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया है कि दूरदर्शन नेटवर्क के सभी डीडी चैनल पूरी तरह से डिजिटलीकृत हैं। तथापि, स्थलीय प्रसारण एनालॉग मोड में प्रसारित किया जा रहा है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि डीडी नेटवर्क के स्टूडियो और सैटेलाइट पहले से ही डिजिटाइज्ड हैं और सभी डीटीटी ट्रांसमीटर 31/10/2022 से बंद हैं। मार्च 2023 तक लगभग '100 स्थानों पर 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना' के संबंध में, समिति नोट करती है कि अनुमोदन तिथि 18/3/2014 थी और 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए अनुमोदन चरण में निर्धारित लक्ष्य तिथि 31/03/2017 थी। मंत्रालय ने सूचित किया है कि 100 वाट के एक एफएम टावर को चालू करने में लगने वाला औसत (न्यूनतम और अधिकतम) समय स्थल के स्थान के आधार पर 3 से 6 महीने है और 'नो' एफएम टावर को चालू होने में 5 वर्ष से अधिक का समय लगा है। तथापि, समिति ने नोट किया है कि 10 एफएम टावर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे नहीं हुए थे। समाचार उत्पादन प्रणाली के स्वचालन को पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय

ने बताया कि परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी के लिए एक समर्पित आईपीएमसी (एकीकृत परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ) बनाया गया है।

एसटीबी के साथ 8.7 लाख गैर-सीएएस, गैर-आरपीडी डीटीएच रिसीवर सेटों की खरीद के संबंध में, समिति नोट करती है कि प्रसार भारती को 13.09.2022 को अनुमोदन की सूचना दी गई थी और प्रसार भारती आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) मोड के तहत सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) की साइट स्थापना की शर्त के साथ निविदा जारी कर रहा है। इसके लिए यह आवश्यक है कि लगभग 8.7 लाख लाभार्थियों के पते एकत्र किए जाएं। हालांकि, 8.02.2023 को यह निर्णय लिया गया है कि गृह मंत्रालय के समन्वय से लाभार्थियों के डेटा के संग्रह के लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय करेंगे कि डेटा एकत्र किया जाता है, जिसके बाद सेट टॉप बॉक्स के वितरण के लिए प्रसार भारती द्वारा निविदा जारी की जाएगी।

'डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म' की क्षमता विस्तार के बारे में, समिति नोट करती है कि सरकार ने हाल ही में 2021-26 के लिए 'बीआईएनडी' योजना के तहत 114.50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। एफआईसीसीआई ई एंड वाई एम एंड ई मार्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में भारत में टीवी घरों की कुल संख्या 168 मिलियन थी और भारत में 43 मिलियन टीवी घरों में डीडी फ्री डिश है। अब तक, देश भर में 96,000 डीडी फ्री डिश सेट मुफ्त वितरित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म के उन्नयन और विस्तार की योजनाओं के संबंध में समिति को सूचित किया गया है कि डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म की क्षमता को 2023-24 में शेष चार कम्प्रेशन चेन और डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म की निगरानी प्रणाली को एमपीईजी -4 कम्प्रेशन प्रणाली में अपग्रेड करके 168 एसडीटीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा। यह सूचित किए जाने पर कि टीवी में इन-बिल्ट एसटीबी

बाजार में उपलब्ध होगा, समिति ने इसके लिए समय सीमा के बारे में जानना चाहा। इसका उत्तर देते हुए मंत्रालय ने बताया कि सभी टीवी सेटों (एलईडी/एलसीडी आदि) में एनालॉग टीवी ट्यूनर के स्थान पर अंतर्निहित सैटेलाइट ट्यूनर के लिए बीआईएस मानक की गजट अधिसूचना बीआईएस, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 21 दिसंबर, 2022 को जारी की गई है। दक्षिण भारत और उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फ्री डिश प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए, जहां यह कम है, मंत्रालय ने सूचित किया है कि प्रसार भारती ने फरवरी, 2023 में डीडी फ्री डिश ई-नीलामी नीति को संशोधित किया है। संशोधित नीति के अनुसार, डीडी फ्री डिश के 03 एमपीईजी -2 स्लॉट प्रति वर्ष 3.0 करोड़ रुपये के काफी कम आरक्षित मूल्य में गैर-प्रतिनिधित्व वाले भाषा चैनलों को आवंटन के लिए निर्धारित किए गए हैं। सभी दक्षिण भारतीय भाषा के चैनल डीडी फ्री डिश पर आने के लिए इन स्लॉट के लिए आवेदन करने और बोली लगाने के लिए पात्र हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति निम्नलिखित की सिफारिश करती है:

i. **चूंकि मार्च, 2023 के भीतर पूरा होने वाले सौ डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना में लक्षित तिथि से छह साल से अधिक की देरी हुई है, इसलिए समिति मंत्रालय से मार्च, 2023 के भीतर पूरा होने वाले अपने डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना में देरी के कारण होने वाले मुद्दों को हल करने का आग्रह करती है।**

ii. **यह ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण भारतीय भाषा के चैनल दूरदर्शन फ्री डिश पर आने वाले स्लॉट के लिए आवेदन करने और बोली लगाने के पात्र हैं, समिति दक्षिण भारत में डीडी फ्री डिश प्लेटफार्मों का विस्तार करने के लिए किए गए उपायों और इसके परिणाम के बारे में अवगत होना चाहेगी।**

iii. **एमएचए के समक्ष मंत्रालय के निर्णय के मद्देनजर लाभार्थियों की सूची तैयार करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है, और**

तदनुसार सेट टॉप बॉक्स खरीदे जाएंगे। समिति समय पर लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने और इस वित्तीय वर्ष (2023-24) के भीतर लगभग 9 लाख सेट टॉप बॉक्स वितरित करने का लक्ष्य पूरा करने की सिफारिश करती है।

iv. समिति मंत्रालय को यह भी सिफारिश करती है कि वह नए बीआईएस मानकों के अनुसार टीवी के लिए इन-बिल्ट सेट टॉप बॉक्स रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समन्वय में आवश्यक कार्रवाई करे।

v. समिति यह सूचना प्राप्त करना चाहेगी कि क्या मंत्रालय ने बीआईएस के नए मानक को लागू किए जाने के बाद सेट टॉप बॉक्स के वितरण की आवश्यकता के संबंध में कोई चर्चा की है और क्या लोग एसटीबी खरीदे/स्थापित किए बिना नि:शुल्क डीडी देख पाएंगे।

vi. समिति उपलब्ध रेटिंग के आधार पर दूरदर्शन के व्यूवरशिप के आवधिक विश्लेषण की मंत्रालय से सिफारिश करती है।

<u>ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) और एफएम</u>

5. समिति यह नोट कर चिंतित है कि एआईआर के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान 160.51 करोड़ रुपये (बजट अनुमान स्तर पर) और 84.09 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान स्तर पर) के बजटीय आवंटन की तुलना में 31.01.2023 तक वास्तविक व्यय 35.91 करोड़ रुपये रहा है जो बजट अनुमान का 22.37 प्रतिशत और संशोधित अनुमान का 42.70 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, डिजिटलीकरण के संबंध में समिति ने नोट करती है कि आकाशवाणी के पूरे भारत में फैले 501 स्टेशन हैं जिनमें स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के उत्पादन के लिए स्टूडियो सुविधाओं के साथ 229 स्टेशन और 272 रिले स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों से

कुल 653 ट्रांसमीटर चालू थे जिनमें 524 एफएम ट्रांसमीटर, 122 मेगावाट ट्रांसमीटर और 7 एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर शामिल थे। समिति नोट करती है कि एआईआर ने कार्यक्रमों के उत्पादन, भंडारण और पुनरुत्पादन के लिए आधुनिक अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण प्रदान करके एआईआर स्टेशनों के 127 स्टूडियो को डिजिटल बनाया है। नए स्टूडियो स्थापित किए जा रहे हैं और 90 स्टूडियो का आंशिक डिजिटलीकरण भी पूरा हो गया है, जो आने वाले वर्षों में योजनाओं के अनुमोदन के अनुसार पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। ट्रांसमीटरों के डिजिटलीकरण के संबंध में, यह नोट किया गया है कि कुल 122 मेगावाट ट्रांसमीटरों में से एआईआर में 38 डिजिटल ट्रांसमीटर (डीआरएम) और 84 एनालॉग ट्रांसमीटर हैं। 7 एसडब्ल्यू ट्रांसमीटरों में से, एआईआर में 3 डिजिटल ट्रांसमीटर (डीआरएम) और 4 एनालॉग ट्रांसमीटर हैं। मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्तमान में स्टूडियो के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए एक अनुमोदित योजना है और इन स्टूडियो में कार्यक्रम का उत्पादन, भंडारण और पुनरुत्पादन पहले से ही डिजिटल रूप से किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में अनुमोदित योजना के अनुसार इन स्टूडियो के एनालॉग उपकरण जैसे स्विचिंग/उद्घोषक कंसोल, मिक्सर आदि को आधुनिक अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह देखा गया है कि एएम बैंड (एमडब्ल्यू एंड एसडब्ल्यू) में डिजिटल प्रसारण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र रिसीवर की उच्च लागत और एनालॉग एफएम प्रसारण में बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र के कारण अनुकूल नहीं है, एमडब्ल्यू, एसडब्ल्यू और एफएम ट्रांसमीटरों के डिजिटलीकरण की योजना बीआईएनडी योजना (2021-26) के तहत नहीं बनाई गई है।

समिति नोट करती है कि जहां तक शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से संबंधित सामग्री का संबंध है, एआईआर काफी हद तक अपने कार्य को संतोषजनक ढंग से कर रही है। लेकिन जहां तक प्रसारण का संबंध है, एआईआर तकनीकी प्रगति और प्रसारण पद्धति में परिवर्तन के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि रेडियो प्रसारण स्वयं को एमडबल्यू प्रसारण से

एफएम प्रसारण की ओर पुन रूप दे रहा है और एफएम ट्रांसमीटरों द्वारा पहुँच का क्षेत्र केवल दृष्टि की रेखा तक ही सीमित है। नतीजतन, एआईआर की पहुंच में भारी कमी आई है और एआईआर को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर एफएम में बदलने की आवश्यकता है। वर्तमान में एआईआर के पास भौगोलिक स्थिति और क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व के आधार पर 1 किलोवाट से 20 किलोवाट तक की शक्ति वाले एफएम ट्रांसमीटरों के बड़े पैमाने पर स्थापना के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। समिति नोट करती है कि एआईआर की कुछ परियोजनाएं, जिन्हें 2023-24 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, वास्तव में 2021-22 और 2022-23 के दौरान पूरी नहीं हो सकी परियोजनाएं हैं, जैसे दाहोद में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना, जहां मामले को अभी तक हल नहीं किया गया है और नियमित आधार पर राज्य सरकार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। एआईआर के अंतर्गत लक्ष्यों की पूर्वगामी और खराब उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए समिति निम्नलिखित सिफारिशों पर परिणामों के साथ की गई कार्रवाई की इच्छा रखती है

i. **मंत्रालय को ट्रांसमीटरों/टावरों की आपूर्ति और संस्थापना तथा स्टूडियो आदि के निर्माण में विलंब के कारकों की जांच करनी चाहिए और इन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए ;**

ii. **मंत्रालय एआईआर के सभी स्टेशनों के डिजिटलीकरण के लिए उपयुक्त समय-योजना तैयार करे है और समिति को इसके बारे में अवगत कराए ;**

iii. **मंत्रालय को एआईआर की सामग्री में सुधार करना चाहिए ताकि दर्शकों को एआईआर को सुनने के लिए आकर्षित किया जा सके और राजस्व सृजित किया जा सके;**

iv.'रेडियो शैडो एरियाज' में प्रसारण प्रदान करने के संबंध में, मंत्रालय बीएसएनएल जैसे अन्य मंत्रालय/संगठन के साथ समन्वय कर सकता है जो पहले से ही वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।

v.मंत्रालय उन चिंताओं पर करें जिसमें क्षेत्रीय एफएम स्टेशनों की सामग्री को स्थानीय भाषा के अलावा अन्य भाषाओं के साथ मिलाया जा रहा है ताकि क्षेत्रीय रेडियो चैनलों की पवित्रता की रक्षा की जा सके और यदि इसके लिए कोविड कार्य योजना के हिस्से के रूप में कोई उपाय लाया गया है, तो इसे दूर करने की जरूरत है। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

<u>सामग्री निर्माण और सामग्री खरीद नीति</u>

6. समिति नोट करती है कि कार्यक्रमों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, प्रसार भारती द्वारा अब एक व्यापक सामग्री खरीद नीति अधिसूचित की गई है। समिति मंत्रालय की यह बात नोट करती है कि वे ऐसी सामग्री पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो की निजी नेटवर्क से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के आलोक में बहुत महत्वपूर्ण है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय और प्रसार भारती सामग्री के महत्व और खर्च और नुकसान से बचने की आवश्यकता को समझेंगे। इसके अलावा, दूरदर्शन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर दर्शकों की आवश्यकता और पसंद के अनुसार अपने चैनलों की सामग्री में सुधार करने की प्रक्रिया में है। समिति ने इस बात पर भी गौर किया। समिति यह भी नोट करती है और सराहना करती है कि वर्ष 2023-24 के दौरान सामग्री निर्माण के लिए एआईआर और दूरदर्शन को आवंटित बजट 498.32 करोड़ रुपये है, जिसमें आईईबीआर से 353.32 करोड़ रुपये और बीआईएनडी के तहत 145.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।_आत्मनिर्भर होने की योजनाओं और निजी क्षेत्र से अधिक विज्ञापन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में, समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि मंत्रालय/प्रसार भारती कई उपाय कर रहा है जिसमें

अन्य बातों के साथ-साथ (i) बिक्री प्रभाग व्यवसाय प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में एजेंसियों के माध्यम से भी सीधे संपर्क कर रहा है; (ii) कार्यक्रम प्रमुखों को राजस्व सृजन के लिए सभी प्रयास करने के लिए कहा गया है; (iii) राजस्व की मानीटरिंग नियमित आधार पर की जा रही है; (iv) दूरदर्शन बिक्री दर कार्ड को बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संशोधित किया गया है और (v) सभी उत्पादकों से कहा जा रहा है कि वे सामग्री की कल्पना करते समय वाणिज्यिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखें और मुद्रीकरण में बिक्री प्रभाग के साथ निकट समन्वय में काम करें। समिति आत्मनिर्भरता के स्तर को बढ़ाने और अधिक विज्ञापन प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई पहलों की सराहना करती है। समिति ने मंत्रालय से सामग्री निर्माण के लिए आवंटित 498.32 करोड़ रुपये का विवेकपूर्ण उपयोग करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, समिति 2023-24 के दौरान सामग्री निर्माण के लिए निर्धारित और हासिल वित्तीय लक्ष्यों के बारे में अवगत होना चाहती है। मंत्रालय 2023-24 के दौरान सामग्री के माध्यम से राजस्व सृजन और वास्तविक राजस्व सृजन के लक्ष्यों का विवरण भी प्रदान कर सकता है। समिति वित्तीय जवाबदेही और सामग्री निष्पादन दोनों को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय/प्रसार भारती से सिफारिश करती है। स्वाभाविक है कि यदि सामग्री अच्छी और बेहतर है, तो यह स्वचालित रूप से विज्ञापनों और विज्ञापनों को आकर्षित करेगी। समिति महसूस करती है कि अच्छी सामग्री रखने की पहल समय की मांग है, विशेष रूप से ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों के उभरने के आलोक में जो सामग्री/कार्यक्रम की असंख्य रेंज प्रदान कर रहे हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सामग्री को सुधारने और प्राप्त करने में व्यावसायिकता रखे और प्रतिस्पर्धी बाजार के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाने और प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करे। स्वाभाविक है कि यदि सामग्री अच्छी और बेहतर है, तो यह विज्ञापनों को अपने आप आकर्षित करेगी। समिति महसूस करती है कि अच्छी सामग्री रखने की पहल समय की मांग है, विशेष रूप से ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों के उभरने के आलोक में जो सामग्री/कार्यक्रम की असंख्य रेंज प्रदान कर रहे हैं । इसलिए, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती

है कि सामग्री में सुधार करने और उसकी खरीद करने में व्यावसायिकता अपनाए और प्रतिस्पर्धी बाजार के साथ-साथ राजस्व सृजन के लिए गुणवत्ता सामग्री बनाने और प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करे।

<u>प्रसार भारती में मानव संसाधन</u>

7. समिति नोट करती है कि प्रसार भारती में वर्तमान रिक्तियां 26,386 हैं। इनमें से 12,420 दूरदर्शन में और 13,966 ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) में हैं। पिछले डीएफजी (2022-23) की जांच के दौरान, मंत्रालय ने सूचित किया था कि दूरदर्शन और एआईआर में रिक्तियां क्रमशः 9,869 और 15,319 थीं। समिति नोट करती है कि एआईआर में रिक्तियों की संख्या 15,319 से घटकर 13,966 रह गई हैं। हालांकि, डीडी के मामले में यह 9,869 से बढ़कर 12,420 हो गई हैं। समिति इस तथ्य को गंभीरता से लेती है कि इन रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए समिति की बार-बार की गई सिफारिशों के बावजूद डीडी में रिक्तियों को कम करने के बजाय केवल वृद्धि हुई है। जहां तक एआईआर में रिक्तियों की संख्या में कमी और दूरदर्शन में रिक्तियों में वृद्धि के कारणों का संबंध है, मंत्रालय ने सूचित किया कि यह इस तथ्य के कारण है कि कई अधिकारियों को दूरदर्शन से एआईआर में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर (दूरदर्शन) बंद कर दिए गए थे और अखिल भारतीय रेडियो के नए स्थापित/चल रहे प्रतिष्ठानों में जनशक्ति को पुन तैनात किया गया था। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि एआईआर और दूरदर्शन के अधिकांश संवर्गों का संवर्ग नियंत्रक ऑल इंडिया रेडियो है। समिति नोट करती है कि रिसोर्सेस (जनशक्ति) की उपलब्धता के अनुसार स्टेशन बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है कि प्रसार भारती में दूरदर्शन और एआईआर के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों में निरंतर सेवानिवृत्ति और नई भर्ती न होने के कारण कुशल, व्यावसायिक और युवा जनशक्ति की कमी है, जो किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी है। पीबीएस में प्रतिभा प्रबंधन और विशेष आउटसोर्सिंग (टीएम एंड एसओ) प्रभाग कुशल और पेशेवर जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता आधारित आवश्यकता को पूरा करने के

लिए अधिदेशित है। प्रसार भारती 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के अल्पकालिक अनुबंधों पर संविदात्मक अनुबंध नीति (सीईपी 2021) के तहत विभिन्न श्रेणियों में पेशेवरों को नियुक्त कर रहा है। इन अनुबंधों का वार्षिक नवीनीकरण किसी स्टेशन पर उस कौशल सेट में संगठन की आवश्यकता और संविदाकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर किया जा रहा है। यह जानना चिंता का विषय है कि केन्द्र के उत्पादन में सहायता और दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए असाइनमेंट आधार पर व्यक्तियों को काम पर रखकर जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। प्रसार भारती उपलब्ध मानव संसाधनों के साथ अपने कार्यकरण और संचालन का प्रबंधन, जहां कौशल अप्रचलन की दर अधिक है और जहां कौशल अत्यधिक बाजार संचालित हैं, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पुन कौशल प्रदान करके और अल्पकालिक संविदात्मक कार्यों के माध्यम से कर रहा है।

समिति को सूचित किया गया है कि प्रसार भारती द्वारा जनशक्ति लेखापरीक्षा (एमपीए) की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है जिसमें प्रसारण प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक पद्धतियों में परिवर्तनों को देखते हुए संगठन में पुनर्गठन की सिफारिश की गई है। इस प्रकार, प्रसार भारती में जनशक्ति की आवश्यकता में ठोस परिवर्तन हो सकता है। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि जनशक्ति लेखापरीक्षा सिफारिशों में अप्रचलित प्रौद्योगिकियों स्वचालन, आईटी सक्षमता और गैर-प्रमुख गतिविधियों की आउटसोर्सिंग पर विचार करते हुए एक संशोधित क्षमता की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, कुल रिक्तियां 14824 (डीडी -4338 और एआईआर -8481 में) होंगी। मंत्रालय के अनुसार, जनशक्ति लेखापरीक्षा द्वारा अनुशंसित संशोधित जनशक्ति मॉडल में (i) एफटीई आधारित संविदाएं करके गैर-प्रमुख इंजीनियरी कार्यकलापों को तीसरे पक्ष को आउटसोर्स करना; (ii) ई-कार्यालय जैसे स्वचालन प्लेटफार्मों को लाकर ड्राइवरों, सुरक्षा, सहायकों जैसे प्रमुख गैर-प्रमुख प्रशासनिक कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग; (iii) प्रस्तावित संरचना परिवर्तन के अनुरूप प्रसार भारती द्वारा अपेक्षित नई भूमिकाओं के लिए संविदा पर विशेषज्ञों की भर्ती करना और (iv) पूर्णकालिक और संविदात्मक जनशक्ति का प्रभावी मिश्रण तैयार करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रसार भारती में मानव संसाधन की चिरस्थायी समस्या को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रसार भारती द्वारा जनशक्ति लेखा परीक्षा (एमपीए) की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है, समिति का मानना है कि मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर रिक्तियों को भरने के मुद्दे को उठाना चाहिए। अन्यथा, तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रथाओं के साथ, जनशक्ति लेखापरीक्षा की सिफारिशें भी अप्रचलित हो सकती हैं, जिससे पूरी लेखापरीक्षा प्रक्रिया व्यर्थ हो सकती है। मंत्रालय प्रसार भारती की सभी रिक्तियों को भरने के लिए लक्षित समय सीमा के साथ जनशक्ति लेखा परीक्षा (एमपीए) की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार नियोजित दिशानिर्देश के साथ विवरण प्रदान कर सकता है। समिति उन पदों के बारे में भी संक्षेप में जानना चाहती है जिन्हें अप्रासंगिक माना गया है और साथ ही उन पदों के लिए परिकल्पित कार्य योजना के बारे में भी जानना चाहती है जिन्हें वर्ष 2023-24 के दौरान भरे जाने की संभावना है। मंत्रालय इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर रिक्तियों को भरने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करे।

<u>भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन</u>

8. समिति नोट करती है कि सामुदायिक रेडियो रेडियो प्रसारण में एक महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है, जो लोक सेवा रेडियो से अलग है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन हैं, जो स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किए जाने के लिए हैं। दिसम्बर, 2002 में भारत सरकार ने सुस्थापित शैक्षिक संस्थाओं को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने की नीति अनुमोदित की थी। नीतिगत दिशानिर्देशों में 2006, 2017 और 2018 में संशोधन किया गया था। सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करने के लिए 'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन' नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्तमान में, भारत में 412 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं और इनमें से 5 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अनुमति प्रदान करने संबंधी करार (जीओपीए) के

विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया था। इन सीआरएस को जारी की गई अनुमतियां जीओपीए को रद्द करने की प्रक्रिया में हैं। समिति यह भी नोट करती है कि दिसंबर, 2022 तक, वर्ष 2022-23 के लिए कुल 85 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन 85 आवेदनों में से 18 संगठनों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी कर दिया गया है। फ्रिक्वेंसी स्पॉट की अनुपलब्धता के कारण कुल 5 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया था और 62 आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। समिति नोट करती है कि वित्त वर्ष 2022-23 से पहले प्राप्त आवेदनों के संबंध में 2022-23 में 71 एलओआई जारी किए गए थे। इस प्रकार, वर्ष 2022-23 (दिसंबर 2022 तक) में कुल 89 एलओआई जारी किए गए थे। मंत्रालय ने सूचित किया कि एलओआई प्राप्त करने के बाद, आवेदक सीआरएस को चालू करने से पहले वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस के लिए संचार मंत्रालय को आवेदन करता है और सीआरएस के लिए लाइसेंस संचार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। समिति पाती है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, गोवा, लद्दाख, लक्षद्वीप, मेघालय और मिजोरम जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई सीआरएस नहीं है। इस पर मंत्रालय ने सूचित किया है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना एक स्वैच्छिक गतिविधि है और नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल लाभ रहित संगठन ही सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रचालन के लिए अनुमति प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीआरएस की उपस्थिति न होने का मुख्य कारण पात्र संगठनों के बीच जागरूकता की कमी और इन गैर-लाभकारी संगठनों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है। इसके अलावा, समिति नोट करती है कि नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, सीआरएस को ऐसे किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, जो समाचार और वर्तमान मामलों से संबंधित है परन्तु राजनीतिक प्रकृति का है। तथापि, सीआरएस केवल एआईआर से प्राप्त समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री को उसके मूल रूप में प्रसारित कर सकता है या स्थानीय भाषा/बोली में अनूदित कर सकता है और यह सुनिश्चित करना सीआरएस अनुमति धारक की जिम्मेदारी

है कि अनुवाद के दौरान समाचार विकृत या संपादित न हो। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि हितधारक समय-समय पर मंत्रालय से विभिन्न मंचों पर सीआरएस पर समाचार की अनुमति देने का अनुरोध करते रहे हैं। तथापि, सीआरएस पर समाचार की अनुमति देने के लिए कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति नोट करती है कि सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के बीच स्थानीय लोगों की आवाजों को प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, और यह समाज के हाशिए वाले वर्गों के लिए अपनी चिंताओं को प्रकट करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। भारत जैसे देश में, जहां हर राज्य की अपनी भाषा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, सीआरएस स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत का भंडार भी है और इसमें अपने समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की क्षमता है। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सीआरएस की अनूठी स्थिति इसे सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए एक आदर्श साधन बनाती है। इस प्रकार, समिति निम्नलिखित मानती/सिफारिश करती है:

(i) समिति यह जानकर प्रसन्न है कि वर्ष **2022-23** के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय लगभग **40%** रहा है और कम व्यय का मुख्य कारण बचत है क्योंकि जागरूकता कार्यशालाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थीं। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों का कम उपयोग भौतिक लक्ष्यों में कमी के कारण नहीं है।

(ii) समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय स्थानीय समाचारों को बढ़ावा देने के लिए सीआरएस की मांग, यदि कोई हो, और इसकी अनुमति देने की व्यवहार्यता पर गौर करे।

(iii)समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय उपर्युक्त चिंताओं को दूर करे और जागरूकता शिविर आयोजित करे और ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर ध्यान दे, जहां सीआरएस नहीं हैं, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, गोवा, लद्दाख, लक्षद्वीप, मेघालय और मिजोरम आदि।

<u>आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) और आत्मनिर्भरता</u>

9. समिति नोट करती है कि वर्ष 2023-24 के लिए आईईबीआर राजस्व अनुमान 1475.00 करोड़ रुपये है। वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रसार भारती द्वारा राजस्व अनुमान और राजस्व सृजन क्रमशः 1380.00 करोड़ रुपये और 977.01 करोड़ रुपये था और दिसंबर 2022 तक निवल व्यय 790.70 करोड़ रुपये था। समिति पिछले कुछ वर्षों के दौरान आईईबीआर के संबंध में प्रसार भारती द्वारा हासिल की गई आत्मनिर्भरता के स्तर पर संतोष व्यक्त करती है और इस बात की सराहना करती है कि प्रसार भारती अपने आईईबीआर से अपने परिचालन खर्चों को पूरा कर रहा है और उसके पास कुछ अतिरिक्त राशि भी है। समिति 2022-23 के दौरान आईईबीआर के तहत राजस्व सृजित करने के लिए प्रसार भारती के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्रालय को वर्ष 2023-24 के दौरान भी इस संबंध में अपने प्रयासों को जारी रखने की सिफारिश करती है। समिति मंत्रालय को बुनियादी ढांचे, अभिलेखागार आदि जैसी परिसंपत्तियों की सामग्री और मुद्रीकरण पर ध्यान देने के संबंध में साक्ष्य के दौरान किए गए उनके आश्वासन के बारे में याद दिलाना चाहेगी।समिति इस तथ्य पर अपनी नाखुशी व्यक्त करती है कि कटेन्ट को डिजिटलीकरण करने के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना नहीं है जो मुद्रीकरण व्यूवरशिप में सहायता कर सके। समिति आशा करती है कि प्रसार भारती द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार वे अतिशीघ्र शेष डिजिटलीकरण का कार्य पूरा करेंगे और इसके लिए एक समयबद्ध कार्य योजना बनाएगें। समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों के संबंध में कार्यक्रमों की सामग्री की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान दे। समिति सामग्री के

मुद्रीकरण की सुविधा के लिए शेष अभिलेखों के डिजिटलीकरण को पूरा करने की भी सिफारिश करती है। समिति यह भी चाहती है कि प्रसार भारती द्वारा संपत्तियों के प्रभावी मुद्रीकरण के लिए देश भर में विभिन्न केंद्रों पर इसकी परिसंपत्तियों के संबंध में किए गए अध्ययन के साथ-साथ इसके मुद्रीकरण के रोडमैप के विवरण से भी उसे अवगत कराया जाए। समिति को इस दिशा में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

<u>राष्ट्र फिल्म विकास निगम)एनएफडीसी - (चार मीडिया यूनिटों का एनएफडीसी में विलय</u>

10. समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) लिमिटेड की स्थापना 1975 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक नीति और समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नीति और उद्देश्य के अनुसार भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत और कुशल विकास की योजना, प्रचार और आयोजन के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। एनएफडीसी के साथ फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन (एफएफसी) और इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (आईएमपीईसी) का विलय करके वर्ष 1980 में एनएफडीसी को फिर से शुरू किया गया था। 23 दिसंबर 2020 को , केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनएफडीसी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (एमओएए) का विस्तार करके चार फिल्म मीडिया यूनिटों, अर्थात् फिल्म प्रभाग (एफडी), राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई), फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) और बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) का विलय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) के साथ करने का निर्णय लिया था, जो तब उनके द्वारा अब तक की जाने वाली सभी गतिविधियों को पूरा करेगा और एफडी/एनएफएआई/डीएफएफ/सीएफएसआई को बंद करने सहित सभी आवश्यक परिणामी कार्रवाई/कार्रवाइयां करेगा। मंत्रालय ने बताया कि फिल्म प्रभाग (एफडी), राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय (एनएफएआई), फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) और बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) के सभी संचालन 31.12.2022 से बंद हो गए हैं और उनकी

गतिविधियों को एनएफडीसी को स्थानांतरित कर दिया गया है। सभी परिसंपत्तियों का स्वामित्व इस मंत्रालय में निहित होगा और एनएफडीसी को इन संपत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा। समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि अम्ब्रेला संगठन, एनएफडीसी, फिल्म मीडिया यूनिटों के विलय के परिणामस्वरूप अब फिल्म सामग्री के प्रचार, निर्माण और संरक्षण के संबंध में सभी अम्ब्रेला संगठन एनएफडीसी के एकल प्रबंधन के तहत होने के कारन अब इसका एक विशिष्ट स्थान है । समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि बंद मीडिया यूनिटों के किसी भी उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि एनएफडीसी द्वारा ये 01.01.2023 से किए जा रहे हैं और बंद फिल्म मीडिया यूनिटों के मानव संसाधनों की कोई छंटनी नहीं हुई है। यद्यपि समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सुनिश्चित करें कि सभी चारों बंद मीडिया यूनिटों के उद्देश्यों को एनडीएफसी के साथ विलय के बाद भी अक्षरश: पूरा किया जाए और इस कार्य में आने वाली बाधाओं से उसे अवगत कराया जाए। मंत्रालय उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों पर चारों मीडिया यूनिटों के विलय के बारे में सतर्क रहे। समिति महसूस करती है कि यह विवेकपूर्ण होगा यदि विलय के प्रभाव का प्रारंभ में ही विश्लेषण किया जाए ताकि बाद में होने वाले किसी प्रकार की असफलता से बचा जा सके। मंत्रालय कर्मचारी की शिकायतों जो उक्त विलय से प्रभावित हुए हैं, की भी जांच करें और इस बारे में यिद कोई हो तो समिति को सूचित करे। इस प्रकार, अब जबकि विलय पूरा हो गया है, समिति मंत्रालय से यह भी सिफारिश करती है कि एनएफडीसी के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों से उसे अवगत कराए और यह सुनिश्चित करे कि वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा के अनुसार प्राप्त किया जा सके। मंत्रालय विलय से संबंधित व्यक्त चिंताओं और उन चिंताओं, यदि कोई हो, पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई से भी अवगत कराए। इसके अलावा, मंत्रालय के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि एनएफडीसी के विलय के साथ वे संग्रहीत फिल्मों का कुछ व्यावसायिक उपयोग करने में सक्षम होंगे, समिति इस प्रकार सृजित आय और उसके उपयोग की

स्थिति से अवगत होना चाहती है। समिति फिल्मों में मंत्रालय की रचनात्मक और सहायक भूमिका से भी अवगत होना चाहती है।

<u>भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान)एफटीआईआई(</u>

11. समिति नोट करती है कि भारतीय फिल्म संस्थान की स्थापना 1960 में की गई थी। अक्टूबर, 1974 में इसका नाम बदलकर 'भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई)' कर दिया गया और एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। एफटीआईआई के दो विंग हैं- फिल्म और टेलीविजन विंग्स, जो तीन वर्षीय और दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स और एक वर्ष का पीजी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बीई आवंटन 55.39 करोड़ रुपये था और आरई स्तर पर इसे बढ़ाकर 68.53 करोड़ रुपये कर दिया गया और 31 जनवरी 2023 तक वास्तविक व्यय 50.71 करोड़ रुपये था जो आरई आवंटन का 74.00% है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि एफटीआईआई में जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे बजटीय व्यय और छात्र गतिविधियों के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता हैं। समिति नोट करती है कि एफटीआईआई अकादमिक बैकलॉग और प्रवेश में देरी को दूर करने के लिए कैंपस में समानांतर बैच चला रहा है। संस्थान में वर्तमान में 7 बैच हैं, अर्थात फिल्म विंग में 5 बैच (3 सामान्य बैच की तुलना में) और टीवी विंग में 2 बैच (1 बैच सामान्य बैच की तुलना में)। मंत्रालय ने सूचित किया है कि वित्त, मानव संसाधन, उपकरण और स्थान जैसे संसाधनों को तदनुसार बनाया गया है और अगस्त 2025 में बैकलॉग को सामान्य करने की आशा है। वर्ष 2023-24 के लिए एफटीआईआई के तहत प्रदर्शन में सुधार की योजना के बारे में समिति को सूचित किया गया है कि बजटीय व्यय के उचित प्रबंधन के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली लागू की गई है और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए गतिविधियों पर निरंतर अनुवर्ती क्रिया कलाप किये जाते हैं । साथ ही आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर

आवश्यक स्वीकृतियां भी ली जा रही हैं। इसके अलावा, पुणे में ऑडिटोरियम कम नॉलेज सेंटर का निर्माण वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है और दो स्टूडियो (एफटीआईआई के विस्तार परिसर, कोथरूड में) का निर्माण वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान शुरू होगा। बैकलॉग को पूरा करने के लिए एमआईबी द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए, समिति मंत्रालय को उनके बुनियादी ढांचे के उन्नयन की व्यवहार्यता पर ध्यान देने की सिफारिश करती है ताकि एफटीआईआई को वास्तविक अर्थों में अत्याधुनिक संस्थान बनाया जा सके। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि पुणे में ऑडिटोरियम कम नॉलेज सेंटर का निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर यानी 2023-24 के भीतर पूरा किया जाए और उन्हें दो स्टूडियो (एफटीआईआई के विस्तार परिसर, कोथरूड में) जिसे 2023-24 के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है, का निर्माण शुरू होने की स्थिति और लक्षित समय सीमा के बारे में अवगत कराया जाए।

<u>एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई-एवीजीसी)</u>

12. समिति नोट करती है कि भारतीय एवीजीसी उद्योग की क्षमता का एहसास करने के लिए, वित्त वर्ष 2022-2023 के बजट भाषण में एक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) प्रमोशन टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई थी। एवीजीसी टास्क फोर्स का गठन 08.04.2022 को किया गया था। नीति निर्माण, कौशल विकास, शिक्षा और गेमिंग विषयों पर उप टास्क फोर्स की सिफारिशों को मिलानकर एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई थी और इसे 15.12.2022 को सचिव (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था । समिति पाती है कि एवीजीसी टास्क फोर्स ने मोटे तौर पर (i) सूचना, शिक्षा, संचार और लोकसम्पर्क के माध्यम से बाजार पहुंच और विकास; (ii) एवीजीसी से संबंधित जॉब रोलों, योग्यता पैक और शिक्षा सम्बन्धी बुनियादी ढांचे के साथ मजबूत एकीकरण को परिभाषित करके स्किलिंग और मेंटरशिप; (iii)

एवीजीसी क्षेत्र पर केंद्रित शिक्षा का मानकीकरण; (iv) वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने की तुलना में प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना; और (v) विभिन्न लैंगिक, आर्थिक पृष्ठभूमि और भूगोल के लोगों के स्किलिंग, रिस्किलिंग और अपस्किलिंग को समान महत्व देते हुए सामग्री निर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ 'क्रिएट इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने की सिफारिश की है ताकि समता और समावेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में विविधता लाई जा सके। मंत्रालय ने सूचित किया है कि एवीजीसी टास्क फोर्स की अंतिम सिफारिशों के अनुसार, उन्होंने टास्क फोर्स की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रमुख कार्रवाइयों पर विचार किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i)ii iiiizii प्रचार-प्रसार के लिए धन उपलब्ध कराने और बुनियादी ढाँचे मे सहयोग करने के लिए बजट परिव्यय वाले एक राष्ट्रीय एवीजीसी-एक्सआर मिशन के निर्माण की आवश्यकता; (ii)ii i एवीजीसी सेक्टर के लिए स्किलिंग, एजुकेशन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और रिसर्च एंड इनोवेशन में एवीजीसी सेक्टर के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ बिंदु बनने हेतु नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एनसीओई) स्थापित करने की आवश्यकता; (iii)ii एवीजीसी क्षेत्र की क्षमता को जानने के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर कैबिनेट की मंजूरी लेना; (iv)ii संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एवीजीसी क्षेत्र के विकास के लिए टास्क फोर्स द्वारा तैयार मॉडल राज्य नीति को अपनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ विचार-विमर्श शामिल है। समिति ने पाया कि वर्तमान में एवीजीसी क्षेत्र के संबंध में कोई कानून/नियम नहीं है और इस क्षेत्र के लिए कोई ठोस बजटीय आवंटन प्रदान नहीं किया गया है। हालांकि, राष्ट्रीय और मॉडल राज्य नीति के स्वीकृत हो जाने के बाद, इसके लिए वित्तीय आवश्यकता की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि मसौदा राष्ट्रीय नीति अभी भी परामर्श चरण में है और एवीजीसी-एक्सआर क्षेत्र के लिए अनुशंसित राज्य मॉडल नीति परामर्श के लिए राज्यों को परिचालित की गई है। इसके अलावा, समिति को सूचित किया गया कि कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य एवीजीसी क्षेत्र में उन्नत हैं और अधिकांश अन्य राज्य इस क्षेत्र में पीछे हैं। समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि एवीजीसी क्षेत्र के

गैर-विकास से संबंधित अधिकांश मुद्दों, जैसे बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता, प्रौद्योगिकी तक पहुंच आदि का राष्ट्रीय और मॉडल राज्य नीति के मसौदे में समाधान किया गया है और नीतियों को मंजूरी मिलने के बाद, एवीजीसी मिशन इन सभी मुद्दों को शामिल करेगा और इस क्षेत्र को आगे ले जाने के तरीकों पर रणनीति प्रदान करेगा। गेमिंग और जुआ उद्योग के लिए नियमों और नीति के संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि हाल ही में, सरकार ने फैसला किया है कि इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग की जाँच करेगा और तत्पश्चात इससे संबंधित नियम बनाएगा और इसे इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापनों से जुड़ी चिंताओं पर मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सट्टेबाजी और जुए के कुछ विज्ञापन अभी भी जारी हैं क्योंकि जुआ और जुए के विज्ञापनों के बीच एक बारीक अंतर है। उदाहरण के लिए, उच्चतम न्यायलय ने रमी जैसे खेल को कौशल का खेल कहा है।

समिति भारतीय एवीजीसी उद्योग की क्षमता का एहसास करने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई उपरोक्त सभी पहलों की सराहना करती है। इसके बावजूद, समिति महसूस करती है कि मंत्रालय को एवीजीसी-एक्सआर मिशन को लागू करने की पूरी प्रक्रिया को तेज करना होगा क्योंकि भारत अभी भी इस क्षेत्र में प्रारंभिक अवस्था में है और एवीजीसी क्षेत्र में अवसर प्रचुर मात्रा में हैं। समिति यह भी महसूस करती है कि पिछड़े हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ टियर-II और टियर-III शहरों में एवीजीसी सेक्टर से संबंधित बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सुगम बनाने की आवश्यकता है। समिति महसूस करती है किउद्योग और अन्य हितधारकों के साथ-साथ सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ एक समन्वित प्रयास करना समय की आवश्यकता है। इसलिए, समिति निम्नलिखित सिफारिश करती है और तदनुसार अवगत होना चाहती है:

(i) राष्ट्रीय एवीजीसी-एक्सआर मिशन के निर्माण और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) की स्थापना के लिए समय सीमा और त्रैमासिक लक्ष्य तय करना;

(ii) वर्तमान वित्तीय वर्ष के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया को पूरा करना;

(iii) इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट बजटीय आवंटन के निर्णय के बारे में समिति को अवगत कराना;

(iv) एवीजीसी सेक्टर के तहत प्रत्येक पहल के लिए वर्षवार लक्ष्य तय करना;

(v) वर्ष-वार रोडमैप के साथ राष्ट्रीय और मॉडल राज्य नीति के प्रारूप में प्रस्तावित मुख्य बिंदुओं के बारे में समिति को अवगत कराना;

(vi) जुआ और सट्टेबाजी को विनियमित करने के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समन्वित प्रयास के लिए किए गए उपाय ; और

(vii) भारत में एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के मिशन के तहत भारतीय कॉमिक पात्रों और कॉमिक बाजार का लाभ उठाने की योजना के बारे में समिति को अवगत कराना।

<u>भारत में फिल्म की शूटिंग</u>

13. समिति नोट करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी) योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और विश्व स्तर पर इसकी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन किया जा रहा है और भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना इस योजना के घटकों में से एक है। समिति नोट करती है कि फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की वेबसाइट पर भारत के सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समर्पित पेज़ हैं और यह वेबसाइट राज्य के नोडल अधिकारी को अपने संबंधित राज्यों को फिल्म निर्माण गंतव्य के रूप में

बढ़ावा देने के सुविधा देती है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एफएफओ के माध्यम से विदेशी परियोजनाओं की शूटिंग की अनुमति दी गई है, वे चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हैं। 2017 से, एफएफओ ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने फिल्म कार्यालय स्थापित करने और उन्हें उद्योग से जोड़ने में मदद की है और उन्हें अपने प्रोत्साहन और नीतियों को प्रदर्शित करने में भी सक्षम बनाया है। कार्यशालाओं और फिल्म कार्यालयों के माध्यम से नोडल अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क के परिणामस्वरूप 19 राज्यों में फिल्म नीति है; 17 राज्यों में एक ऑनलाइन सिंगल विंडो फिल्मिंग इकोसिस्टम है और 18 राज्यों में फिल्म निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन हैं।

भारत को फिल्मों की शूटिंग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने में आने वाली बाधाओं के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि फिल्मांकन के लिए केंद्रीय प्रोत्साहन नीति न होना प्रमुख बाधा थी। सभी प्रमुख प्रतिस्पर्धी गंतव्यों में एक मजबूत प्रोत्साहन नीति थी जो निर्माण सम्बन्धी व्यय को समायोजित करने के लिए या तो कर में छूट या प्रत्यक्ष नकद प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस मुद्दे को हल करने के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मई 2022 में विदेशी प्रोडक्शंस और आधिकारिक को-प्रोडक्शंस के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य विदेशी फिल्मों और आधिकारिक को-प्रोडक्शंस द्वारा भारत में किए गए उत्पादन की लागत के 30% की प्रतिपूर्ति करना है। समिति वास्तव में इस बात की सराहना करती है कि मंत्रालय और एफएफओ ने भी कई राज्य सरकारों के साथ काम किया है और उन्हें अपनी प्रोत्साहन नीति बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन के अतिरिक्त केंद्रीय प्रोत्साहन का दावा किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वीजा की एक विशेष श्रेणी यानी फिल्म (एफ) वीजा शुरू करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है, जो भारत में फिल्मांकन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति दिए गये प्रोडक्शनों के कलाकारों और क्रू दल को भारत आने के लिए

अनुमति देगा। समिति इस बात की भी सराहना करती है कि मंत्रालय ने एक फिल्म सुविधा कार्यालय की स्थापना की है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ एएसआई, रेलवे आदि जैसी अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अनुमति के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप , 16 राज्यों में ऑनलाइन सिंगल विंडो परमिशन इको सिस्टम है। इसके अलावा, समिति फिल्म अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत 'सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार' शुरू करने की पहल की सराहना करती है। समिति आशा करती है कि उपरोक्त सभी पहलें विदेशी फिल्म निर्माताओं की चिंताओं को दूर करेंगी। समिति सच्चे अर्थों में सिंगल विंडो सिस्टम होने अर्थात सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सिस्टम को सेंट्रल विंडो सिस्टम से जोड़ने की व्यवहार्यता से अवगत होना चाहेगी।

<u>भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) और आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन</u>

14. समिति नोट करती है कि भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) 17 अगस्त, 1965 को मीडिया और जनसंचार के क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के बुनियादी उद्देश्यों के साथ अस्तित्व में आया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 'आईआईएमसी का अंतरराष्ट्रीय मानक में उन्नयन' योजना योजना शामिल की गई थी और इस योजना के तहत आईआईएमसी के उन्नयन का प्रस्ताव, यानी आईआईएमसी परिसर, नई दिल्ली में अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण, साथ ही महाराष्ट्र, मिजोरम, केरल और जम्मू में आईआईएमसी के चार नए क्षेत्रीय परिसर का निर्माण शामिल था। केरल के कोट्टायम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिसर ने पहले ही 2019 से स्थायी परिसर से काम करना शुरू कर दिया है। यद्यपि आईआईएमसी आइजोल का उत्तर पूर्व क्षेत्रीय केंद्र 2019 में पूरा हो गया था, लेकिन कोविड -19 महामारी के कारण परियोजना के अधिग्रहण में देरी हुई। आइजोल में नए परिसर का उद्घाटन 3 नवंबर, 2022 को किया गया और

अकादमिक सत्र 2022-23 नए स्थायी परिसर में शुरू हो गया है। हालांकि, आईआईएमसी जम्मू के उत्तरी क्षेत्रीय परिसर में भी कोविड-19 महामारी और कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण देरी हुई, परन्तु परियोजना पूरी हो गई है और अकादमिक सत्र 2022-23 शुरू हो गया है। हालाँकि, अमरावती में आईआईएमसी के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र में देरी हुई है क्योंकि आईआईएमसी, अमरावती के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र के स्थान को बदलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस मामले पर विचार किया गया और 2021 में बडेरा, अमरावती में आईआईएमसी के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र के निर्माण का निर्णय लिया गया। आईआईएमसी और महाराष्ट्र सरकार के बीच 'लीज एग्रीमेंट 'व्यपगत' हो गया। इसलिए, एक नए 'लीज एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर किया जाना था, जो कि हो चुका है और वित्त वर्ष 2023-24 में निर्माण शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा, 'आईआईएमसी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन' के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया कि परियोजना की शुरुआत में देरी हुई क्योंकि आईआईएमसी को भवन के निर्माण के लिए विभिन्न नियामक प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरी लेनी पड़ी और इस मामले में आईआईएमसी को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना पड़ा जो अंततः हो गया है। अब, आईआईएमसी ने औपचारिकताओं की मंजूरी ले ली है और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं और नए भवन के निर्माण के लिए लागत अनुमान, समय-सीमा और भवन की रूपरेखा युक्त आशय पत्र 5 दिसंबर, 2022 को सीपीडब्ल्यूडी को भेज दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में निर्माण शुरू होने की संभावना है।

समिति ने चार क्षेत्रीय परिसरों के कार्यान्वयन और 'आईआईएमसी के अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप उन्नयन' में आने वाली समस्याओं पर ध्यान देते हुए कहा कि तीन परिसरों (कोट्टायम, आइजोल और जम्मू में) को पूरा करने में एक दशक से अधिक का समय लगा और अमरावती एवं नई दिल्ली के परिसरों का निर्माण होना अभी शेष है क्योंकि दोनों जगहों पर निर्माण 2023-24 में शुरू होने की संभावना है। समिति आईआईएमसी के तहत परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में अत्यधिक विलम्ब पर गहरी चिंता व्यक्त करती है, क्योंकि यह

लगातार बढ़ते और बदलते मीडिया उद्योग की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रशिक्षण और अनुसंधान में कई विशेष पाठ्यक्रमों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जबकि शेष परिसरों के संबंध में सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गए हैं, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि आगे की लागत और विलम्ब से बचा जा सके। समिति आईआईएमसी, दिल्ली और अमरावती में नए भवन को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के साथ-साथ इन केंद्रों में निर्माण कार्य के संबंध में की गई प्रगति से अवगत होना चाहती है।

<u>भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) का कार्यालय</u>

15. समिति नोट करती है कि भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) का कार्यालय 1956 में स्थापित किया गया था। यह एमआईबी का एक संबद्ध कार्यालय है और यह वैधानिक और गैर-सांविधिक कार्यों को निष्पादित करता है। आरएनआई देश भर में प्रकाशित समाचार पत्रों और प्रकाशनों का एक रजिस्टर रखता है, समाचार पत्रों और प्रकाशनों को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करता है, सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को नए समाचार पत्रों के शीर्षकों की उपलब्धता के बारे में सूचित करता है और समाचार पत्रों के प्रकाशकों और प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की जांच और विश्लेषण करता है। अपने गैर-सांविधिक कार्यों के तहत, आरएनआई, आरएनआई के अंतर्गत पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ता प्रकाशनों के लिए अखबारी कागज के आयात के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्रों को प्रमाणित करता है। समिति नोट करती है कि वर्तमान में, शीर्षकों के लिए आवेदन ऑनलाइन भरा जा सकता है और शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के अलावा, सभी सत्यापित शीर्षकों को आरएनआई वेबसाइट पर डाला जाता है और डाउनलोड किया जा सकता है। इस सुविधा के शुरू होने से कोई भी व्यक्ति/संभावित प्रकाशक मौजूदा टाइटल डाटा बेस तक पहुंच सकता है, जो कि राज्य/भाषावार उपलब्ध है। डिजिटलीकरण के दूसरे चरण में पंजीकरण के लिए आवेदन सहित कार्यालय की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरी तरह से

ऑनलाइन किया जाएगा। आरएनआई की स्वचालन परियोजना का चरण-I वर्ष 2020 में शुरू हुआ और परियोजना का चरण-II जनवरी 2023 में शुरू हुआ। सार्वजनिक उपयोग के लिए अंतिम तैनाती की योजना जुलाई, 2023 के लिए बनाई गई है। डिजिटलीकरण के हिस्से के रूप में, कुल 960 रजिस्टरों की संख्या को डिजिटाइज़ किया जाना है और इसमें 1,56,000 रजिस्टर रिकॉर्ड शामिल हैं। 960 रजिस्टरों में से, अब तक 619 रजिस्टरों को स्कैन किया गया है और 61,749 रजिस्टर रिकॉर्ड की डेटा मैपिंग पूरी कर ली गई है।

आरएनआई में स्वचालन प्रक्रिया के संबंध में, समिति ने अपनी **34**वीं रिपोर्ट (डीएफजी **2022-23** पर) में आरएनआई में स्वचालन परियोजना का केवल **35%** पूरा होने का उल्लेख किया था और मंत्रालय से आरएनआई में त्वरित स्वचालन प्रक्रिया के लिए पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की सिफारिश की थी। समिति ने लगभग **160** साल पुराने 'प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, **1867'** (पीआरबी एक्ट) में संशोधन में देरी न करने की भी सिफारिश की थी। इसके अलावा, समिति ने स्वचालन परियोजना को भुगतान प्रणाली से भी जोड़ने की सिफारिश की थी ताकि इसमें लगने वाला समय कम हो सके। इस संबंध में, समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारतकोश के माध्यम से जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान सक्षम किया गया है और परियोजना का चरण-**II** जनवरी **2023** में शुरू हुआ है और सार्वजनिक उपयोग के लिए अंतिम तैनाती जुलाई, **2023** तक करने की योजना है। जब आरएनआई में स्वचालन प्रक्रिया का मामला उठाया गया, तो मंत्रालय ने देरी को स्वीकार किया और बताया कि देरी को दूर करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। मंत्रालय ने समिति को यह भी बताया कि चूंकि **'** द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट (पीआरबी), **1867'** बहुत पुराना है, अतः उन्होंने एक नया बिल तैयार किया है जिसके लिए अब मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है और अगर नया अधिनियम पारित हो जाता है, तो वर्तमान व्यवस्था में कुछ सुधार होगा। समिति नोट करती है कि स्वचालित प्रणाली

जिसे ई-साइन समाधान के साथ एकीकृत किया जाना है, प्रकाशकों और प्रमाणन अधिकारियों को लेन-देन में आसानी और रिकॉर्ड प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराएगा। हालांकि, समिति,आरएनआई के स्वचालन की धीमी गति से सहमत नहीं है। समिति सिफारिश करती है कि पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए और आरएनआई में स्वचालन प्रक्रिया को तेजी से किया जाए। इसके अलावा , समिति सिफारिश करती है कि 'द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट (पीआरबी), 1867' में बिना किसी देरी के आवश्यक संशोधन किए जाएं।

<u>केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्वर्ती बीओसी)</u>

16. समिति नोट करती है कि केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) [जिसे पहले लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) कहा जाता था] ने नवंबर, 2020 में स्वचालन प्रक्रिया शुरू की थी और प्रक्रिया को पूरा करने की लक्षित तिथि मार्च, 2021 थी। हालांकि, बकाया कोविड-19 महामारी के कारण, सीबीसी द्वारा सामना की जा रही परिचालन संबंधी कठिनाइयों और हितधारकों के साथ नियमित परामर्श के कारण, परियोजना पूरी नहीं हो सकी। मंत्रालय ने स्वचालन की स्थिति बताते हुए बताया कि कोर मॉड्यूल में से प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन को पूरा कर लिया गया है। जबकि इन कोर मॉड्यूल के वेंडर बिलिंग मॉड्यूल का काम चल रहा है। गैर-कोर मॉड्यूल के तहत, स्थापना प्रबंधन, आईवीआर आधारित कॉल सेंटर, फीडबैक प्रबंधन, इन्वेंटरी प्रबंधन, परिसंपत्ति प्रबंधन लागू किया गया है। इसके अलावा, संसदीय प्रश्न रिकॉर्ड और अनुवर्ती प्रबंधन, शिकायत प्रबंधन, परिवहन और नौवाहन प्रबंधन और वित्तीय लेखा प्रबंधन लागू करने के लिए तैयार हैं। मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य के संबंध में सूचित किया है कि वर्ष 2023-24 के दौरान नए वेबसाइट प्रबंधन और आंतरिक डैशबोर्ड वाले नये एंटरप्राइज

रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) समाधान का परीक्षण किया जाएगा, उपयोग में लाया जाएगा और 30 सितंबर, 2023 तक पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा । यह नोट करते हुए कि परियोजना में पहले ही 2 वर्ष का विलम्ब हो चुका है, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय संशोधित समय-सीमा के अनुसार संपूर्ण स्वचालन प्रक्रिया को पूरा करे और समिति को प्रगति की स्थिति से अवगत कराया जाए।

<u>उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर)</u>

17. समिति नोट करती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 110.50 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन निर्धारित किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान बीई और आरई स्तर पर एनईआर के लिए बजटीय आवंटन क्रमशः 63.00 करोड़ रुपये और 63.90 करोड़ रुपये था जबकि दिनांक 31.01.2023 तक वास्तविक व्यय 7.86 करोड़ रुपये था। समिति चिंता के साथ नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान वास्तविक व्यय प्रतिशत संशोधित अनुमान आवंटन का मात्र 24.05% था। वर्ष 2020-21 के दौरान भी वास्तविक व्यय कम रहा था, जो संशोधित अनुमान आवंटन का मात्र 54.69% था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्तीय निष्पादन के संबंध में समिति ने पिछले डीएफजी की जांच करते समय चिंता व्यक्त की थी। तथापि, यह देखा गया है कि वर्ष 2022-23 के दौरान स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ी है। मंत्रालय द्वारा कम उपयोग का कारण यह था कि विकास संचार और सूचना का प्रसार ['सूचना क्षेत्र] के तहत एकीकृत संचार (सीबीसी) के माध्यम से लोगों के सशक्तिकरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के दौरान अधिकतम बुकिंग निष्पादित की जाएगी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के चुनावी राज्यों में कई कार्यक्रम/प्रस्ताव आयोजित किए जाने की संभावना है जिससे अंतिम तिमाही के दौरान खर्च में वृद्धि होगी। इसके अलावा, मीडिया आउटरीच प्रोग्राम एंड पब्लिसिटी (पीआईबी) के तहत, पीआईबी गुवाहाटी ने सूचित किया है कि खर्च के रुझान को ध्यान में रखते हुए, वे अंतिम तिमाही में शेष धनराशि का उपयोग

करेंगे। फिल्म सामग्री के विकास संचार और प्रसार के तहत [फिल्म क्षेत्र] - भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों के माध्यम से भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 की पिछली तिमाही के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में फिल्म सामग्री के प्रचार और निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की परिकल्पना की है। 'प्रसारण क्षेत्र' के तहत - भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन (सीआरएस) के सहयोग के लिए - वित्तीय सहायता जारी करने के लिए एनईआर से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा, जागरूकता/क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन नहीं किया जा सका क्योंकि यह निर्णय नहीं किया जा सका था कि कार्यशालाओं के आयोजन किस अभिकरण से करवाया जाये । बीआईएनडी योजना के तहत, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चल रही आकाशवाणी परियोजनाओं जैसे डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन की खरीद, स्टूडियो और अर्थिंग आदि के डिजिटलीकरण के तहत विभिन्न विभागीय कार्यों के तहत 2.20 करोड़ रुपये के व्यय होने की संभावना है। मंत्रालय के उपरोक्त उत्तरों के आलोक में, समिति वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक प्राप्त किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों से अवगत होना चाहती है। इसके अलावा, एनईआर में निधि के निरंतर कम उपयोग और भौतिक लक्ष्यों में कमी को देखते हुए, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह इसका समाधान ढूंढे और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों/कमियों को दूर करने के लिए समय परआवश्यक उपाय करे। समिति मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की भी सिफारिश करती है कि एनईआर में योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 110.50 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का इष्टतम उपयोग किया जाए और इस दिशा में किए गए ठोस उपायों के बारे में समिति को अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली;
17 *मार्च*, 2023
26 *फाल्गुन*, 1944 (*शक*)

प्रतापराव जाधव,
सभापति,
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी
स्थायी समिति।